सोमवार,
५ अप्रैल, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

सोमवार, ५ अप्रैल, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जे० जे० समिति

***१५४९. सरदार हुक्म सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) नवकरण संचय निधि के वार्षिक अंशदान की गणना के वैज्ञानिक ढंग की खोज के लिये जे० जे० समिति ने क्या सिफारिशें की थीं ; तथा

(ख) क्या समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) समिति ने सिफारिश की है कि वर्तमान 'नवकरण संचय निधि' का नाम 'अवमूल्यन संचय निधि' होना चाहिये । इस निधि के वार्षिक अंशदान की गणना 'सीधे सीधे' ढंग से, जो समिति की सिफारिश के अनुसार विभिन्न श्रेणियों की आस्तियों की अवधि पर आधारित हो, होनी चाहिये ।

(ख) समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : इन सिफारिशों पर विचार करने में सरकार ने इतना समय किन विशेष कारणों से लिया है, क्योंकि गत वर्ष के प्रतिवेदन में भी यह कहा गया था कि वे विचाराधीन हैं ?

श्री राज बहादुर : कदाचित् माननीय सदस्य को विदित होगा कि समिति ने आस्तियों की साधारण अवधि तथा उनके अवशिष्ट मूल्य के सम्बन्ध में एवं निधि का अंशदन निर्धारित करने की सिफारिशें की थीं । आस्तियां बहुत हैं —अनेकों—और इस लिये हमें उनमें से प्रत्येक की जांच करनी पड़ती है । फिर, हमें महालेखा परीक्षक का भी ध्यान आकर्षित करना पड़ता है : इस सब में समय लगता है ।

सरदार हुक्म सिंह : हाल म ही इस निधि में कितना अंशदान दिया गया है ? क्या सिफारिशों के फलस्वरूप मा ा में कुछ कमी हुई है ?

श्री राज बहादुर : १९५३ का वास्तविक अंशदान ७५ लाख रु० था परन्तु सिफारिशों के फलस्वरूप तथा उस नये सिद्धांत के आधार पर जो उन्होंने हमें बताया है, हमने १९५३-५४ के लिये अंशदान बढ़ा कर १०० लाख रुपया कर दिया था । १९५४-५५ के लिये हमने १२५ लाख रुपये की व्यवस्था की है ।

सरदार हुक्म सिंह : पिछले दिनों तक विद्यमान देशी रियासतों से हमें जो आस्तियां प्राप्त हुई हैं उनका इस समिति ने जांच पड़ताल करके कितना मूल्य निर्धारित किया है ?

श्री राज बहादुर : हमें देशी रियासतों से जो आस्तियां प्राप्त हुई हैं, मैं उनका मूल्य पृथक पृथक न बता सकूंगा। १९५३-५४ के अन्त में समस्त अचल आस्तियों का मूल्य ६६,१९,४१,००० रु० आंका गया था।

शिशु कल्याण तथा प्रसूति कार्यक्रम

***१५५०. श्री झूलन सिन्हा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में बिहार राज्य को, शिशु कल्याण तथा प्रसूति कार्यक्रमों के विकास के लिये, केन्द्र से अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई सहायता प्राप्त हुई है या नहीं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : यूनीसेफ ने बिहार राज्य में एक 'प्रसूता तथा शिशु स्वास्थ्य एवं धात्री शिक्षा परियोजना' के लिये सम्भरण तथा सामग्री की व्यवस्था के लिये २,१५,००० रु० नियत किया है। कार्य योजना का निश्चय होते ही, जो अभी विचाराधीन है, परियोजना कार्यान्वित की जायेगी। इस काल में बिहार राज्य को शिशु कल्याण तथा प्रसूती सम्बन्धी किसी विशेष कार्यक्रम के लिये केन्द्र से अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई सहायता नहीं दी गई है।

श्री झूलन सिन्हा : इस प्रकार की सहायता के सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्रों की अधिक आवश्यकता की दृष्टि से, क्या सरकार ने यूनीसेफ़ से अधिक सहायता प्राप्त करने के लिये कभी कोई योजना प्रस्तुत की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) : राज्यों से कहा जाता है कि वे परियोजनायें प्रस्तुत करें जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन या यूनीसेफ कार्यान्वित कर सकते हैं। बिहार सरकार ने यह योजना प्रस्तुत की थी, तथा इस के लिये यह धन राशि नियत की गई।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या बिहार में शिशु कल्याण तथा प्रसूति कार्यक्रमों के लिये कोई प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : इस योजना के अन्तर्गत, लोक स्वास्थ्य कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों, जैसे चिकित्सा विद्यार्थियों, चिकित्सकों, परिचारिकाओं, दाइयों तथा धायों, के प्रक्षिण में सुधार तथा विस्तार को लिया जायेगा।

तेलवाहक जहाजों का बेड़ा

***१५५१. श्री एस० एन० दास** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत के लिये कोई आधारभूत तेलवाहक जहाजों का बेड़ा बनाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है अथवा कर चुकी है ; तथा

(ख) यदि हां, तो योजना किस प्रकार की बनाई गई है ?

रेल तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) तथा (ख). जो तेल वाहक जहाज प्राप्त करने हैं उनके आकार तथा विशेष विवरण के शिल्पिक ब्योरे एवं उन्हें प्रयोग करने सम्बन्धी आर्थिक प्रश्नों पर तेल समवायों से विचार विमर्श हो रहा है।

श्री एस० एन० दास : यदि योजना कार्यान्वित की जाती है तो, क्या उसके लिये आवश्यक धन का कोई अनुमान लगाया गया है ?

श्री शाहनवाज खां : अभी दो तेल वाहक जहाज लेने का विचार है। प्राक्कलन तथा अन्य ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

श्री कासलीवाल : इन तेल वाहक जहाजों की क्षमता कितनी है ?

श्री शाहनवाज खां : वे मध्यम आकार वाले तेल वाहक जहाज होंगे।

गेहूं का आयात

***१५५२. श्री दाभी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१ में कनाडा तथा आस्ट्रेलिया से कितना गेहूं आयात किया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि १९५१ में कनाडा तथा आस्ट्रेलिया से आयात की गई गेहूं की कुल मात्रा में से ६८,३११ टन निकृष्ट गेहूं बम्बई के गोदामों में आया था तथा इस मात्रा में से १,१४१ टन मानव-उपभोग के लिये अनुचित के रूप में रद्द किया गया था ; तथा

(ग) यदि हां तो उसके क्या कारण थे ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा : (क) १९५१ में कनाडा तथा आस्ट्रेलिया से निम्न गेहूं का आयात हुआ :—

देश	मात्रा हजार टनों में
कनाडा	३२७·९
आस्ट्रेलिया	१९२·२

(ख) सच बात यह है कि १९५१ में बम्बई बन्दरगाह होकर आयात किये गये (केवल कनाडा तथा आस्ट्रेलिया से ही नहीं अपितु अन्य देशों से भी) खाद्यान्न की कुल मात्रा १६,२७,७३६ टन में से कुल ६८,३११ टन खाद्यान्न (निकृष्ट गेहूं नहीं) बम्बई के गोदामों में आया। इस कुल ६८,३११ टन खाद्यान्न में से, २,६४१ टन (जिनमें लगभग १,५०० टन खाद्यान्न जो एस० एस० जोहन चैस्टर केन्डल में था और जो स्वेज के समीप एक दुर्घटना का शिकार हो गया, सम्मिलित था) मानव-उपभोग के लिये अनुचित के रूप में रद्द किये गये थे।

(ग) २,६४१ टन निकृष्ट खाद्यान्न में से, १,१४१ टन जहाज में खराब हो गया था जिसमें थोड़ी सी वह मात्रा भी सम्मिलित है जो वर्षा से खराब हो गई थी। लगभग १,५०० टन खाद्यान्न एस० एस० जोहन चैस्टर केन्डल के साथ स्वेज के समीप दुर्घटना होने के कारण खराब हो गया था।

श्री दाभी : इसके परिणामस्वरूप सरकार को क्या हानि हुई ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वास्तव में हानि नहीं है। हम यह महसूस करते हैं। जो भी जहाज-क्षति के रूप में होते हैं, वह अपेक्षा करने योग्य होता है। प्रत्येक जहाज पर यह ५ टन होगा, तथा मूल्य अन्य खाद्यान्न के मूल्य में जोड़ दिया जायेगा तथा धन वापिस मिल जायेगा।

श्री दाभी : क्या चालू वर्ष में सरकार गेहूं का आयात करेगी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह आस्ट्रेलिया से एक जहाज लदान को छोड़ कर अभी तक हमने आयात नहीं किया है। यह अधिकतर आगामी फसल पर निर्भर है जो शीघ्र ही आरम्भ होगी। यदि हम आयात करना चाहें तो उसके आधार पर आयात करना चाहते हैं।

श्री मुनिस्वामी : खाद्यान्न की उस मात्रा का कुल मूल्य क्या होगा जो मानव उपभोग के लिये अनुचित कर दी गई थी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मात्रा १,१४१ टन है तथा प्रत्येक टन का मूल्य ४५० रु० तथा ५०० रु० के बीच में होगा ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैंने यह ठीक समझा है कि हानि की पूर्ति उपभोक्ताओं से थोड़ा अधिक मूल्य लेकर की जाती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैंने यही कहा है। यह स्वाभाविक है । जो धन हम मार्ग में खोते हैं--यह चाहे सरकार के मामले में हो और चाहे व्यापार के मामले में--वह प्रायः जोड़ दिया जाता है तथा उपभोक्ताओं से लिया जाता है;

तिलपिआ मछली

*१५५३. **श्री राधा रमण** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में 'तिलपिया' नामक एक नई मछली पर प्रयोग किये जा रहे हैं ;

(ख) इन प्रयोगों का क्या परिणाम रहा ;

(ग) इन मछलियों में सारभूत पोषक तत्व कितना है ;

(घ) यह कहां से आयातित की गई हैं ; और

(ङ) क्या इससे किसी प्रकार भारत की खाद्य समस्या सुधरेगी ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) प्रयोग अभी जारी हैं ।

(ग) मछलियों के पोषक तत्व अभी निर्धारित नहीं किये गये हैं ।

(घ) थाईलैंड तथा लंका ।

(ङ) पूरी जांच के पश्चात् यदि 'तिल पिया' को भारत में प्रयुक्त करने का निर्णय किया गया, तो इससे मछली उत्पादन में उल्लेखनीय बुद्धि होने की आशा है ।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि पूर्ण विकसित होने पर इस मछली का आकार तथा वजन क्या होता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : तीन मास के विकास के पश्चात् यह कम से कम पाव भर जरूर होगी ।

श्री राधा रमण : इसके वर्धन के लिये कैसा मौसम सबसे उपयुक्त है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह . . .

श्री वी पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं . . . .

श्री सैय्यद अहमद : यह मछली कौन खाता है ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । श्री नायर ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस मछली के सम्बन्ध में जो प्रयोग किये जा रहे हैं वे इसका प्रजनन क्षमता जानने तक सीमित हैं अथवा यह जानने का भी प्रयत्न किया जा रहा है कि यह दूसरी मछलियों के आहार पर रहने वाली मछली है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस किस्म की मछली के प्रजनन-प्रश्न सम्बन्धी सभी पहलुओं की जांच करने का प्रयत्न किया जा रहा है: इस मछली को देश में प्रारम्भ करने पर यह अन्य मछलियों को तो नहीं खा जायेगी, इस में पोषक तत्व क्या हैं, देश में इस मछली के उपभोग की क्या सम्भावनायें हैं इत्यादि ।

श्री सैय्यद अहमद : क्या मैं जान सकता हूं कि देश के किस भाग में इस मछली के खाये जाने की सम्भावना है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह एक अफ्रीकी मछली है जो युद्ध काल में थाई-लड में पोषित की गई थी । यह एक नई

किस्म है । इसके पोषक तत्वों की जांच की जा रही है ।

गेहूं का आयात

*१५५५. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने प्राक्कलन समिति की गेहूं को वस्तु-विनिमय आधार पर आयात करने सम्बन्धी सिफारिश पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) जो देश वस्तु-विनिमय आधार पर समझौता करना चाहते हैं सरकार उनके साथ ऐसा समझौता करती है और ऐसा करना भारत सरकार के हित में भी है ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या हमें प्रत्येक जगह सफलता प्राप्त हुई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : कई वर्ष से । गत वर्ष और उससे पहले वर्ष चीन, रूस और अरजेन्टाइना के साथ हमारा वस्तु-विनिमिय समझौता था । चीन और अरजेन्टाइना से आयातित गेहूं के बदले हम उन्हें तम्बाकू, चाय, चपड़ा तथा अन्य वस्तुयें देते थे ।

रेलवे के अस्पताल

*१५५६. **श्री मुनिस्वामी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि बाहर वालों को रेलवे अस्पताल में दाखिल किये जाने की अनुमति दे दी गई है ;

(ख) क्या बाहर वालों द्वारा दी जाने वाली फीस को असिस्टेंट सरजनों, डिस्ट्रिक्ट मैडीकल आफिसरों, चीफ मैडीकल आफिसर तथा प्रशासन द्वारा अनुपात के अनुसार बांट लिया जाता है ;

(ग) सन् १९५२ और १९५३ में रेलवे अस्पतालों में बाहर के कितने व्यक्ति दाखिल किये गये ; और

(घ) डाक्टरों को उनका भाग देने के पश्चात् रेलवे को कितनी राशि प्राप्त हुई ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां, रेलवे अस्पतालों में स्थान उपलब्ध होने पर, गैर-रेलवे वाले रोगियों के लिये अस्पताल की कुल रोग शय्याओं का दस प्रतिशत प्रयुक्त किया जा सकता है ।

(ख) जी नहीं । छोटे और बड़े आपरेशनों से प्राप्त फीस की २/५ राशि सम्बन्धित डाक्टरों को दे दी जाती है । रोग-परीक्षण, जीवाणु-परीक्षण तथा ओपरेशन की ३/५ फीस रेलवे राजस्व के नाम में जाती है ।

(ग) और (घ). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३३]**

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि रेलवे कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के लोगों की क्षय रोग चिकित्सा के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह मूल प्रश्न से बिल्कुल भिन्न प्रश्न है । किन्तु यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हों तो मैं उन्हें बाद में बतला सकूंगा ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि अस्पतालों में विस्तार करन के सम्बन्ध में विशेषकर विल्लुपुरम जंकशन के रेलवे अस्पतालों में, सरकार को दक्षिण रेलवे से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : इस काम के वास्ते सभी रेलों के लिये दक्षिण रेलवे के चीफ मैडीकल आफिसर को नियुक्त किया गया है। अस्पतालों में विस्तार करने तथा उनमें अच्छे यंत्रादि की व्यवस्था करने के मामले पर वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

श्री बैरो : क्या मैं जान सकता हूं कि इस बात के लिये क्या व्यवस्था की गई है कि रेलवे अस्पतालों में बाहर के रोगियों का जो अनुपात निश्चित किया गया है, जिसके लिये डाक्टरों को फीस मिलती है, उसका रेलवे के डाक्टरों द्वारा दुरुपयोग न किया जाय।

श्री शाहनवाज खां : जब कभी स्थान उपलब्ध होता है केवल तब ही बाहर वालों को दाखिल किया जाता है और वह भी केवल १० प्रतिशत।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि सन् १९५३ में १९५२ की अपेक्षा जो कम राशि प्राप्त हुई उसके क्या कारण हैं, जब कि सन् १९५३ में दाखिल किये गये बाहरी लोगों की संख्या १९५२ की अपेक्षा १५० प्रतिशत अधिक थी ?

श्री शाहनवाज खां : बाहर वालों से आपरेशन के लिये ली जाने वाली फीस की राशि आपरेशन की प्रकृति पर निर्भर करती है। बड़ा आपरेशन होने पर १५० रु० लिये जाते हैं। छोटा आपरेशन होने पर २५ से ५० रुपये तक लिये जाते हैं।

नये रेलवे स्टेशन

***१५५७. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने नया रेलवे स्टेशन खोलने के लिये कोई कसौटी निर्धारित की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के संसदीय सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) जहां यातायात पर्याप्त होता है, स्टेशन खोल दिया जाता है, किन्तु सामान्यतः ऐसे स्थानों पर नया स्टेशन नहीं खोला जाता जहां से तीन मील के बीच में कोई स्टेशन पहले से मौजुद हो, केवल उन क्षेत्रों को छोड़ कर जहां उपनगरीय रेल सेवा का प्रबन्ध है।

पंडित डी० एन० तिवारी : पूर्वोत्तर रेल पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने स्टेशन खोले जायेंगे।

श्री शाहनवाज खां : यह एक वृहत प्रश्न है। और इसके लिए मुझे पूर्व-सूचना की आश्यकता होगी।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या रेलवे स्टेशनों के नाम रखन का कोई सिद्धांत है। क्या मैं जान सकता हूं कि डीगवाड़ा तथा बड़ा गोपालपुर के मध्य के स्टेशनों के नाम किस सिद्धांत पर रखे गये हैं ?

श्री शाहनवाज खां : रेलवे स्टशनों को खोलने का सरकार का बहुत ठोस सिद्धांत है। मुख्य सिद्धांत यह है कि यातायात पर्याप्त हो तथा वह स्टेशन आर्थिक रूप से लाभप्रद हो। माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये दोनों स्टेशनों के सम्बन्ध में मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं नये स्टेशनों को नाम देने के सम्बन्ध में जानना चाहता था।

श्री एल० बी० शास्त्री : स्टेशनों के नाम का निर्णय सामान्यतः राज्य सरकारों के परामर्श से किया जाता है। जब भी कोई नये नाम का सुझाव आता है, हम राज्य सरकार से मशविरा करते हैं और तब नाम निर्धारित करते हैं।

माल डिब्बों का सम्भरण

*१५५८. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए माल डिब्बों के पर्याप्त सम्भरण के सम्बन्ध में १५ सितम्बर, १९५३ को योजना आयोग द्वारा जारी किए गए परिपत्र के बारे में राज्य सरकारों से किस प्रकार के उत्तर प्राप्त हुए हैं ;

(ख) स्थिति को पूर्णतया संतोषजनक बनाने के हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार सदन पटल पर कोई ऐसा विवरण रखने का है जिस से कि यह प्रकट हो सके कि १९४८ से लेकर अब तक प्रति वर्ष माल डिब्बों की संख्या में कितनी वृद्धि होती रही है तथा पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राप्त करने योग्य लक्ष्य क्या हैं ; तथा

(घ) क्या निर्माण सम्बन्धी योजनाएं तथा विभिन्न दिशाओं से सम्भरण की स्थिति पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के अनुसार है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग) तीन विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३४]**

(घ) जी हां ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : स्टेटमेंट सी के अन्त में यह बतलाया गया है कि पांच वर्ष के अन्त में २,३१,००० वैगन्स की तैयारी हो जायगी जब कि फाइव इअर प्लान के मुताबिक हमको ८००० या ८५००० वैगन बनाने की क्षमता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि पांच वर्ष के अन्त में जो ज्यादा वैगनों की हमको ज़रूरत रहेगी क्या उनके लिए सरकार ने कोई नया प्रबन्ध किया है ?

श्री शाहनवाज़ खां : जहां तक मेरे ख्याल है आनरेबिल मेम्बर ने स्टेटमेंट के पढ़ने में या उसके समझने में थोड़ी गलती की है । २,१५,८४१ वैगन ३१ मार्च सन् १९५३ में हमारे पास मौजूद हैं और जो टारजेट गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है पांच साला प्लान में वह २,३१,००० वैगन का है और जहां तक हमारा ख्याल है हम इसको न सिर्फ पूरा कर लेंगे बल्कि इन्शाअल्ला इस तादाद से बहुत ज्यादा बढ़ जायेंगे ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं मिनिस्टर साहब की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो अभी तक वैगन्स की बढ़ती हुई है वह १६,७२० है और हमको २,३१,००० चाहिए । इसमें ५७० वैगन्स की कमी पड़ती है । मैं यह जानना चाहता था कि क्या पांच साल के अन्दर में यह ५७० वैगन्स बन जायेंगी । यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि वैगन बनाने की हमारी सालाना कैपेसिटी क्या है और क्या यह बढ़ायी जा रही है ?

श्री शाहनवाज़ खां : मौजूद कैपेसिटी ८००० है जो कि १०००० तक पहुंच जायेगी ।

श्री पी० सी० बोस : क्या परिवहन साधनों की कमी का एक मात्र कारण उपलब्ध माल डिब्बों की संख्या ही है या इसके कोई अन्य कारण भी हैं, जैसा कि एक लाइन से दूसरी लाइन को माल बदलने में गतिरोध ?

श्री शाहनवाज़ खां : परिवहन साधनों की कमी के लिए माल डिब्बों की संख्या के अतिरिक्त अन्य कारण भी हैं ।

देहली नौकरी दफ्तर

*१५५९. **श्री राम जी बर्मा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५२–५३ में देहली नौकरी दफ्तर द्वारा सेवायुक्त हुए लोगों की संख्या ; तथा

(ख) ऐसे लोगों की संख्या जिन्हें पंजीबद्ध हुए एक वर्ष से अधिक हो चुका है और जिन्हें अभी तक काम नहीं दिलवाया जा सका है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) ७,७५९ ।

(ख) १५ फरवरी, १९५४, को देहली नौकरी दफ्तर के चालू रजिस्टर में इस प्रकार के ११०५ व्यक्ति थे ।

श्री राम जी वर्मा : क्या गवर्नमेंट को एम्पलायमेंट एक्सचेंज की शिकायतें मिलती हैं और यदि मिलती हैं तो उन पर सरकार ने क्या किया है ?

श्री आबिद अली : शिकायतें सामान्य तरीके की मिलती हैं जिन पर कोई खास कार्रवाई नहीं की जा सकती है । जब खास शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाती है और अगर कोई सबूत पहुंचता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है ।

श्री राम जी वर्मा : क्या सरकार को मालूम है कि इस विभाग में करप्शन, निपाटिज्म, फेवरिटिज्म और प्राविंशियलिज्म खूब चलता है ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री आर० एन० सिंह : क्या यह सही है कि इस एम्पलायमेंट एक्सचेंज के स्टाफ द्वारा नौकरी देने के सम्बन्ध में, पबलिक के कुछ लोगों से मिलकर घूस ली जाती है ?

श्री आबिद अली : मैं पहले अर्ज कर चुका हूं और फिर अर्ज करता हूं कि अगर कोई ऐसी खबर मेम्बर साहब के पास आती है तो मेहरबानी करके वह उसको हमारे पास तक पहुंचा दे और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि सख्ती से कार्रवाई करने के लिए हम खुद आतुर हैं ।

जामनगर इन्स्टीट्यूट

***१५६०. श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जामनगर की स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों सम्बन्धी गवेषणा की केन्द्रीय इन्स्टीट्यूट ने काम आरम्भ कर दिया है ; तथा

(ख) यदि कर दिया है तो १९५३ में क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां, सितम्बर, १९५३ से ।

(ख) अब तक हुई प्रगति के बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : उक्त केन्द्रीय इन्स्टीटयूट में कितने डाक्टर तथा वैद्य काम कर रहे हैं और उन में से कितने एलोपैथी की योग्यता रखने वाले हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मेरे पास यहां १२ से अधिक डाक्टरों की एक सूची है; आपकी अनुमति से मैं उसे पढ़े देती हूं ।

अध्यक्ष महादय : माननीय सदस्य केवल संख्या चाहते हैं ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : प्रबन्धकर्ता निकाय की सिपारिश के अनुसार निम्नलिखित प्राविधिक कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं :

आयुर्वेदिक मंडली :	२ वैद्य ।
	३ कनिष्ठ सहायक ।
	३ गृह वैद्य ।
	१ दार्शनिक ।
	१ आयुर्वेदिक भैषजिक
आधुनिक मंडली :	१ वैद्य
	१ व्याधिविज्ञ (पैथालोजिस्ट) एवं शाकाणुविद (बैक्टीरियालोजिस्ट)
	१ भेषजज्ञानी
	१ जीवरासायनिक

अस्पताल के कर्मचारी : १ मेटरन
१ सहायक मेटरन
१ कनिष्ठ सहायक मेटरन
१ भेषजज्ञानी

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या प्रबन्ध-कर्त्ता निकाय ने इस कालस्तर में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : उन्होंने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है किन्तु प्रशासन सम्बन्धी कुछ सिफारिशें की हैं ।

क्या अभी हाल में प्रबन्धकर्त्ता निकाय की रचना में कोई परिवर्तन किया गया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : कोई परिवर्तन नहीं किए गए हैं ।

श्री एम० डी० रामस्वामी : किन विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों के सम्बन्ध में गवेषणा की जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : जामनगर में केवल आयुर्वेदिक गवेषणा ही की जा रही है ।

विश्व वन सम्मेलन

*१५६१. **श्री डी० सी० शर्मा** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारत सरकार के आमंत्रण पर एक विश्व वन सम्मेलन बुलाया जा रहा है ?

(ख) इस सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधि होंगे ?

(ग) किन किन विषयों की चर्चा की जायेगी ।

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) चतुर्थ विश्व वन सम्मेलन भारत सरकार के आमंत्रण पर भारत में होगा ।

(ख) लगभग ८० देश ।

(ग) विश्व में वन उत्पादन तथा वन प्रबन्ध की वर्तमान स्थिति वनों के संरक्षणात्मक कार्य, वनों के उत्पाद का उपयोग, गर्म देशों में वन विज्ञान तथा अन्य सम्बन्धित मामले ।

श्री डी० सी० शर्मा : इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए यह सम्मेलन कितने दिन रहेगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह सम्मेलन पांच वर्षों में एक बार होता है । पहले सम्मेलन बुडापेस्ट और हेलसिंकी में हुए थे । भारत में यह पहली बार हो रहा है ।

श्री डी० सी० शर्मा : यह सम्मेलन कितने दिन तक होता रहेगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह सम्मेलन ११ दिसम्बर से २२ दिसम्बर तक रहेगा ।

श्री डी० सी० शर्मा: जहां तक वन विज्ञान का सम्बन्ध है, क्या भारत में प्रशिक्षण तथा शिक्षा को प्रमापित करने का कोई प्रयत्न किया जायेगा ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन है । मैं ने उन विषयों की जिन की चर्चा की जायेगी, एक लम्बी सूची दे दी है । यदि संभव हुआ, तो हम यह विषय भी सम्मिलित करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री एस० एन० दास : क्या यह सम्मेलन नई दिल्ली में होगा या किसी वन क्षेत्र में ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह देहरादून में होगा ।

रेलवे यात्री यातायात

*१५६२. **डा० राम सुभग सिंह** क्या **रेलवे** मंत्री उन रेलवे के नाम बतलाने

की कृपा करेंगे जिन पर १९५३ में यात्री यातायात में कमी हुई थी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : चालू वित्तीय वर्ष की ३१ दिसम्बर, १९५३ को अन्त होने वाले ९ मासों में, पिछले वर्ष की तत्संवादी अवधि की तुलना में, बुक किये गये यात्रियों की संख्या से पता चलता है कि केन्द्रीय उत्तर पूर्वी और दक्षिणी रेलवे पर कमी हुई है ।

डा० राम सुभग सिंह : यातायात में कमी का क्या कारण था और किस प्रकार के यातायात में यह कमी सब से अधिक थी ?

श्री शाहनवाज़ खां : मैं ने प्रश्न को समझा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि कमी का कारण क्या था और यह कमी किस प्रकार के यातायात में थी ।

श्री शाहनवाज खां : आय में कमी का कारण यह था कि कम लोगों ने यात्रा की या रेलवे का कम उपयोग किया ।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : दक्षिणी रेलवे पर यह कमी अधिकांशतः किसानों में थी । अन्य रेलवे के सम्बन्ध में कारण बतलाना बहुत कठिन है । किन्तु जैसा कि माननीय सदस्य को विदित है, उस ओर यात्री यातायात में कमी हुई है । किन्तु अब यह इतनी तेज़ नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : इस डिक्लाइन के कारण रुपये, आने, पाई में कुल कितना घाटा हुआ है ?

श्री शाहनवाज़ खां : तमाम रेलों के ऊपर कुल ८९ लाख, २५०० रुपये का घाटा हुआ ।

मध्य भारत में डिब्बों का आना जाना

*१५६३. **श्री गिडवानी :** (क) क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान ९ फरवरी, १९५४ को, "टाइम्स आफ इन्डिया" के दिल्ली संस्करण के पृष्ठ ५ पर प्रकाशित एक मध्य भारत सम्बन्धी समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें बताया गया है कि हाल में डिब्बों के आने जाने की स्थिति काफ़ी बिगड़ गई है और मालवा के व्यापारी लोगों को अपने व्यापार में काफ़ी कठिनाई हो रही है ?

(ख) क्या यह सच है कि मध्य भारत यात्री तथा यातायात सन्था, मध्यभारत मिल मालिक सन्था और इन्दौर काग्रेस ने इस सम्बन्ध में सरकार से अभ्यावेदन किये हैं ?

(ग) यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां ।

(ख) उन दो सन्थाओं से जिन का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

(ग) जून और जुलाई १९५३ में असाधारण गर्मी के कारण और इस बात के कारण कि बम्बई सरकार डिब्बों में अकाल के क्षेत्रों को अत्यधिक घास भेज रही थी, यातायात की स्थिति अस्थायी रूप से खराब हो गई थी । किन्तु अगस्त १९५३ के अन्त में स्थिति ठीक हो गई थी ।

श्री गिडवानी : क्या यह सत्य है कि साधारणतया बम्बई और इन्दौर के बीच माल भेजने के लिए एक सप्ताह लगता है किन्तु अब एक मास या डेढ़ मास से भी अधिक समय लगता है ?

श्री शाहनवाज खां: कुछ मामलों में यह सत्य हो सकता है। मैं बतला चुका हूं कि इस का कारण असाधारण गर्मी है। पानी की कमी थी और हमें अपनी गाड़ियों को अन्य स्थानों से पानी लेने के लिए भेजना पड़ता था। अकालग्रस्त क्षेत्रों को घास और खाद्य के बहुत से डिब्बे भेजे गये थे। यही इस के कारण थे।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को विदित है कि मिल मालिकों को अपनी मिलें बन्द करने की सूचना देनी पड़ी थी, क्योंकि उन्हें कोयला समय पर नहीं मिला था और इस के फलस्वरूप उन्हे बहुत से श्रमिकों की छटनी करनी पड़ी थी ?

श्री शाहनवाज खां : यह केवल एक धमकी ही थी। वास्तव में कोई मिल बन्द नहीं की गई थी। हम मानते हैं कि कुछ विलम्ब अवश्य हुआ था, किन्तु यह केवल थोड़े समय के लिए हुआ था। अब स्थिति बिल्कुल सुधर गई है और कोई विलम्ब नहीं होता।

श्री गिडवानी : क्या यह केवल गर्मी के कारण है या किन्हीं अन्य बातों के कारण ?

श्री शाहनवाज खां : मैं ने कहा है इस का कारण गर्मी है और यह भी कि डिब्बों में बहुत सा घास और खाद्यान्न भेजा गया है।

श्री गिडवानी : क्या डिब्बों के आवंटन में कोई विभेद किया जाता है ?

श्री शाहनवाज खां: बिल्कुल नहीं।

श्री एन० एल० जोशी : इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ती है और मांग किस हद तक पूरी की जा सकती है।

श्री शाहनवाज खां : मुझे इसके लिए पूर्वसूचना चाहिए। किन्तु में यह बतलाना चाहूंगा कि इन्दौर की ओर मीटर गेज पर जाना पड़ता है और उज्जैन और रतलाम के बीच गेज बदल जाता है जिस के कारण यातायात में गतिरोध हो जाता है।

मद्रास उपाहारगृह

***१५६४. श्री बालसुब्रह्मण्यम :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दक्षिणी रेलवे के मदुरा जंकशन पर मैसर्ज़ स्पेंसर एंड कम्पनी को दिये गये स्थान के लिए सरकार एक रुपये का नाम मात्र भर किराया लेती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उसी स्थान पर आमिश उपाहारगृह से ३०० रुपये प्रति मास वसूल करना कैसे उचित समझती है।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, एक रुपया प्रति मास।

(ख) ३०० रुपये प्रति मास की लाइसेंस फीस उन प्रस्तावों के आधार पर निश्चित की गई थी, जो इस उपाहारगृह को चलाने के लिए प्राप्त हुए थे और इसे वर्तमान ठेकेदार ने स्वेच्छा से स्वीकार किया था।

रेस्तोरां से एक नाम मात्र की लाइसेंस फीस ली जाती है, क्योंकि पूंजी सामान, कर्मचारीवृन्द और इस सेवा के अधीक्षण की व्यवस्था पर वित्तीय व्यय काफ़ी होता है जब कि विक्रय बहुत कम होता है।

श्री कक्कन : नाम मात्र फीस लेने के कारण क्या हैं ?

श्री शाहनवाज खां : मैं ने अभी बतलाये हैं।

श्री बालकृष्णन: स्पेंसर कितने स्थानों पर उपाहारगृह चला रहा है और क्या प्रत्येक से एक रुपया किराया लिया जाता है ?

श्री शाहनवाज खां : दक्षिणी रेलवे पर स्पेंसर के ४४ रेस्तोरां हैं और प्रत्येक से एक रुपया किराया लिया जाता है ।

श्री बालकृष्णन : जब दूसरे व्यक्ति का उपाहारगृह ३०० रुपये दे रहा है तो सरकार किराये में इतना घाटा क्यों उठा रही है ?

श्री शाहनवाज खां : जैसा कि मैं ने अभी कहा है, पश्चिमी तरीके के रेस्तोरां के ग्राहकों की संख्या बहुत कम हो गई है और उन्हें बहुत थोड़ा लाभ होता है । इन की तुलना में भारतीय उपाहारगृहों को बहुत अधिक लाभ होता है । किराये की दर वास्तविक लाभ पर निश्चित की जाती है ।

डा० राम सुभग सिंह : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में संभासचिव ने कहा है कि यह किराया वर्तमान नियमों के आधार पर निश्चित किया जाता है : मदुरा में मसर्ज स्पेंसर एण्ड कम्पनी को दिये गये स्थान के लिए एक रुपये का किराया किस आधार पर निश्चित किया गया था ?

श्री शाहनवाज खां : १९५० में इस बात के लिए सुझाव देने के लिए कि पश्चिमी तरीके की भोजन व्यवस्था का स्तर कैसे ऊंचा रखा जाये, पदाधिकारियों की एक विशेष समिति नियुक्त की गई थी । इस समिति ने यह सिफ़ारिश की थी कि कमरों आदि के लिए इन से जो किराया वसुल किया जाये, वह नामनात्र हीना चाहिए । यह दर इस समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार निश्चित की गई थी ?

दीवा-दास गांव लाइन

*१५६५. **श्री एम० डी० जोशी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दीवा-दास गांव रेलवे सर्वेक्षण में कितनी प्रगति हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : सर्वेक्षण का क्षेत्रीय काम जारी है और रिपोर्ट के इस वर्ष के अन्त तक तैयार हो जाने की आशा है ।

रेलवे वर्क शाप मैसूर

*१५६६. **श्री एन० राचय्या :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) रेलवे वर्कशाप, मैसूर में १९५३-५४ में नियक्त किये गये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या ; तथा

(ख) इनमें से कितने अनूसूचित जाति के हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) चार ।

(ख) कुछ नहीं ।

श्री एन० राचय्या : क्या ऐसी नियु-क्तियां करने के लिये कोई समिति है और यदि है तो उस समिति में कोई गैर-सरकारी लोग भी हैं ?

श्री शाहनवाज खां : ये सभी नियुक्तियां क्षेत्र अथवा जिले के आधार पर की जाती हैं । चुनाव करने वाली समिति में तीन रेलवे अधिकारी हैं । इसमें गैर-सरकारी व्यक्ति कोई भी नहीं है ।

श्री एन० राचय्या : क्या ये नियुक्तियां नौकरी दफ्तरों द्वारा की जाती हैं ?

श्री शाहनवाज खां : कुछ अंश तक ; अधिकांश नियुक्तियां सीधे ही की जाती हैं ।

श्री एन० राचय्या : क्या सरकार को विदित है कि इन नियुक्तियों को करने में समिति किसी निश्चित सिद्धांत अथवा नीति का पालन नहीं कर रही है ?

श्री शाहनवाज खां : ऐसा इस लिये है कि ये नियुक्तियां जिले के आधार पर की जाती हैं और इसके लिये कोई निश्चित नियम नहीं बनाये गये हैं। माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि दिसम्बर, १९५३ में, गोल्डन-राक्स वर्कशाप में ५३ लोगों की नियुक्तियां की गई थीं जिनमें से ५२ अनुसूचित जाति के लोग थे। अतः कभी सूची में सम्मिलित संख्या अनुपात से कहीं अधिक हो सकती है और कभी कम।

गोसम्बर्धन

*१५६७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोसम्बर्धन की केन्द्रीय परिषद् नें पशुओं के विकास के लिये कोई योजनायें बनाई हैं और यदि ऐसा है, तो उनकी प्रमुख विशेषतायें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३५]**

श्री विभूति मिश्र : इस स्टेटमेंट को देखने से पता चलता है कि वर्तमान समय में जो गोशालायें और पिंजरापोल हैं वे प्रायः शहरों ही में होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि देहात के जानवरों के लिये गोसम्वर्धन की कौन सी स्कीम (योजना) आप के पास है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : विलेजेज़ (ग्रामों) के लिये भी स्कीम है।

श्री विभूति मिश्र : गोसम्वर्धन का जो जरनल निकलता है, वह गांव के किसानों को सस्ते दाम पर और सहूलियत से मिल सके, इसके लिये कोई उपाय सोचा जा रहा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम ने एक जरनल को ऐब्रिज (संक्षिप्त) किया है, उसका नाम है गोसम्बर्धन क्वार्टरली बुलेटिन यह गांव वालों के लिये हिन्दी में प्रिंट किया जा रहा है।

श्री विभूति मिश्र : मैंने पूछा था कि गांव के किसानों को यह सस्ते दाम पर और सहूलियत से मिल सके, इस के लिये क्या उपाय किया जा रहा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम इस विषय पर विचार करेंगे।

केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था

*१५६८. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था, कटक, में स्थापना तथा सामग्रियों की उपयुक्तता अथवा अन्यथा स्थिति की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : जी हां।

श्री संगण्णा : क्या इस तथ्य की दृष्टि से कि कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत नई योजनायें कार्यान्वित की जायेंगी, कोई नई सामग्री क्रय की गई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : पिछले वर्ष एक समिति की नियुक्ति की जा चुकी है। हम इसी मास के तृतीय सप्ताह तक उस समिति की रिपोर्ट पाने की आशा रखते हैं। समिति की रिपोर्ट तथा उसमें की गई सिफारिशों पर बहुत कुछ निर्भर करता है।

पालघाट रेलवे स्टेशन

*१५६९. **श्री आई० इयाचरण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मैसर्स कालटक्स लिमिटेड ने पालघाट रेलवे स्टेशन यार्ड के कुछ भाग का पट्टा दे दिया है ;

(ख) यदि ऐसा है तो पट्टे की शर्तें ;

(ग) क्या इस पट्टे से पड़ोस के लोगों के जीवन तथा सम्पत्ति को कोई हानि की सम्भावना हो जायेगी ; तथा

(घ) पालघाट नगर पलिका परिषद् के स्टेशन-यार्ड के कुछ भाग को पट्टे पर देने के निवेदन को सरकार ने किन परिस्थितियों के वशीभूत हो कर अस्वीकार किया ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इसकी शर्तें उसी प्रकार की हैं जैसीं कि इंजीनियरिंग विभाग के भारत सरकार रेलवे संहिता के परिशिष्ट ५ में दिये गये समझौते के नमूने के फार्म में दिखाई गई हैं, जिसकी एक प्रतिलिपि सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

(घ) नगर पालिका ने हाल ही में अपनी आवश्यकता में संशोधन कर दिया है और यह विषय अभी विचाराधीन है ।

श्री आई० इयाचरण : क्या दक्षिण रेलवे से इस सम्बन्ध में परामर्श किया गया था और यदि ऐसा है तो उसका उत्तर क्या था ?

श्री शाहनवाज खां : मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

श्री अच्युतन : बर्माशेल की टंकी के निकट स्थान देने के बदले रेलवे स्टेशन के निकट स्थान देने की बात विभाग ने किस कारण से सोची ?

श्री शाहनवाज खां : क्योंकि कम्पनी के दृष्टिकोण से यह नया स्थान अधिक उपयुक्त समझा गया था ।

श्री केलप्पन : नगर पालिका परिषद् इस स्टेशन यार्ड का कुछ भाग किस कार्य के लिये चाहती थी ?

रेलवे तथा परिहवन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : नगर पालिका समिति वहां पर गाड़ी का अड्डा बनाना चाहती थी और हम उस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ।

आन्ध्र के लिए उर्वरक

*१५७०. **श्री रघुरामय्या** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आंध्र राज्य ने १९५४ में उर्वरक क्रय करने के लिये सरकार से कुछ ऋण की मांग की है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो स्वीकृत की गई ऋण राशि ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री रघुरामय्या : क्या इस वर्ष भी आंध्र के लिये कुछ राशि नियत की गई है और स्वीकार किये जाने वाले ऋण के लिये क्या कोई समयावधि भी है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस वर्ष आंध्र के लिये ६५,००० टन अमोनिया सल्फेड नियत की गई है । पिछले वर्ष हमने उसके लिये ८,००० टन मात्रा नियत की भी

जिसके लिये हमने उसको लगभग २५ लाख रुपया दिया था। इस वर्ष यदि आंध्र सरकार कुछ ऋण मांगती है, तो हम उस पर विचार करने तथा अल्प-कालिक ऋण देने को तैयार हैं।

श्री नानादास : क्या राज्य सरकारों के लिये इन उर्वरकों के लिये ऋण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के पास इन्डेंट प्रस्तुत करने की कोई समयावधि निर्धारित की गई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : कोई भी समयावधि निश्चित नहीं की गई है। हमने ६५,००० टन नियत किया था, और आंध्र को इसकी स्वतन्त्रता है कि वह जब भी चाहे अथवा आंध्र में जब भी उसकी आवश्यकता हो सिन्दरी से ले जा सकता है।

नागरिक उड्डयन विभाग के आग बुझाने वाले कर्मचारी

*१५७२. **श्रीमती जयश्री :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि नागरिक उड्डयन विभाग के आग बुझाने वाले कर्मचारियों को अग्नि रक्षक वर्दियां नहीं गई हैं ; तथा

(ख) क्या उनका जीवन बीमा हो गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) विषय विचाराधीन है।

श्री के० के० बसु : (ख) का उत्तर है कि यह विचाराधीन है। (क) तथा (ख) का उत्तर विचाराधीन कैसे हो सकता है जब कि (क) भाग सच है।

अध्यक्ष महोदय : हम निर्वाचन पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। यहां उत्तर स्पष्ट है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। डा युगल किशोर सिंह।

बाबू राम नारायण सिंह : उसके लिये मैंने लिखित अधिकार दाखिल कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : तब इस पर अन्त में विचार होगा।

स्टीमरों का भाड़ा

*१५७५. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार का उन कम्पनियों के भाड़ों तथा किरायों के सम्बन्ध में जांच कराने का विचार है जो कि कलकत्ता से आसाम तक स्टीमर चलाती हैं ; तथा

(ख) यदि विचार है तो क्या इस जांच में गंगा में चलने वाले स्टीमरों के भाड़े तथा किराये का प्रश्न भी शामिल होगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख) यात्रियों के किराये के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तथा इस समय विचार तो यही है कि इस जांच को गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों में चलने वाले स्टीमरों के वस्तु भाड़े के प्रश्न तक ही सीमित रखा जाये।

श्री के० पी० त्रिपाठी : इस मामले की जांच के लिये कब कोई समिति स्थापित किये जाने की संम्भावना है ?

श्री शाहनवाज खां : यह समिति पहले ही नियुक्त की गई है तथा वह इस समय यह काम कर रही है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सत्य है कि आसाम तथा कलकत्ता के बीच चलने वाले इन स्टीमरों के यात्री किरायों में भी फर्क है ? यदि है, तो क्या इस मामले की भी जांच की जायेगी ?

श्री शाहनवाज खां : यात्रियों के किराये का विषय इस समय हमारे सामने नहीं है । इस समय प्रश्न केवल वस्तु भाड़े का है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : यह जांच कब पूरी होगी ?

श्री शाहनवाज खां : आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक पूरी होगी ।

केन्द्रीय श्रम न्यायाधिकरण

***१५७६. डा० नटवर पांडे** : (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ तथा १९५३ में औद्योगिक बोर्ड तथा न्यायाधिकरणों ने कितने औद्योगिक विवादों का फैसला किया है ?

(ख) उन में से कितने मामले अपीलीय न्यायाधिकरणों के पास गये तथा उनका परिणाम क्या निकला ?

(ग) कितने मामलों पें अनुचित पदच्युति के कारण कमकरों को नौकरी पर बहाल किया गया ?

(घ) क्या सरकार इस सम्बन्ध में एक सविस्तर सूचना देने वाला विवरण सदन पटल पर रख देगी ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) इस कालावधि में सरकार ने कोई समझौता बोर्ड नियुक्त नहीं किया । केन्द्रीय सरकार ने निर्णय के लिये जितने भी विवाद औद्योगिक न्यायाधिकरणों को सौंपे थे उनमें से १९५२ तथा १९५३ में क्रमशः १८ तथा ५० विवादों के सम्बन्ध में पंच निर्णय दिया गया ।

(ख) से (घ) तक. सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उसे सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

पटसन

***१५७७. श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में त्रिपुरा में पटसन का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) उस वर्ष पटसन कितने औसत मूल्य पर बेचा गया ;

(ग) त्रिपुरा तथा बंगाल में पटसन की प्रचलित कीमतों में प्रति मन कितना अन्तर है ; तथा

(घ) अंतर का, यदि कोई हो, कारण क्या है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) ३८,००० गांठें ।

(ख) से (घ) तक . राज्य सरकारों से यह सूचना मांगी गई है तथा ज्योंही यह प्राप्त होगी तो इसे सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

गन्ना

***१५७८. श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गन्ना पेरने के इस मौसम में बिहार की चीनी मिलों ने कुल कितना गन्ना (टनों में) पेरा है ; तथा

(ख) गत मौसम के मुकाबिले में वर्तमान स्थिति कैसी है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) तथा (ख) . गन्ना पेरने के चालू मौसम में बिहार में चीनी मिलों ने १४·४७ लाख टन गन्ना पेरा जबकि

१९५२-५३ के मौसम में इन्होंने २७·२० लाख टन गन्ना पेरा था ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि बिहार की विभिन्न चीनी मिलों को कम गन्ना मिलने के कारण क्या हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस कमी के कई कारण हैं । बोने के समय मौसम की खराबी, बाढ़ तथा गन्ने को अधिकांश रूप से गुड़ बनाने के काम में लाने के कारण गन्ने की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र में लगभग पन्द्रह से बीस प्रतिशत तक कमी हुई है ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या यह सत्य है कि किसानों को गन्ने की अपेक्षा अन्य व्यावसायिक फसलों की खेती अधिक लाभदायक सिद्ध हो रही है ? यदि हो रही है तो सरकार गन्ने की खेती का सुधार करने तथा इसके अन्तर्गत क्षेत्र को बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह एक विवादास्पद विषय है । क्या अन्य फसलें अधिक लाभकर हैं अथवा नहीं, यह बात कन्ट्रोल के होने न होने पर निर्भर है । यदि कन्ट्रोल हटाया गया हो तो अनाज के लिये कभी कभी बहुत कम कीमतें मिलती हैं जैसे कि गत वर्ष पंजाब में हुआ था ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : सरकार गन्ने की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाने के लिये तथा खेती के उपायों में सुधार करने के लिये जिससे कि उत्पादन बढ़ जाय, क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम गन्ने की खेती को प्रोत्साहन देना चाहते हैं जिससे कि हम किसी भी समय चीनी का आयात बन्द कर सकें । गत वर्ष हमें कुछ चीनी आयात करनी पड़ी तथा इस वर्ष भी हमें कुछ चीनी आयात करनी है । हम चीनी का आयात बन्द करना चाहतें हैं तथा इस लिये हम देश में गन्ने का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं । इस बात को दृष्टि में रखते हुये हम कृषकों को उधार के रूप में खाद दे रहे हैं तथा नल कूप आदि लगा कर गन्ना उत्पादकों को सिंचाई की अधिक सुविधायें दे रहे हैं । बिहार तथा उत्तर प्रदेश में ऐसा ही किया गया है । उत्पादन बढ़ाने के लिये हम यह सुविधायें दे रहे हैं ।

डा० रामा राव : गन्ने की इस कमी के लिये कम कीमतें कहां तक जिम्मेदार हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा यह तो मैं नहीं कह सकता हूं ।

श्री केलप्पन : इस उत्पादन का कुल कितना भाग चीनी की मिलों में जाता है ?

श्री एन० वी० कृष्णप्पा : ऐसा समझा जाता है कि हम इस देश में ५२ लाख टन शक्कर पैदा करते हैं ; इस में से सवा दस लाख टन चीनी है ।

नमक उद्योग के कमकर

*१५८०. **श्री केशवैयंगार :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार नमक उद्योग के कमकरों की हालत से परिचित है ;

(ख) यदि है, तो सरकार उनकी हालत सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ;

(ग) भारत में नमक उद्योग में काम करने वाले कमकरों की कुल संख्या क्या है ; तथा

(घ) १९५२ तथा १९५३ में नमक निर्यात करने के परिणामस्वरूप कुल कितना विदेशी विनिमय आर्जित किया गया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) तथा (ख) . सम्बन्धित राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(ग) नमक उद्योग में काम पर लगे दैनिक मजदूरों की औसत संख्या लगभग ३२,००० है ।

(घ) १९५२ तथा १९५३ में नमक के निर्यात से अर्जित किया गया विदेशी विनिमय क्रमशः लगभग ५७ लाख रुपये तथा ४५ लाख रुपये है ।

श्री केशवैयंगार : क्या इन ३२,००० में वह कमकर भी शामिल हैं जो कि एक विशेष काल (मौसम) में काम करते हैं तथा यदि नहीं तो उनके समेत कुल कितनी संख्या है ?

श्री आबिद अली : इस में सामयिक श्रमिक भी शामिल हैं, परन्तु विशेष काल (मौसम) में संख्या ५६,००० तक बढ़ जाती है ।

श्री नानादास : इन नमक कारखानों पर फैक्टरी अधिनियम लागू न करने के कारण क्या हैं यद्यपि नमक बनाने के कारखाने प्रत्येक दृष्टि से फैक्टरियां ही तो हैं ?

श्री आबिद अली : जब कभी फैक्टरी अधिनियम लागू किया जा सकता है, तो इसे लागू किया जाता है ।

श्री केशवैयंगार : क्या इन कमकरों पर न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू होता है ; क्या उनके लिये न्यूनतम मजूरी निश्चित की गई है और यदि की गई है तो यह न्यूनतम मजूरी क्या है ?

श्री आबिद अली : बम्बई सरकार ने पहले ही नमक उद्योग में सेवायुक्ति के विषय को न्यूनतम मजूरी अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया है । त्रावनकोर-कोचीन तथा सौराष्ट्र की सरकारें भी इस विषय को इस अनुसूची में शामिल करने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं ।

श्री रघुरामय्या : नमक किन किन देशों को निर्यात किया जाता है ?

श्री आबिद अली : अधिकांश रूप से जापान को ।

खांड का आयात

*१५८२. **श्री कासलीवाल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या किन्हीं चीनी व्यापारियों की ओर से खांड के आयात के लिये कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या खांड के आयात के लिये सरकार द्वारा आवश्यक परमिट जारी कर दिये गये हैं अथवा उसका ऐसा करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी खांड का आयात किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) हां, लेकिन अधिकांश प्रार्थनापत्र चीनी मिलों की ओर से प्राप्त हुए हैं ।

(ख) सरकार केवल साफ करने के प्रयोजन से ही खांड के आयात के लिये परमिट जारी करने का विचार रखती है ।

(ग) वर्तमान स्थिति में यह कहना कठिन है कि यथार्थ में कितनी राशि आयात की जायेगी ।

श्री कासलीवाल : क्या गन्ने की खेती में और अधिक कमी होने से उत्पादन के अभाव को पहले से देख कर ही उक्त मात्रा में खांड का आयात किया गया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : कदापि नहीं । हम चीनी मिलों की निष्क्रिय क्षमता का उपयोग करना चाहते हैं । उनमें से कुछ

केवल दो या तीन महीने काम करती हैं और शेष अवधि में बेकार रहती हैं। हम कुछ चीनी का आयात कर शोधन कार्य के लिये उन्हें देना चाहते हैं ताकि शेष अवधि में भी उनके पास कुछ काम रहे। लेकिन वर्तमान सन्दर्भ में, हम कह सकते हैं कि चीनी की कमी के कारण हम इन सब बातों पर विचार कर रहे हैं।

श्री कासलीवाल : क्या सरकार ने १९५४ में आयात हेतु चीनी का कोई अभ्यंश अथवा अन्तिम बिन्दु निर्धारित किया है और यदि हां तो क्या उक्त अभ्यंश में इस चीनी का आयात भी सम्मिलित है अथवा क्या वह अभ्यंश के अतिरिक्त है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : चीनी के अन्तिम लक्ष्य की घोषणा सदन में की जा चुकी है। गत वर्ष हमारे पास चीनी अवश्यकता से कम थी और वह बाहर से मंगानी पड़ी। इस वर्ष भी हमें चीनी का आयात करना पड़ेगा लगभग १७ लाख टन चीनी खपत होने की आशा है जब कि उत्पादन इस वर्ष १० १/४ लाख टन है। यदि आवश्यकता हुई तो शेष चीनी का आयात करना पड़ेगा।

श्री बोगावत : मैं खांड शोधन की दर जानना चाहता हूं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह खांड की बाहरी कीमत पर निर्भर है।

श्री बोगावत : क्या कोई निश्चित दर नहीं है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : नहीं।

दूरभाष संवाद दर प्रणाली

*१५८३. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या संचार मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या संवाद दर प्रणाली का विस्तार १९५३-५४ में किसी अन्य स्टेशन पर भी किया गया है ; और

(ख) दिल्ली टेलीफोन्स (दूरभाष) को टेलीफोन संख्या '९४' से उनके आरम्भ काल से कितनी आय हुई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां ; यह तीन एक्सचेंजों तक विस्तृत किया गया है :

(१) अल्लेपी

(२) कोट्टयम्

(३) क्विलान (१९५३ में)।

(ख) आरम्भ होने की तिथि अर्थात् पहली सितम्बर, १९५२ से १५ मार्च, १९५४ तक अनुमानित आय लगभग ४,२०,००० रुपये है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या संवाद दर प्रणाली के पुरःस्थापन से इसके अन्तर्गत लाये जाने वाले स्टेशनों के टेलीफोन आने के परिणामस्वरूप उसकी आय पर प्रभाव पड़ा है ?

श्री राज बहादुर : कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि हुआ भी है तो उच्च धारा की ओर ही।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि टेलीफोन नम्बर '९४' प्रारम्भ करने का निर्णय केवल वित्तीय कारणों से ही किया गया था अथवा क्या इसके लिये और भी कारण हैं ?

श्री राज बहादुर : यह सेवा में कुशलता लाने की दृष्टि से किया गया था। काम के व्यस्त घंटों में प्रति घंटा ४,००० से ५,००० 'काल्स तक मिलती थीं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार ने उक्त मीटर के लिये प्रातःकाल में एक घंटा चार्ज न करने की मंत्रणा पर विचार किया है, ताकि टेलीफोन रखने वाले अपनी घड़ियां ठीक कर लें ?

श्री राज बहादुर : यह एक सुझाव ही तो है जिसे हम ध्यान में रखेंगे।

गेहूं का आयात

***१५८४. श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) अंतर्राष्ट्रीय गेहूं करार के अन्तर्गत गेहूं की कुल कितनी मात्रा अभी तक खरीदी गई ;

(ख) भारतीय तट पर पहुंचने वाले गेहूं की कुल मात्रा कितनी है ;

(ग) शेष मात्रा की कब तक यहां पहुंचने की आशा है ; और

(घ) क्या सरकार ने निर्यात करने वाले देशों से गेहूं खरीदने के पूर्व उसकी किस्म जानने के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर ध्यान दिया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार (जो पहली अगस्त, १९५३ से प्रारम्भ होता है) को नया एवं संशोधित रूप देने के प्रथम वर्ष के दौरान में हमने अभी तक आस्ट्रेलिया से ९,२५० टन गेहूं खरीदा है।

(ख) ९,२५० टन की कुल मात्रा।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(घ) हां, श्रीमान।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या निर्यात करने वाले देशों में बाजार भाव करार की दर से अधिक है अथवा कम ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह न्यूनतम और उच्चतम क्रमशः १·५५ डालर और २·०५ डालर के बीच में है।

श्री के० पी० सिन्हा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या गेहूं आयात करने के पूर्व उसकी जांच करने के लिये हमारा अपना अभिकर्ता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस प्रश्न का पहले उत्तर दे दिया गया है। आस्ट्रेलिया और अमेरिका में उन देशों के कृषि मंत्रालय द्वारा नियुक्त आढ़तियों द्वारा इसकी जांच की जाती है।

श्री बूवराघसामी : क्या यह गेहूं सीधे सरकार द्वारा खरीदा जाता है अथवा गैर-सरकारी साधनों द्वारा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस मामले में आयात केवल ९,००० टन के करीब है। हमारा एक जहाज आस्ट्रेलिया से लौट रहा था और लौटते समय उसे कुछ सामान देने के विचार से हमने करार के प्रथम वर्ष में इस मात्रा के आयात का निर्णय कर लिया।

रेलों द्वारा खरीदी गई सामग्री

***१५८५. श्री मुनिस्वामी :** क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि रेलों के लिये सामग्री खरीदे जाने में भारी हानि उठाई जा रही है ; और

(ख) क्या दक्षिण रेलवे द्वारा बांस की खपाचियां ४ आना प्रति फुट के हिसाब से खरीदी गई है, जबकि एक बण्डल (लगभग ६० फीट) दो रुपये में प्राप्त है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) सामान खरीदने के लिये रेलों के पास नियमित प्रक्रिया निर्धारित है और प्रस्तुत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये कोई आधार नहीं है।

(ख) नहीं, श्रीमान।

श्री मुनिस्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि उक्त बांस की खपाचियों को खरीदने के ठेकेदार कौन हैं तथा उनकी संख्या कितनी है ?

श्री शाहनवाज़ खां : मैं विशिष्ट व्यक्तियों के नाम नहीं जानता हूं। लेकिन एक खुला टेंडर दिया जाता है और सबसे सस्ता टेंडर स्वीकृत हो जाता है।

कोचीन बन्दरगाह में सुधार

*१५८६. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **परिवहन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोचीन बन्दरगाह में सुधार करने की दृष्टि से केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पूना में किये जा रहे प्रयोग सम्पूर्ण हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो अनुसंधान स्टेशन की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये अपेक्षित व्यय अनुमानतः कितना है ;

(ग) क्या सिफारिशों पर काम आरम्भ कर दिया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सिफारिशों को कार्यान्वित करने से किन किन फायदों की आशा है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) उपरोक्त निर्दिष्ट प्रयोग पूरे हो चुके हैं।

(ख) लगभग ७ १/२ लाख रुपये।

(ग) नहीं।

(घ) कुछ माडलों का और अध्ययन करने तक सिफारिशों की कार्यान्विति उचित नहीं समझी गई है।

(ङ) इस से जिस लाभ की आशा की जाती है वह यह है कि मट्टनचेरी नहर में भर जाने वाली रेत में विचारणीय मात्रा में कमी होगी और उसे साफ करने के निर्वहन में भी बचत होगी।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि इन सुझावों की जांच फिर से अब कौन कर रहा है और इस काम के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

श्री शाहनवाज़ खां : इस नये काम को सेंट्रल वाटर एन्ड रिसर्च स्टेशन, पूना फिर से कर रहा है, यह काम कब तक खत्म हो जायगा, यह मैं नहीं कह सकता।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इसकी जांच करने की फिर से क्या आवश्यकता पड़ गई और अभी जो एक्सपेरीमेंट हुआ था, उस में क्या खर्च पड़ा था ;

श्री शाहनवाज़ खां : जो एक्सपेरीमेंट हुआ था उसमें १ लाख ६२ हज़ार रुपये खर्च हुए थे और उसकी ज़रूरत इसलिये पड़ गई कि जो रिपोर्ट मांगी गई थी वह एक महदूद नुक्ते निगाह से की गई थी कि मट्टनचेरी चैनल जो है उसकी सिल्टिंग के बारे में देखना था, लेकिन अब जो नये नजरिये एडमिनि-स्ट्रेटिव अफसर ने रखे हैं कि उसका असर दूसरी तरह से ट्रैफिक पर बुरा पड़ेगा और जिस में समुद्र का भी आपको सोचना होगा, इसलिये नये नुक्ते निगाह से इसको दुबारा देखने की जरूरत महसूस हुई।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या पूना रिसर्च स्टेशन को अब यह काम सिपुर्द कर दिया गया है ?

श्री शाहनवाज़ खां : हां, वह अब इस काम को शुरू कर रहे हैं।

हैदराबाद में डाकघर

*१५८९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हैदराबाद राज्य की डाकीय सेवाओं के विलय के बाद वहां कितने डाकघर खोले गए ;

(ख) विलय से पहले हैदराबाद राज्य में राज्य तथा संघ के कितने डाकघर चल रहे थे ; और

(ग) उक्त राज्य में १९५४-५५ में कितने डाकघर खोले जाने वाले हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) २८-२-५४ तक ७५९ डाकघर खोले जा चुके हैं ।

(ख) राज्य के डाकघर १,७१९
संघ के डाकघर ४६

(ग) लगभग ४२० ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इन खोले जाने वाले नये डाकघरों में से राज्य के भूतपूर्व जागीरदारी क्षेत्र में कितने खोले जायेंगे ?

श्री राज बहादुर : मैं एकदम बिना देखे बूझे इनका ब्यौरा नहीं दे सकता ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : हैदराबाद नगर में कितने डाकघर चल रहे हैं ?

श्री राज बहादुर : पूर्वसूचना मिलने पर इसका ब्यौरा बता दूंगा । मैं ने कुल संख्या बता दी है ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह जो नये पोस्ट आफिस खुले हैं उन में से गांवों में कितने खोले गये हैं और किस आधार पर खोले गये हैं ? प्रायार्रटी किस आधार पर दी जाती है ?

श्री राज बहादुर : गांवों में जो खोले गये हैं वह दो हज़ार की जन संख्या के आधार पर खोले गये हैं और अब ग्रुप सिस्टम के आधार पर खोले जा रहे हैं ; प्रायार्रटी इस आधार पर दी जाती है कि जहां तीन मील के एरिया में कोई पोस्ट आफिस न हो और जहां की जनसंख्या दो हज़ार हो ?

डा० सुरेश चन्द्र : औरंगाबाद के बैकवर्ड एरिया में कितने पोस्ट आफिस खोले गये हैं ?

श्री राज बहादुर : जैसा मैं ने कहा मेरे पास अलग अलग जगह का ब्रेकअप नहीं है ।

त्रिपुरा में हैजा

*१५९०. **श्री दशरथ देव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि त्रिपुरा राज्य स्थित जेलियामूरा क्षेत्र में हैज़ा फैला हुआ है जिस के कारण बहुत लोग मर गये हैं ;

(ख) यदि सरकार को मालूम है तो इस समय उस क्षेत्र में इस महामारी से कितने गांव प्रभावित हुए हैं ;

(ग) आज तक कितने लोग मर गये हैं ; और

(घ) त्रिपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां साधारणतया दवाई दारू की कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं, इस महामारी को रोकने के लिये वहां के स्थानीय पदाधिकारियों ने क्या सक्रिय कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख). त्रिपुरा राज्य स्थित जेलिया मूरा क्षेत्र में हैज़ा फैलने के सम्बन्ध में कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली है । यों तो जलियामूरा को छोड़कर राज्य के अन्य क्षेत्रों में हैज़े से हुई इक्की दुक्की मौत की रिपोर्ट मिली है ।

(ग) राज्य के विविध क्षेत्रों में ६ व्यक्ति मर चुके हैं ।

(घ) सभी लोगों को टीका लगवाने की व्यवस्था कर दी गई है, और इस महामारी पर रोक लगाने के लिय और लोगों को भी काम में लिया गया है ।

श्री दशरथ देव : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि भूतकाल में प्रति वर्ष, विशेषतः मई से जुलाई के अन्त तक, पहाड़ी क्षेत्रों में हैज़ा फैला करता था, क्या सरकार उन क्षेत्रों में वर्ष भर की इस अवधि में अस्थायी

रूप से कम से कम एक चलते फिरते दवाई घर की नियुक्ति के सम्बन्ध में सोच रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राज कुमारी अमृत कौर): श्रीमान्, कई तरह की सावधानी बरती जा रही है और सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है, और इस वर्ष के आयव्ययक में ३२ हज़ार रुपये की राशि भी इस बात के लिए मंजूर की गई है कि संक्रामक रोगों से पीड़ित रोगियों के लिये एक बार्ड बनाया जाये। हैज़ा को रोकन के लिये पहले से ही जितने उपाये किये जाने चाहिए, सरकार वे सब उपाय करने का प्रयत्न करती है। किन्तु मैं यह कहना चाहती हूं कि अन्तड़ियों की गड़बड़ से होने वाले अतिसार को प्रायः हैज़ा समझा जाता है।

श्री दशरथ देव : क्या सरकार को मालूम है कि उस क्षेत्र में काम करने वाले चिकित्सा केन्द्र सारे क्षेत्र को सुविधायें नहीं पहुंचा सकते, बल्कि घाटी के क्षेत्र में ही दवाई दारू पहुंचा सकते हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर : मुझे इस प्रकार की कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली है ; किन्तु मैं इस की पूछताछ करूंगी।

श्री दशरथ देव : क्या सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ही बताया है कि इस सम्बन्ध में पूछताछ की जाएगी।

चिकित्सा की स्वदेशी प्रणालियों में अनुसन्धान

*१५९१. **श्री मुनिस्वामी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चिकित्सा की स्वदेशी प्रणालियों में अनुसन्धान कराने के लिये ३७.५ लाख रुपये की राशि आवंटित की है ;

(ख) यदि की है, तो क्या आज तक इस प्रकार का कोई अनुसन्धान किया गया है ;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये किन्हीं शिक्षा-संस्थाओं को अनुदान दिए गए हैं; और

(घ) यदि दिए गये हैं, तो किस रूप में ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). ३७.५ लाख रुपये के उपबन्ध में से आज तक ३,३२,५०० रुपये की जो राशि दी गई है वह चिकित्सा की स्वदेशी प्रणालियों में अनुसन्धान करने वाली केन्द्रीय संस्था, जामनगर को मिली है ; इस के अतिरिक्त और कोई भी धनराशि व्यय नहीं की गई है। केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था, जामनगर जो सितम्बर, १९५३ से काम कर रही है, को पंचवर्षीय योजना की अवधि में कुल १५,३२,५०० रुपये दिये जाने का विचार है, और शेष राशि आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक और प्राकृतिक चिकित्सा की प्रणालियों में अनुसन्धान करने वाली अन्य संस्थाओं को दी जाएगी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को लिखा गया है। इस निधि में से दी गई राशि से किये गये अनुसन्धान के सम्बन्ध में आज तक सरकार को कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री मुनिस्वामी : भारतीय औषधि की जड़ी बूटियों की खोज और उनके क्रमबद्ध संचय के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

राजकुमारी अमृत कौर : श्रीमान्, मैं यह प्रश्न नहीं समझ सकी हूं

अध्यक्ष महोदय : वे जानना चाहते हैं कि क्या भारत में उपलब्ध जड़ी बूटियों के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ।

राजकुमारी अमृत कौर : लखनऊ स्थित भेषज अनुसन्धान संस्था तथा जामनगर स्थित संस्था में अनुसन्धान हो रहे हैं, और अन्य आयुर्वेदिक संस्थायों में भी अनुसन्धान हो रहे हैं ।

श्री मुनिस्वामी : क्या सरकार को मालूम है कि मद्रास नगर में एक ऐसी संस्था है जो स्वदेशी औषधियों में प्रशिक्षा दे रही है, और यदि हां, तो क्या उस संस्था को कुछ आर्थिक सहायता दी गई है ?

राजकुमारी अमृत कौर : मैं पहले बतला चुकी हूं कि राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में लिखा गया है कि वे इस आवंटित धनराशि में से किन संस्थाओं को सहायता देना चाहेंगे, और उन के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री वैलायुधन : जामनगर की इस संस्था को छोड़कर, विशेष रूप से त्रावणकोर-कोचीन में क्या और किसी अनसन्धान संस्था को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है ?

राजकुमारी अमृत कौर : जहां तक मुझे मालूम है, त्रावणकोर-कोचीन में किसी भी संस्था को कोई सहायता नहीं दी गई है, किन्तु एक बार झांसी के लिए एक अनावर्तक अनुदान मंजूर किया गया था, और हम अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि बनारस को किस प्रकार सहायता दी जा सकेगी । राज्य सरकारों को पुन: इस सम्बन्ध में लिखा गया है कि वे किन किन संस्थाओं को सहायता दिलाना चाहेंगे ।

इन्डियन टेलीफून इंडस्ट्रीज

***१५९२. श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बंगलौर में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ में टेलीफोन सेट बनाने के लिये अभी तक कौन कौन सा सामान बाहर से मंगाया जाता है ;

(ख) क्या उसके स्थान में काम आ सकने वाला सामान खोज निकालने का प्रयत्न किया गया है ;

(ग) क्या सरकारी या असरकारी उद्योगों द्वारा एसे सामान के उत्पादन के लिये कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नीचे लिखा कच्चा सामान बाहर से मंगाया जाता है :

१. अलूमिनियम एलोय
२. कृत्रिम ग्राफाइट नली
३. पीतल की ट्यूब
४. पीतल की नली
५. आबनूस
६. फासफर ब्रान्ज
७. फाइबर शीट
८. माउंडिग पाउडर
९. निकल सिलवर
१०. विशेष प्रमाप का इस्पात
११. तार

(ख) उक्त सामान के स्थान पर काम आने वाली वस्तुओं को स्वदेश में निर्माण करने की आवश्यकता का सदैव ध्यान रखा जाता है, लेकिन आटोमेटिक टेलीफोन इंडस्ट्री के प्रमापों में कोई हेर फेर नहीं हो सकता है तथा स्थानापन्न वस्तुओं को ग्रहण करने में कठिन परीक्षण चाहिये ।

(ग) और (घ). यह अत्यंत विशिष्ट प्रकार की वस्तुएं हैं और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की आवश्यकताएं सीमित होने के कारण संयन्त्र स्थापित कर सीमित

परिमाण में उनके निर्माण से प्रत्यक्ष रूप से बचत नहीं होगी। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की आवश्यकताएं अविरत रूप में समुचित क्षेत्रों के भारतीय निर्माताओं के ध्यान में लाई जाती हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चमकदार इस्पात (ब्राइट स्टील) इस काम में लाया जाता है, यदि हां, तो किस भाव पर यह बाहर से मंगाया जाता है।

श्री राज बहादुर : भाव तो मैं निश्चित नहीं बता सकता, लेकिन यह चीज़ लगाई जाती है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि टाटा आयरन एन्ड स्टील कम्पनी से ब्राइट स्टील बनाने के लिये सरकार ने कोई शर्तें मांगी थीं, उन्होंने क्या शर्तें दीं और वह काम फिर यहां पर क्यों नहीं हो पाया ?

श्री राज बहादुर : इन शर्तों के बारे में तो एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। इंडियन मैनुफैक्चरर्स से हम बार बार कहते हैं कि जिन जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है वह बनायें लेकिन चूंकि उनकी मात्रा बहुत कम होती है, वज़न बहुत कम होता है और उनको लाभ नहीं मालूम होता है, इसलिये वह नहीं बनाते।

श्री वी० पी० नायर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने स्वदेशी सामान और विशेष रूप से आबनूस का परीक्षण किया है जिसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने अभी कहा था कि हम इसे बाहर से मंगा रहे हैं ?

श्री राज बहादुर : आबनूस की नलियां और ट्यूबें : कुल आवश्यकता १५५ पौंड है और हम ने ७ रुपये प्रति पौंड की दर से १५० पौंड स्वदेशी आबनूस ले लिया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिये सेवा समिति

*१५५४. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या **संचार** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों के लिये कोई सेवा समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उनके निर्देश-पद क्या हैं ;

(ग) क्या कोई अन्तरिम अथवा अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ; और

(घ) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन अथवा सरकार को उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) हां, श्रीमान। समिति के निर्देश-पद बताने वाला विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३६**]

(ग) समिति ने अभी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। लेकिन अनुमति छुट्टियां, बीमारी की छुट्टियां, यात्रा भत्ता आदि के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कर्मचारियों की किन्हीं अवस्थाओं में समानता लाने के लिये कुछ अन्तर्कालीन सिफारिशें की गई हैं। समिति के अन्तिम प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने की प्रतीक्षा तक उक्त सिफारिशें प्रयोगात्मक मानी गई हैं।

(घ) समिति की नियुक्ति इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा की गई थी और यह अपना प्रतिवेदन कारपोरेशन को ही प्रस्तुत करेगी।

उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेन्सी में सड़कें

*१५७१. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **परिवहन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि

उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेंसी में मोटर चलाने योग्य कितने मील सड़क पूरी हो गई है ?

रेलवे मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां): यह अप्रैल १९५१ से लगभग २५ मील तैयार हो चुकी है। इसके अतिरिक्त जीप चल सकने योग्य ८० मील सड़कों का निर्माण और ९१ मील मोटर चलाने योग्य सड़कों का सुधार हो गया है।

रेलवे मेल सर्विस

*१५७३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **संचार** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उत्तर बिहार की डाक व्यवस्था में सुधार करने के लिये आर० एम० एस० का विभाजन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) वर्तमान में यह प्रस्ताव किस स्थिति पर है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) भारत में आर० एम० एस० के विभाजनों का पुनर्संगठन, जिसमें उत्तर बिहार के लिये एक अलग विभाग का उपबंध है, विचाराधीन है।

(ख) प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक अवस्था में है :

आन्ध्र में राष्ट्रीय राज पथ

*१५७४. **श्री सी० आर० चौधरी :** क्या **परिवहन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) आंध्र राज्य में १९५१ से १९५४ तक निर्मित राष्ट्रीय राजपथों में तारकोल और सीमेन्ट से बनी सड़कों की लम्बाई क्या है ; और

(ख) पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक किस हद तक लक्ष्य की पूर्ति होने की आशा है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३७**]

गोदावरी जिले के लिये टेलीफोन और तार कार्यालय

*१५७९. **श्री एन० आर० नायडू :** क्या **संचार** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पूर्व गोदावरी जिले में नवीन स्थानों में टेलीफोन प्रणाली की स्थापना और तार कार्यालय खोलने के लिये इस समय कोई नवीन प्रस्ताव हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सुविधाओं का उपबंध कब होगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां। चार एक्सचेंज, दो सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय और एक तार कार्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा गया है।

(ख) नवम्बर १९५४ के पूर्व।

विस्थापित रेलवे कर्मचारी

*१५८१. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** (क) क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९५४ के मार्च के तीसरे सप्ताह में बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की ओर सरकार का ध्यान आमंत्रित हुआ है जिस में कहा गया है कि "ऐसे रेल कर्मचारी जिन्होंने पाकिस्तान में सेवा की इच्छा प्रकट की थी और निर्धारित समय में भारत में सेवा करने का अन्तिम निश्चय कर लिया था, नौकरी पर प्रतिवेदित होने की तिथि से वेतन पाने के अधिकारी हैं" ?

(घ) कितने रेल कर्मचारियों को इस प्रकार वेतन नहीं दिया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) उक्त आशय के समाचार की एक रिपोर्ट मिली है किन्तु निर्णय की प्रतिलिपि की प्रतीक्षा है ।

(ख) निर्णय की जांच के बाद ही इस विषय पर विचार किया जायगा ।

निजी विमान

*१५८७. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** क्या **संचार** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में कितनी संख्या में व्यक्तियों के अपने विमान हैं ;

(ख) उक्त विमानों की किस्में क्या हैं ; और

(ग) क्या निजी विमान भी भारतीय विमान नियमों के विषयान्तर्गत आते हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पहली मार्च, १९५४ में भारत में निजी विमानों की संख्या २९४ थी ।

(ख) मैं अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण सदन पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३८]**

(ग) हां, श्रीमान ।

उड़ीसा डाक सर्किल

*१५८८. **डा० नटवर पांडे**: (क) क्या **संचार** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ में उड़ीसा के डाक तथा तार विभाग के कितने विशेषित कर्मचारियों को इंसपेक्टर्स की पदोन्नति के लिये चुना गया था ?

(ख) १९५३ में उड़ीसा सर्किल में क्लर्कों के पद पर कितनी नियुक्तियां की गईं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ६ ।

(ख) १६ नियुक्त किये गये हैं और ४५ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

अर्थशास्त्र और सांख्यकी का निर्देशालय

३२२. **चौ० रघुवीर सिंह** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अर्थशास्त्र और सांख्याकी निदेशालय और कृषि अनुसंधान की भारतीय परिषद् में एक ही काम दो बार होता है ?

(ख) यदि हां, तो इस द्विगुणीकरण के परिहार के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(ग) इसके परिणाम स्वरूप व्यय में कितनी कमी होगी ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

रेलवे कर्मचारियों की गृह व्यवस्था

३२३. **श्री रामानन्द दास :** क्या **रेलवे** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन रेलवे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने अभी भी पूर्वी रेलव के सियालदेह डिवीजन में रेल के बकार डिब्बों में अपने घर बसाये हैं ; और

(ख) सरकार द्वारा उक्त कर्मचारियों के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) पहली जनवरी १९५४ को ७८९ कर्मचारी सियालदह डिवीजन में बेकार डिब्बों में रह रहे थे ।

(ख) रेल के इन बेकार डिब्बों के स्थान पर पक्के क्वार्टर्स बनाये जा रहे हैं । १९५३-५४ में इन डिब्बों में रहने वाले कर्मचारियों को आवंटन हेतु २३२ स्टाफ क्वार्टर्स उपलब्ध

हो जाने की आशा थी, और १९५४-५५ के अन्त तक शेष कर्मचारियों के लिये गृह-व्यवस्था का उपबन्ध किया गया है ।

विभागीय तारघर

३२४. **श्री रामानन्द दास** : क्या **संचार** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि विभागीय तारघरों के खोलने के पुनरीक्षित प्रमापों के अनसार पश्चिमी बंगाल मंडल में ऐसे कई तार घर खुलने चाहियें ;

(ख) क्या अन्य मंडलों की तुलना में पश्चिमी बंगाल मंडल में ऐसे तारघरों के खुलने की प्रगति अपेक्षतया धीमी है ; तथा

(ग) यदि हां, तो उसके कारण ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नहीं ।

(ख) नहीं (कोई भी संयुक्त कार्यालय उस प्रमाप की पूर्ति नहीं करता, जो उसे विभागीय तार घर में परिवर्तित किया जा सके) ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

खेतिहरों को ऋण

३२५. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ और १९५३-५४ वर्षों में खेतिहरों को ऋण देने के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार को दी गई राशियां क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायगी ।

अगरताला में टेलीफोन

३२६. **श्री दशरथ देव** : (क) क्या **संचार** मंत्री अगर ताला में जनता को अब तक दिये गये टेलीफोनों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) क्या सरकार अगरताला के सभी आवेदकों को टेलीफोन देना चाहती है ?

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ३० सीधे कनेक्शन और ४ एक्सटेंशन ।

(ख) हां ।

(ग) आशा है, जुलाई, १९५४ तक प्रतीक्षक सूची पूरी हो जायेगी ।

रेलवे–अर्जन

३२७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी रेलवे की पंचकुरा और माचदा रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों और माल से १९५१, १९५२ और १९५३ वर्षों में (प्रत्येक स्टेशन और माल तथा यात्रियों की पृथक् पृथक्) रेलवे-अर्जन की राशियां क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३९**]

मौसम सम्बन्धी विज्ञप्तियां

३२८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ;

(क) १९५१, १९५२ और १९५३ वर्षों में किसानों के लिये प्रसारित अर्द्धवार्षिक मौसम सम्बन्धी विज्ञप्तियों की संख्या ;

(ख) कितने मामलों में जांच रिपोर्टों ने इन विज्ञप्तियों की बात का खंडन किया है;

(ग) १ जनवरी, १९५१ और १ जनवरी, १९५४ को ऐसे रेडियो-स्टेशनों की संख्या जहां से ये विज्ञप्तियां प्रसारित की जाती हैं ; तथा

(घ) इस विषय में राज्य सरकारें कितनी सहायता दे रही हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) किसानों के लिये मौसम सम्बन्धी विज्ञप्तियां रोज निकाली जाती हैं, अर्द्धवार्षिक रूप में नहीं। १९५१, १९५२ और १९५३ वर्षों में प्रत्येक छमाही में प्रसारित विज्ञप्तियों की संख्या निम्नांकित है :

वर्ष	१ जनवरी से ३० जून तक	१ जुलाई से ३१ दिसम्बर तक
१९५१	२८९६	२९४४
१९५२	२९१२	२९४४
१९५३	२८९६	२९४४

(ख) नमूने के लिये की गई जांच के अनुसार लगभग १० प्रतिशत विज्ञप्तियां ग़लत सिद्ध हुई थीं ।

(ग) क्रमशः २२ और २३ ।

(घ) राज्य सरकारें गांव में अनेकों सामुदायिक रेडियो सैट स्थापित करके सहायता दे रहीं हैं, जहां अन्य रेडियो कार्यक्रमों के साथ ये विज्ञप्तियां सुनी जाती हैं ।

टिकटहीन यात्रा

३२९. श्री संगण्णा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्रमशः १९५१, १९५२ और १९५३ वर्षों में पूर्वी रेलवे की वाल्टेयर-रायपुर लाइन और पारलाकी मेदी लाइट रेलवे लाइन पर कितने टिकटहीन यात्री पकड़े गये और कितनों पर अभियोग चलाया गया ; तथा

(ख) इन वर्षों में इससे कितनी राशि वसूल हुई ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क)तथा (ख): अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न किया जाता है ।

खाद्यान्नों का समाहार

३३०. श्री संगण्णा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अतिरेक वाले राज्यों की सरकारों को कुछ निदेश दिये गये हैं कि कुछ निश्चित लक्ष्यबिन्दु तक पहुंचने पर समाहार बंद कर दें ; तथा

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के लिये निश्चित किये गये लक्ष्यबिन्दु क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) तथा (ख): अतिरेक वाले राज्यों से कहा गया है कि हम उनको यह परामर्श देने की बात पर विचार कर रहे हैं कि कुछ लक्ष्यबिन्दु की प्राप्ति के बाद आगे फिर चावल का समाहार बन्द कर दिया जाय । स्थिति अभी विचाराधीन है और कोई लक्ष्यबिन्दु निश्चित नहीं किये गये हैं ।

बनारस जिले में डाक घर

३३१. श्री गणपति राम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ और १९५३ में बनारस जिले में खोले गये नये डाकघरों की संख्या क्या है और उन पर लगभग कितना व्यय हुआ है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : सूचना वित्तीय वर्षों के अनुसार ही उपलब्ध है । १९५१-५२ में बनारस जिले में ६ नये डाकघर खोले गये थे, १९५२-५३ में चार और १९५३-५४ में (फरवरी के अन्त तक) तीन । इन तेरह नये डाकघरों पर लगभग १२६०० रुपये के अतिरिक्त वार्षिक व्यय का अनुमान है ।

रेलवे कोचें

३३२. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ के वर्ष में क्रमशः हिन्दुस्तान कोच बिल्डिंग कारखाने जेसप एन्ड कम्पनी तथा विभिन्न रेलवे कारखानों में बनाई गई कोचों की संख्या क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) :

सर्वश्री हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड	१२५
सर्वश्री जेसप एंड कंपनी कोचें	५६
चार पहियों की मोटर तथा पार्सल डिब्बे	८४
रेलवे कारखाने	४७१

राष्ट्रीय राजमार्ग

३३३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिये १९५४-५५ में शुरू की गई या चालू रखी गई योजनाओं के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक का परिव्यय कितना है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : चूंकि अंतर्ग्रस्त काम बहुत बड़ा है, इसलिए एक विवरण, जिसमें १९५४-५५ में शुरू किए जाने वाले या चालू रखे जाने वाले निर्माण-कार्यों के विवरण दिए गए हैं और जिनका परिव्यय दो लाख रुपये से अधिक है, संलग्न किया जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया ; देखिये संख्या एस—१०८/५४]**

मजदूर-संघ

३३४. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) डाक तथा तार विभाग में मान्यता प्राप्त संघों की संख्या, उन्हें कब मान्यता दी गई थी, उनके नाम, उनके सदस्यों की संख्या तथा कर्मचारियों की किन-किन श्रेणियों को वे सदस्य बना सकती हैं ;

(ख) १९४८ में "पुनर्गठन" की बातचीत शुरू होने के बाद कौन-कौन संघों को मान्यता दी गई है और उनमें से कितने भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस से संबद्ध हैं ; तथा

(ग) क्या उक्त सदस्य-संख्या चंदे की रसीदों पर आधारित है या संघों द्वारा दी गई सूचना के ऊपर आधारित है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज (बहादुर)) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण जो चार भागों में है, सदन-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४१]**

(ख) पुनर्गठन की बातचीत १९४८ में शरू हुई और संघों में सहमति न होने से जनवरी, १९४१ में समाप्त हो गई। पुनर्गठन की बातचीत के तथाकथित आरंभ के बाद जिन संघों को मान्यता दी गई है, वे ये हैं ;

(१) अखिल भारतीय टेलीफोन तथा तार (इंजीनियरी) संघ ;

(२) दूरसंचार इंजीनियरी सुपरवाइज़र संघ ;

(३) अखिल भारतीय टेलीग्राफ लाइन कर्मचारी संघ ;

(४) डाक तथा तार मजदूर संघ ;

(५) तार यातायात पदाधिकारी संघ, कलकत्ता।

इनमें से केवल डाक तथा तार मज़दूर संघ को ही भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस से संबद्ध बताया जाता है।

(ग) भाग ४ में बताई गई सदस्य-संख्या संघों द्वारा दी गई सूचना पर ही आधारित है।

रेलवे केन्टीन

३३५. **श्री वल्लाथरास :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रत्येक खंड (जोन) में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों तथा रेलवे कर्मचारियों के लिए पृथक् पृथक् चलाए जाने वाले सरकारी केन्टीनों की संख्या ; तथा

(ख) १ जनवरी, १९५४ को उन अनुज्ञप्तियों की संख्या, जिनके अधीन निजी व्यक्तियों द्वारा चलती हुई गाड़ियों में 'योजनागार' (बफे-कार) चलाया जाता है, और प्रत्येक अनुज्ञप्ति कुल कितने मीलों तक चलने के लिय होती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सलग्न किया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४२]**

अंक ३

संख्या ३८

सोमवार,
५ अप्रैल, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st Lok Sabha

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक ३ में संख्या ३१ से संख्या ४५ तक हैं)

भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

विषय-सूची

पैप्सू विनियोग विधेयक—राष्ट्रपति की अनुमति का रोका जाना [पृष्ठ भाग २७६९]

लोक महत्व के अविलंबनीय विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारतीय वायुसेना प्रदर्शन तिलपत पहाड़ी में यातायात व्यवस्था [पृष्ठ भाग २७७०—२७७६]

अनुदानों की मांगें—

मांग संख्या ५२—गृह कार्य मंत्रालय [पृष्ठ भाग २७७६—२८५२]

मांग संख्या ५३—केबिनेट [पृष्ठ भाग २७७६—२८५२]

मांग संख्या ५४—दिल्ली [पृष्ठ भाग २७७६—२८५२]

मांग संख्या ५५—पुलिस [पृष्ठ भाग २७७७—२८५२]

मांग संख्या ५६—जनगणना [पृष्ठ भाग २७७७—२८५२]

[पन्ना उलटिये]

संसद् सचिवालय, नई दिल्ली।

(मूल्य ६ आने)

80 PSD

मांग संख्या ५७—गृह कार्य मंत्रालय के अधीन
विविध विभाग तथा व्यय [पृष्ठ भाग २७७७—२८५२]
मांग संख्या ५८—अंडमान और नीकोबार द्वीप [पृष्ठ भाग २७७७—२८५२]
मांग संख्या १२६—गृह कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय [पृष्ठ भाग २७७७—२८५२]
मांग संख्या ८८—राज्य मंत्रालय [पृष्ठ भाग २७७७—२८५२]
मांग संख्या ८९—देशी राजाओं की निजी थैलियां
तथा भत्ते [पृष्ठ भाग २७७७—२८५२]
मांग संख्या ९०—कच्छ [पृष्ठ भाग २७७७—२८५२]
मांग संख्या ९१—बिलासपुर [पृष्ठ भाग २७७७—२८५२]
मांग संख्या ९२—मनीपुर [पृष्ठ भाग २७७७—२८५२]
मांग संख्या ९३—त्रिपुरा [पृष्ठ भाग २७७७—२८५२]
मांग संख्या ९४—राज्यों से संबंध [पृष्ठ भाग २७७७—२८५२]
मांग संख्या ९५—राज्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय [पृष्ठ भाग २७७७—२८५२]
मांग संख्या १३४—राज्य मंत्रालय का पूंजी व्यय [पृष्ठ भाग २७७७—२८५२]

लोक सभा

सोमवार, ५ अप्रैल, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

३ म० प०

पेप्सू विनियोग विधेयक, १९५४

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति ने पेप्सू विनियोग विधेयक, १९५४ पर अनुमति रोक ली है। यह विधेयक संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद ८ मार्च, १९५४ को राष्ट्रपति के पास उन की अनुमति के लिये भेजा गया था। अनुमति रोक लेने का कारण यह बताया गया है कि चूंकि राष्ट्रपति ने ७ मार्च, १९५४ को उस उद्घोषणा का प्रतिसंहरण कर दिया था, जो कि उक्त रियासती संघ के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अधीन जारी की गई थी, अतः उसी तिथि से संसद् की विधेयक को अधिनियमित करने की शक्ति समाप्त हो गई है। अतः इस की अनुमति देना उचित नहीं है।

लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर ध्यान दिलाना

भारतीय वायु सेना प्रदर्शन, तिलपत पहाड़ी, में यातायात व्यवस्था

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहर'लाल नेहरू) : इस सदन ने २८ मार्च, १९५४ को वायुसेना प्रदर्शन के अवसर पर दिल्ली से तिलपत पहाड़ी को जाने वाली सड़क पर हुए यातायात गतिरोध के सम्बन्ध में बहुत दिलचस्पी ली है। इस विषय के सम्बन्ध में सरकार से बहुत से प्रश्न पूछे गये हैं। उस अवसर पर बहुत से लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा था, जिन में संसद् सदस्यों सहित आमंत्रित अतिथि भी सम्मिलित थे। यहां तक कि वायु सेनापति भी उस यातायात गतिरोध से फंस गये थे और वह तिलपत पहाड़ी तब पहुंचे जब प्रदर्शन समाप्त हो रहा था। बहुत से लोग वहां तक पहुंच ही नहीं सके। इस खेदपूर्ण एवं अप्रत्याशित घटना के लिये, जिस की वजह से इतनी अधिक असुविधा और तकलीफ़ हुई, सरकार को बहुत दुख है।

सरकार ने इस मामले में, असाधारण यातायात गतिरोध होने के कारण पता लगाने और भविष्य में ऐसी किसी घटना के होने को

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

रोकने के दष्टिकोणो से पूर्ण रूप से जांच पड़ताल की है ।

जो जांच पड़ताल की गई है, उस का एक प्रतिवेदन मैं सदन के सामने रखता हूं ।

गत दिसम्बर में सरकार ने यह निश्चय किया था कि भारतीय वायुसेना की २१ वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में २८ मार्च, १९५४ को भारतीय वायु सेना एक विमान और बम आदि का प्रदर्शन करे । इस प्रदर्शन के लिये निकटतम सुविधाजनक स्थान तिलपत बमबारी पहाड़ी चुनी गई जो कि दिल्ली से लगभग १७ मील दूर है । तिलपत में ज़मीन को तथा मुख्य दिल्ली-मथुरा सड़क और तिलपत पहाड़ी के बीच की कच्ची सड़क को ठीक ठीक करने के लिये रक्षा मंत्रालय ने ३२,००० रुपये मंजूर किये थे ।

इस योजना के आरम्भ से ही सम्बन्धित सरकारी विभागों अर्थात् वायुसेना के प्रधान कार्यालय, पुलिस और रेलवे ने इस अवसर के प्रबन्धों के सम्बन्ध में पूर्ण सहयोग से कार्य किया । इस के अतिरिक्त इस प्रयत्न में दिल्ली यातायात प्राधिकार, आटो इंडिया और ऑटोमोबाइल एसोशियेशन जैसी संस्थाओं ने भी सहयोग दिया । इस प्रदर्शन के लिये बहुत अधिक प्रचार किया गया था । वायुसेना के प्रधान कार्यालय ने लगभग ९,००० व्यक्तियों को निमंत्रण पत्र जारी किये थे । जनवरी के मध्य से विभिन्न विभागों के और उक्त संस्थाओं के प्रतिनिधियों के बीच बहुत सी बैठकें हुईं २६ मार्च को एक पूर्ण पूर्वाभ्यास किया गया ।

कार्य विभाजन मोटे तौर पर इस प्रकार था :

यूं तो सारे प्रबन्धों का कार्यभार वायु सेना प्रधान कार्यालय के ज़िम्मे था, परन्तु उस का मुख्य कार्य तिलपत पहाड़ी पर प्रबन्ध करना था । यातायात का प्रबन्ध दिल्ली राज्य की सीमा तक दिल्ली पुलिस के और उस के आगे पंजाब पुलिस के हाथ में था । दिल्ली क्षेत्र में २८ तारीख को पुलिस की संख्या १६० थी, जिस में से ८४ पुलिस वाले वैलेज़ली रोड के चौराहे और रेल के फाटक तक की १॥ मील की दूरी में तैनात थे । ५६१ पुलिस वाले तिलपत और उस के निकट तैनात किये जाने के लिये पंजाब सरकार को दे दिये गये थे । दिल्ली यातायात प्राधिकार ने दिल्ली के विभिन्न स्थानों से तिलपत पहाड़ी के लिये विशेष बसें चालू करने का प्रबन्ध किया था । इस के अतिरिक्त फ़रीदाबाद स्टेशन के निकट म्योला महाराजपुर साईडिंग पर स्टेशन और नहर के बीच चलने के लिये सेना विभाग की १०० ट्रकें रखी गई गई थीं । पैदल यात्रियों के नहर पार करने के लिये बेली पुल विशेष रूप से बनाये गये थे । रेलवे प्रशासन ने नई दिल्ली से तुग़लकाबाद और फ़रीदाबाद के बीच एक अस्थायी हाल्ट तक पांच विशेष रेल गाड़ियां चलाने का प्रबन्ध किया था ।

ऐसे अवसरों के पूर्व अनुभव के आधार पर प्रबन्धक अधिकारियों का यह अनुमान था कि २८ तारीख की सुबह तीस या चालीस हज़ार से अधिक व्यक्ति तिलपत नहीं जायेंगे । किन्तु अनुमान है कि लगभग तीन लाख व्यक्ति वहां गये थे । रेलवे प्रशासन ने पांच के स्थान पर सात विशेष रेलगाड़ियां चलाई थीं और जारी किये गये टिकटों की कुल संख्या २१,५०० थी । परन्तु इन के अतिरिक्त बहुत से लोगों ने रेल के डिब्बों की छतों और फ़ुटबोर्डों पर बैठ कर या खड़े हो कर यात्रा की । दिल्ली यातायात प्राधिकार ने ५५ के स्थान पर ६५ बसें चलाई थीं । अनुमान है कि उस दिन लगभग १०,००० सवारियों ने, जिस में कार, ट्रक, बसें, मोटर साइकिल

रिक्शा, तांगे और मोटर साइकिलें सम्मिलित थीं, तिलपत जाने वाली सड़क पर यात्रा करने का प्रयत्न किया था। वह सड़क ऐसी है जिस पर अगल बगल दो से अधिक सवारियां नहीं चल सकती हैं। सड़क से जाने वाले लगभग सभी लोग दिल्ली- मथुरा सड़क से गये थे। रेल-गाड़ियों को गुजारने के लिये इस सड़क पर पड़ने वाले रेल के फाटक को समय समय पर बन्द करना पड़ा था। सुबह सात से नौ बजे के बीच, जब कि इस सड़क पर तिलपत जाने वालों की सब से अधिक भीड़ थी, रेल के इस फाटक को कुल मिला कर लगभग आधा घंटे के लिये बन्द करना पड़ा था, परन्तु एक बार में यह फाटक चार या पांच मिनट से अधिक समय के लिये कभी नहीं बन्द रहा। ओखला से हो कर जाने वाले वैकल्पिक मार्ग से बहुत ही थोड़े लोग गये। भीड़भाड़ और गड़बड़ी का एक मुख्य कारण इंजन की खराबी आदि के कारण बहुत सी मोटर गाड़ियों का ठप्प हो जाना था, जिस की वजह से यातायात का प्रवाह रुक गया। दूसरा कारण यह था कि बहुत सी मोटर गाड़ियों के चालकों ने सामान्य यातायात नियमों की घोर अवहेलना की।

यह याद रखना चाहिये कि सभी प्रकार के उपायों और प्रयत्नों के किये जाने पर भी यातायात गतिरोध एवं अस्त व्यवस्तता, योरुप और अमरीका के बड़े बड़ नगरों में एक भारी और निरन्तर समस्या बनी हुई है। आमतौर पर भी कुछ भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में यातायात काफ़ी समय के लिये रुक जाता है। छुट्टियों के दिन विशेष अवसरों पर घंटों तक यातायात ठप्प हो जाता है। योरुपीय और अमरीकी नगरों की अपेक्षा दिल्ली में मोटरगाड़ियों की संख्या बहुत कम है। परन्तु विविध प्रकार की सवारियों के मिश्रण से न केवल गड़बड़ी ही फ़ैलती है, बल्कि गति भी बहुत मन्द पड़ जाती है। इस अवसर पर दिल्ली-मथुरा सड़क पर यही बात हुई। दिल्ली के लिये यह एक नया अनुभव था।

यातायात में भीड़भाड़ और रुकावटें होने के अलावा एक आरोप यह भी लगाया गया है कि रास्ते में पीने के पानी का पर्याप्त प्रबन्ध नहीं था। ऐसा इसलिये था क्यों कि यह अनुमान नहीं लगाया गया था कि यातायात में इतनी गंभीर अस्तव्यस्तता पैदा हो जायगी। स्वयं तिलपत में वायु सेना के प्रधान कार्यालय ने पांच स्थानों पर आठ बजे प्रातःकाल से पानी देने के लिये मय गिलासों से पांच पानी की गाड़ियां तैयार रखी थीं। प्रत्येक ऐसी गाड़ी की टंकी में ५०० गैलन पानी था। इस प्रकार सर्व प्रथम २,५०० गैलन पानी की व्यवस्था की गई थी। जब लगभग १० बजे यह पानी समाप्त हो गया, तब यातायात गतिरोध के बावजूद १००० गैलन पानी की और व्यवस्था की गई। गाड़ियों के आने जाने में कठिनाई होने के कारण और अधिक जल की व्यवस्था नहीं की जा सकी। तिलपत में जनता के बैठने के मुख्य स्थान से ५०० गज की दूरी पर एक क़ुआं है और बहुत से लोगों ने इस का पानी पिया था। तिलपत में दो स्थानों पर लेमनेड, सोडा आदि का भी प्रबन्ध था। प्रत्येक स्थान पर बीस बीस फुटकर विक्रेता थे जो इधर उधर बोतलें बेचने के लिये ले जाते थे। बेली पुल के निकट बस के अड्डे पर भी लेमनेड आदि का प्रबन्ध किया गया था। कहा जाता है कि तिलपत में ऐसी ४८,००० बोलतों की खपत हुई थी।

बमबारी से और सेना के ट्रकों के कारण खेतों को कुछ हानि पहुंची थी। परन्तु इन खेतों को मुख्य रूप से जनता के द्वारा नुकसान पहुंचा। लोगों ने खेतों में पक रहे चनों को तोड़ तोड़ कर खाया। गुड़गांव के उप-आयुक्त के अनुमान के अनुसार तिलपत, वज़ीरपुर और मोवाई में क़ुल हानि इस प्रकार हुई :

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

बमबारी से	८३१ रुपये
सेना की ट्रकों से	६४० रुपये
जनता के द्वारा	५,९४५ रुपये
कुल	७,४१६ रुपये ।

यह एक प्रारम्भिक अनुमान है । एक विस्तृत प्रतिवेदन मांगा गया है । जो क्षति हुई है, उस के लिये सरकार सम्बन्धित किसानों को मुआवज़ा देने का विचार करती है ।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि वभिन्न सरकारी मंत्रालयों एवं विभागों ने अच्छा प्रबन्ध करने के लिये भरसक सभी कुछ किया था । इस सम्बन्ध में सामंजस्य स्थापित करने के लिये विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के बीच समय समय पर विचार विमर्श होता रहा था । भारत में यह वायु प्रदर्शन अपने प्रकार का पहला ही था और इस को देखने के लिये अनुमान से कहीं अधिक संख्या में लोग २८ तारीख को तिल्पत गये थे । भविष्य में इस प्रकार की अस्तव्यस्तता और असुविधा को रोकने के लिये सरकार ने यह तय किया है कि रक्षा मंत्रालय, सेना के प्रधान कार्यालय, दिल्ली की पुलिस और वहां के मुख्य-आयुक्त के प्रतिनिधियों की एक समिति इस विषय से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर विचार करेगी । यह समिति यातायात तथा अन्य प्रबन्धों के विनियमन और उन में आवश्यक सुधार करने के प्रश्न पर विचार करेगी । वह समिति विशेष रूप से रेल और सड़क के मिलने के स्थान पर ऊपरी पुल बनाने और एक दूसरी सड़क बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : इस पर कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है । यह एक वक्तव्य है ।

अनुदानों की मांगें* (क्रमशः)

अध्यक्ष महोदय : आज गृह-कार्य मंत्रालय तथा राज्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा होगी । इन दोनों मंत्रालयों के लिये डेढ़ दिन का समय रखा गया है, अर्थात् चार घंटे आज और दो घंटे कल । सदन की इच्छानुसार इन दोनों पर एक साथ ही विचार किया जायगा । अतः अब मैं गृह-कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्यायें ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८ और १२६ तथा राज्य मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्यायें ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५ और १३४ सदन के सामने रखता हूं । कल दोनों मंत्रालयों की ओर से मंत्री महोदय उत्तर देंगे ।

माननीय सदस्य तथा दलों के नेता पन्द्रह मिनट में अपने कटौती प्रस्ताव सचिव को दे दें । यदि वे नियमानुकूल हुए और उन से सम्बन्धित सदस्य सदन में उपस्थित हुए तो मैं उन्हें प्रस्तुत किया गया मान लूंगा । भाषणों के सम्बन्ध में सामान्य समय-सीमा का पालन किया जायेगा । अब मैं औपचारिक रूप से मांगों को सदन के सामने रखूंगा ।

३१ मार्च, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये निम्नलिखित अनुदानों की मांगें अध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत कीं :

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
५२	गृह-कार्य मंत्रालय	१,४३,३६,००० रुपये
५३	कैबिनेट	२३,७८,००० रुपये
५४	दिल्ली	१,४४,६०,००० रुपये

*राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तुत ।

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
५५	पुलिस	९४,६४,००० रुपये
५६	जनगणना	१८,८६,००० रुपये
५७	गृह कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	८,७१,००० रुपये
५८	अंडमान और निकोबार द्वीप	१,८०,५४,००० रुपये
१२६	गृह कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	२१,०६,०००० रुपये
८८	राज्य मंत्रालय	१०,७४,००० रुपये
८९	देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	१,९६,००० रुपये
९०	कच्छ	१,०७,२२,००० रुपये
९१	बिलासपुर	३४,६४,००० रुपये
९२	मनीपुर	७५,८२,००० रुपये
९३	त्रिपुरा	१,२०,६१,००० रुपये
९४	राज्यों से संबंध	५३,३५,००० रुपये
९५	राज्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	९३,८६,००० रुपये
१३४	राज्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	६,९६,८३,००० रुपये

मुझे चुने गये कटौती प्रस्तावों की संख्यायें प्राप्त हो गई हैं, जिन्हें माननीय सदस्य औपचारिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं।

निम्न लिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	राशि
५२	श्री यू० सी० पटनायक (घुमसुर)	नागरिक रक्षा के उपायों का न होना	१०० रुपये
५२	श्री यू० सी० पटनायक	भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियमों तथा नियमों के उपबन्धों में ढील देने में असमर्थता	१०० रुपये
५२	श्री यू० सी० पटनायक	राइफ़िल संस्थाओं आदि को पर्याप्त सहायता का अभाव	१०० रुपये
८८	श्री आनन्द चन्द (बिलासपुर)	भाग (ख) राज्यों के प्रशासन पर नियंत्रण	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	राशि
९१	श्री आनन्द चन्द	बिलासपुर प्रशासन में अक्षमता	१०० रुपये
९१	श्री आनन्द चंद	बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश से प्रस्तावित विलय	१०० रुपये
५२	श्री देवगम (चैबंस्सा-रक्षित-अनसूचित आदिम जातियां)	अनुसूचित जातियां, आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों का उद्धार	१०० रुपये
५२	श्री देवगम	केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित आदिम जातियों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व	१०० रुपये
५२	श्री देवगम	छोटा नागपुर के नम्बरदारों के अधीन आदिम जातीय पंचायतों के संरक्षण में असमर्थता	१०० रुपये
५२	श्री देवगम	आदिम जातियों की आर्थिक शोषण से रक्षा करने में सरकार की असमर्थता	१०० रुपये
५२	श्री देवगम	पिछड़े हुए समुदायों की दशा को सुधारने में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के आयुक्त की असमर्थता	१०० रुपये
५६	श्री देवगम	पिछली जनगणना में अनुसूचित आदिम जातीय व्यक्तियों की ठीक ठीक जनगणना करने में असमर्थता	१०० रुपये
५२	डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर)	भ्रष्टाचार को रोकने में असमर्थता	१०० रुपये
५२	श्री दशरथ देव (त्रिपुरा–पूर्व)	राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्संगठन	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	राशि
५२	श्री नम्बियार (मयूरम)	सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों का उदार आधार पर बनाया जाना	१०० रुपये
५२	श्री नम्बियार	राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों का निरसन	१०० रुपये
५२	श्री एन० बी० चौधरी (पाटल)	निवारक निरोध अधिनियम का दुरुपयोग	१०० रुपये
५२	श्री माधव रेड्डी (आदिलाबाद)	कम-खर्च तथा शीघ्रतापूर्ण न्याय के लिए क्रान्तिकारी सुधार करने में असमर्थता	१०० रुपये
५२	श्री माधव रेड्डी	केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों की शिकायतें	१०० रुपये
५२	श्री माधव रेड्डी	भ्रष्टाचार विरोधी आयोग की नियुक्ति में असमर्थता	१०० रुपये
५२	श्री माधव रेड्डी	राजप्रमुखों तथा राज्यपालों के पद का उत्सादन	१०० रुपये
५२	श्री माधव रेड्डी	सामाजिक बन्धनों के दूर करने में असमर्थता	१०० रुपये
५२	श्री माधव रेड्डी	क्रान्तिकारी प्रशासनिक सुधारों को क्रियान्वित करने में असमर्थता	१०० रुपये
५२	श्री माधव रेड्डी	उच्च न्यायालयों तथा लोक सेवा आयोगों में कमी	१०० रुपये
५२	श्री माधव रेड्डी	न्यायापालिका को कार्यपालिका से शीघ्रतापूर्ण पृथक करने में असमर्थता	१०० रुपये
५२	सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा)	पंजाब (पाकिस्तान) से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों का स्थान	१०० रुपये
५२	सरदार हुक्म सिंह	केन्द्रीय सचिवालय में उच्च योग्यता वाले विस्थापित व्यक्तियों का भविष्य	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	राशि
५२	श्री बूबराघसामी (पैराम्बलूर)	संघीय सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए रिक्त स्थानों को रक्षित करने में असमर्थता	१०० रुपये
५१	श्री बूबराघसामी	सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार की रोकथाम करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५२	श्री शिवमूर्ति स्वामी (कष्टगी)	राज्य पुनर्संगठन आयोग की कर्नाटक प्रान्त सम्बन्धी अन्तरिम रिपोर्ट	१०० रुपये
५२	श्री कृष्णस्वामी (कांचीपुरम)	ईसाई प्रचारकों की गतिविधियां तथा धार्मिक स्वतन्त्रता का क्षेत्र	१०० रुपये
५५	श्री माधव रेड्डी	विशेष पुलिस स्थापना की गतिविधियां	१०० रुपये
८८	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा, मनीपुर तथा कच्छ में विधान-सभाओं की स्थापना में असमर्थता	१०० रुपये
८८	श्री दशरथ देव	उन सब भाग (ख) राज्यों में विधान सभाओं की स्थापना जिन में अभी तक उक्त सभायें नहीं हैं	१०० रुपये
८८	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में आदिम जातीय किसानों की ज़मीनों के अधिग्रहण के रोकने सम्बन्धी अध्यादेश	१०० रुपये
८८	श्री दशरथ देव	अगरतला में पुलिस के आचरण के सम्बन्ध में ग़ैर-सरकारी जांच की तात्कालिक आवश्यकता	१०० रुपये
८८	श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा-पश्चिम)	त्रिपुरा पुलिस द्वारा पश्चिमो बंगाल सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अवैधि गिरफ्तारी	१०० रुपये
९३	श्री दशरथ देव	अधिक अन्न के उपजाने के उद्देश्य से किसानों की निस्सृति को बन्द करने के लिए अध्यादेश का तत्कालिक प्रख्यापन	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	राशि
९३	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में शरणार्थियों के उचित प्रकार से पुनर्वासित करने में असमर्थता	१०० रुपये
९३	श्री दशरथ देव	अगरतला में नागरिक स्वतन्त्रता का धारा १४४ के बारम्बार प्रख्यापन से संकुचन	१०० रुपये
९३	श्री बीरेन दत्त	त्रिपुरा में नागरिक स्वतन्त्रता के पुनस्संथापन में असमर्थता	१०० रुपये
९३	श्री बीरेनदत्त	त्रिपुरा में जूमियों को पुनर्वासित करने में असमर्थता	१०० रुपये
९३	श्री बीरेन दत्त	त्रिपुरा में भूमि सुधारों को लागू करन में असमर्थता	१०० रुपये
९३	श्री दशरथ देव	अनन्नास के निर्यात के लिए सस्ते विमान-भाड़े की व्यवस्था करने में असमर्थता	१०० रुपये

अध्यक्ष महोदय: अनुदानों के सम्बन्ध में समस्त कटौती प्रस्तावों तथा मांगों को सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया गया है तथा अब इन पर चर्चा आरम्भ हो सकती है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (विवलोन व मावेलिक्करा) : मुझे खेद से कहना पड़ता है कि गृह-कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट बहुत अनिश्चित तथा अपर्याप्त है। उदाहरणार्थ इस में कुछ मंत्रालयों तथा लोक सेवा आयोग के कार्यालय के सम्बन्ध में त्रुटियां हैं तथा प्रयत्न की पुनरावृत्ति का वर्णन है और वह बहुत ही अनिश्चित सा विवरण है। सदन स्वीकृत तथा अस्वीकृत सिपारिशों की संख्या को तथा उन की क्रियान्विति के फल-स्वरूप हुई बचत को जानना चाहता है। वास्तव में सभी मंत्रालयों के व्यय में बचत के स्थान पर वृद्धि दिखाई पड़ रही है। स्वयं गृह-कार्य मंत्रालय के व्यय में ९१०००० रुपये की वृद्धि दिखाई गई है। केवल वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के व्यय में थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ती है। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि विशेष पुनर्संगठन स्थापना पर धन को व्यर्थ ही नष्ट किया गया है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि उस की सेवा श्रेणियों में नौकर-शाही की भावना को बनाये रखने की चेष्टा की गई है तथा निचली सेवा श्रेणियों को भूखों मारने का प्रयास है।

अखिल भारतीय सेवाओं के सम्बन्ध में मतभेद है। इन सेवाओं में लिये गये व्यक्तियों को दिये जा रहे भत्तों तथा वेतनों से राज्यों के कर्मचारियों में ईर्ष्या की भावनायें पैदा हो गई हैं। इस के साथ साथ एक कठिनाई और भी है। निष्ठा के बंट जाने से अनुशासन

[श्री एन० श्रीकान्तन नायर]

तथा क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतएव अधिक वेतनों को कम करने तथा थोड़े वेतनों को बढ़ाने के लिए सरकारी सेवकों के बारे में सारी स्थिति पर पुर्नविचार करने की आवश्यकता है।

सरकार ने विशेष रियायती टिकटों की सुविधा को वापस ले कर बड़ा अन्याय किया है। इस से वे सरकारी कर्मचारी जो बहुत दूरवर्ती भागों से भर्ती किये गये हैं, वर्ष में कम से कम एक बार भी अपने घरों को नहीं जा सकेंगे। इस आदेश के वापस लेने से कई सरकारी कर्मचारियों के पारिवारिक सम्बन्धों में अन्तर आगया है तथा पति पत्नी के सम्बन्धों में भी नाना प्रकार की उलझनें पड़ेंगी। यदि सरकार इन सम्बन्धों को बिगाड़ना नहीं चाहती तो इस सुविधा को फिर से जारी करना होगा।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के प्रति पूर्ण न्याय करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। मैं सरकार के इस कथन में विश्वास नहीं रखता हूं। यदि इन अभागों की दशा को सुधारने के लिए सरकार को वास्तविक चिन्ता होती तो अस्पृश्यता को दण्डनीय बनाने वाले विधेयक को पारित करने में इतना विलम्ब कभी नहीं होता। कांग्रेस अस्पृश्यता के दूर करने के लिए वाग्बद्ध है। फिर विधान के पारित न करने के क्या कारण हैं ?

माननीय मंत्री को प्रेस (आपत्तिजनक विषय) अध्यादेश को पारित करा लेने पर गर्व है। एक और अधिनियम निवारक निरोध अधिनियम भी है। निस्सन्देह यह दो ऐसे अधिनियम हैं जिन पर कांग्रेस सरकार गर्व नहीं कर सकती है।

एक और महत्वपूर्ण बात मैं राज्य पुनर्संगठन आयोग के बारे में कहना चाहता हूं। जो लोग राज्यों के समर्थक हैं, उन्हें इस आयोग के सदस्यों के चुनाव से बहुत निराशा हुई है। हमें यह भय है कि यह आयोग उच्च वर्ग की पूर्वधारणाओं के अनुसार काम करेगा। वास्तव में कुछ जी हज़ूरी प्रकार के व्यक्तियों ने राष्ट्रीय एकता मोर्चा नाम की संस्था भी बना ली है जिस का लक्ष्य भाषावार प्रान्तों की स्थापना पर कुठाराघात करना है। इस से हमारी आशंका बढ़ जाती है कि भारत सरकार भाषावार प्रान्तों की स्थापना के बारे में गम्भीर नहीं है।

राज्य मंत्रालय के बारे में मुझे यह कहना है कि पैप्सू में राष्ट्रपति के शासन से कांग्रेस फिर से सत्तारूढ़ होने में समर्थ हो गई है। परन्तु त्रावनकोर-कोचीन के सम्बन्ध में उस की सारी चालाकियां धरी रह गई हैं। हमारे राज्य की ग़रीब जनता के कितने ही धन को प्रधान मंत्री के दौरे पर ख़र्च कर देने से भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मैं जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री के दर्शन के लिये गये लोगों पर लाठी प्रहार क्यों किया गया था। प्रधान मंत्री के प्रचार पर भी लोगों ने वहां कांग्रेस को अपना मत नहीं दिया है। हम ने कांग्रेस को परास्त कर दिया है तथा क्रमशः हम बहुसंख्या को प्राप्त करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों से मेरी अपील है कि वे मेरे पास आ कर बोलने के लिये समय दिये जाने की प्रार्थना न करें। वे मुझे एक चिट भेज सकते हैं। इस से मुझे बड़ी असुविधा होती है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : चुनावों के परिणामों की घोषणा के बाद कांग्रेस दल की संख्या को बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति ने एक

एंग्लो-इंडियन को विधान सभा के लिए मनोनीत कर दिया है। सचमुच यह एक आश्चर्य की बात है कि ११८ के सदन में से १९ सदस्यों को सरकार बनाने के लिए कहा जाय। कांग्रेस के इस प्रकार के व्यवहार का कारण यह है कि वह प्रथम तो अपनी सत्ता को जमा कर लेने के बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को निगलना चाहती है। अस्तु, मेरे राज्य के मज़दूरों किसानों का दृष्टिकोण कुछ और है। हम किसी भी सरकार या प्रद्योगों को सहन करने के लिए तैयार हैं; शर्त्त केवल यह है कि वे लोगों की भलाई का कार्य करें। यदि वहां की सरकार निहित स्वार्थ वालों को अपने वश में रखे तो हम उस का स्वागत करने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि वहां की सरकार राज्य के अधिकारों के लिए केन्द्रीय सरकार से लड़े। हमारी यह भावना है कि एकीकरण के दिनों में तथा बाद में त्रावनकोर-कोचीन से न्याय नहीं किया गया है। पश्चिमी बंगाल तथा बिहार सरकारों को पटसन शुल्क का एक भाग मिलता है तो हमें काली मिर्च के शुल्क का एक भाग क्यों नहीं दिया जाता है? कृष्णमाचारी समिति की रिपोर्ट को क्रियान्वित न कर के हम से अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है। हमारे राज्य की खाद्य अर्थ-सहायता को क्रमशः कम कर दिया गया है। यह अन्यायपूर्ण बात है। संविधान में ऐसा कोई विशेष उपबन्ध नहीं है जिस से हमें भी आसाम, पश्चिमी बंगाल तथा बिहार की तरह अतिरिक्त भत्ता मिल सके। हमें काली मिर्च पर लगे शुल्क का एक भाग मिलना चाहिये।

प्रो० मैथ्यू (कोट्टयम्) : मैं एक बात कहना चाहता हूं जिस के बारे में इस सदन के कुछ सदस्यों तथा भारतीय ईसाई समुदाय को बड़ी चिन्ता हो रही है। मैं इस देश के ईसाइयों के लिये किन्हीं विशेषाधिकारों की मांग नहीं कर रहा हूं।

मैं उन वक्तव्यों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं जो हमारे गृह मंत्री इस देश के विदेशी धर्मप्रचारकों के सम्बन्ध में समय समय पर देते रहे हैं। यदि कोई विदेश धर्म प्रचारक, चाहे वह किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो और चाहे वह ईसाई धर्मप्रचारक हो या न हो, इस देश के हितों के विरुद्ध कार्य करता है, तो कोई भी उस का पक्ष नहीं लेगा। हम ईसाइयों को भी इस देश के हितों तथा इस राष्ट्र की सुरक्षा का उतना ही ध्यान है जितना कि अन्य किसी मतावलम्बी को है। तो फिर हमारे धर्मनिरपेक्ष राज्य में ईसाई धर्म-प्रचारकों की कार्यवाहियों को, चाहे वे किसी भी राष्ट्र के क्यों न हों, इतना निरुत्साहित क्यों किया जाता है।

कभी कभी यह कहा जाता है कि उन्हें अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है, किन्तु धर्मपरिवर्तन करने की स्वतंत्रता नहीं है। मेरी समझ में इस का अर्थ नहीं आता है। प्रचार का अर्थ तो उस की विशेषतायें बतलाना, अपील करना, प्रेरणा देना, तर्क करना और लोगों को पढ़ाना उन की सहायता करना तथा प्रार्थना करना है। क्या उपरोक्त वक्तव्य का यह अर्थ है कि हम तर्क तो कर सकते हैं, किन्तु विश्वास नहीं करा सकते; अपील तो कर सकते हैं, चाहे उस का कोई उत्तर न दे। यह तो बड़ी विचित्र युक्ति है। लोगों का धर्मपरिवर्तन तो किया ही नहीं जा सकता है उन्हें तो केवल प्रेरणा ही दी जा सकती है उन से अपील ही की जा सकती ह। धर्मपरिवर्तन तो उन लोगों के मनों में होता है, और लोग तो इस में केवल सहायता ही कर सकते हैं। अतः मुझे यह बात बिल्कुल व्यर्थ प्रतीत होती है कि हम ईसाई धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार तो कर सकते हैं किन्तु हमारा उद्देश्य धर्म-परिवर्तन नहीं होना चाहिये।

श्री वी० पी० नायर : (चिरायिन्किल) : आइजनहोवर की धर्मपुस्तक के लिये मत-परिवर्तन होता है ईसा मसीह की धर्मपुस्तक के लिये नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : और बहुत से नये अवतार भी तो बन गये हैं ।

प्रो० मैथ्यू : यदि इस का अर्थ यह है कि अवैध ढंग से धर्म परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये, तो इस बात से सभी सहमत हैं ।

यह कहा जाता है कि लोग कार्यों को देख कर अपने आप उन की ओर आकर्षित होंगे । किन्तु आधुनिक जगत में कार्यों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये मौखिक प्रचार तथा व्याख्या भी आवश्यक है ।

मेरा यह निवेदन है कि ईसाई धर्म-प्रचारकों की, चाहे वे किसी भी राष्ट्र के हों; भारतीय हों या अभारतीय, शिक्षा या चिकित्सा सम्बन्धी सहायता धर्मपरिवर्तन का साधन नहीं है । यह तो लोगों के शारीरिक कल्याण का साधन है, किन्तु इस के साथ ही वे उन की मानसिक तथा आत्मिक उन्नति भी करना चाहते हैं ।

मैं ने लोगों को यह कहते सुना है कि हमारे संविधान में अपने धर्मप्रचार का विशेषाधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है । मुझे आश्चर्य है कि यदि यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिये सुरक्षित है, तो यहां रहने वाले विदेशियों को कौन से अधिकार मिले हुए हैं । एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की दृष्टि से जहां सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता प्राप्त है यदि त्रावन्कोर-कोचीन के सभी ईसाइयों को हिन्दू बना लिया जाये तो एक भारतीय नागरिक के नाते मुझे उस का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री वेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : क्या त्रावनकोर कोचीन में ईसाइयों को कोई कठिनाई है ?

प्रो० मैथ्यू : मैं यह नहीं कहता हूं । मेरा यह कहना है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की दृष्टि से जब तक धर्म-परिवर्तन के लिये किसी अवैध ढंग का प्रयोग न किया जाये तब तक उसे अनुचित नहीं समझना चाहिये ।

गत सत्र में प्रधान मंत्री जी ने कुछ प्रश्नों के उत्तर में यह बताया था कि यहां से विदेशों को जाने वाले धर्म प्रचारकों पर वहां कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं लगाये जायेंगे । मेरा यह निवेदन है कि धर्मप्रचारकों पर कोई विशेष प्रतिबन्ध लगाना हमारी महान् परम्पराओं के विरुद्ध है । अतः मैं अपने देश की उन महान् परम्पराओं के नाम पर यह अनुरोध करता हूं कि साहित्य, विज्ञान, संस्कृति तथा आध्यात्मिक विषयों को राष्ट्रीय बन्धनों में नहीं बांधा जाना चाहिये यही हमारा सनातन सन्देश है । हमारे महाकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर प्रायः यह कहा करते थे कि संकुचित राष्ट्रीयता हमारी परम्पराओं तथा हितों के लिये घातक है ।

समाचारपत्रों के अनुसार माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि इस समय भारत में कार्य करने वाले धर्म प्रचारक धर्मप्रचार के संवैधानिक अधिकार का दावा कर सकते हैं, किन्तु भविष्य में धर्मप्रचारकों को यह अधिकार नहीं मिलेगा । मेरी यह समझ नहीं आता है कि यह भेद-भाव कैसे न्यायसंगत है ।

यह बात नहीं है कि हम विदेशियों की सहायता के बिना धर्मप्रचार कर ही नहीं सकते हैं । परन्तु मैं यह समझता हूं कि किसी समुदाय या दल की वैध आकांक्षाओं के मार्ग में बाधा डालना किसी सरकार को शोभा नहीं देता है

मुझे आशा है कि माननीय गृह मंत्री इस विषय में कोई स्पष्ट वक्तव्य देने की कृपा करेंगे जिस से ये सब आशंकायें दूर हो सकें। मैं इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्रीमती मणिबेन पटेल (कैरा---दक्षिण): उपाध्यक्ष जी, अभी मेरे पहले जो सदस्य बोले हैं उस के बारे में मुझे कुछ कहना है।

हमारी स्टेट सैक्यूलर है यह बात सही है और इस में हर एक को अपने धर्म को प्रोपेगेट करने की रज़ा है यह बात भी सही है। परन्तु इस का मतलब क्या है? इस का अर्थ यह तो नहीं हो सकता कि जो बेचारे समझते नहीं हैं, जो हिल ट्राइब वाले हैं, जो ग़रीब लोग हैं उन को किसी न किसी तरह कनवर्ट किया जाय। इस का यह मतलब नहीं हो सकता कि जो बच्चे हैं उनको कनवर्ट किया जाय। इस तरह से तो इस का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। यह मैं ठीक समझ कर कहती हूं और जो मेरे पास बातें आती हैं उन से कहती हूं। अब त्रावनकोर-कोचीन में हम को एक प्रकार से हार मिली। वोट्स की दृष्टि से अगर देखा जाय तो हम को मालूम होता है कि हम को ज्यादा मत मिले, लेकिन हमारी मैजारिटी नहीं है। इस बारे में भी मैं गृह-मंत्री को ज़रा सोचने और जांच करने को कहती हूं कि आप देखिये और तलाश कीजिये कि पिछले दो तीन साल में कितने मंदिरों का नुक़सान हुआ है और नाश हुआ है और आप यह भी सोचिये कि अगर इतना नुकसान और नाश ईसाइयों के देवलों या मुसलमानों की मस्जिदों का होता तो आप क्या करते। तो सैक्यूलर स्टेट का मतलब यह है कि सारे धर्म वालों को और हर कौम वालों को एक सा न्याय मिले।

दूसरी बात मैं यह कहती हूं कि अगर मिशनरी हमारे यहां ठीक तरह से काम करें तो हम को उन से कोई झगड़ा नहीं है। मेरा सम्बन्ध इस प्रश्न से काफ़ी है इसलिये मैं यह बात कहती हूं। हम दक्षिण में कस्तूरबा ट्रस्ट की ओर से कुछ बहिनों को नरसिंग की ट्रेनिंग देते हैं। हम उन को कुछ अस्पतालों में ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं और जब वह ट्रनिंग पा जाती हैं तो उन को देहातों में भेजते हैं। तो दक्षिण में एक मिशनरी अस्पताल में यह हालत है कि जो हमारी बहिनें टीका लगा कर जाती हैं उन को तंग किया जाता है और उन का अपमान किया जाता है और हम से रोज़ झगड़ा होता है। इसलिये हम ने अपना दूसरा अस्पताल खोलने का तय किया। तो क्या इस तरह रिलीजन प्रोपेगेट किया जाता है?

मैं आप को एक और उदाहरण देना चाहती हूं। मसूरी में एक मिशनरी स्कूल है वुड स्टाक स्कूल। वहां बच्चे पढ़ते हैं। एक साहब की लड़की पढ़ती थी। एक दिन उन को मालूम हुआ कि उन की लड़की को बैपटाइज़ कर दिया गया। तो क्या रिलीजन प्रोपेगेट करने का यह मतलब है। मैं कहती हूं कि हम जो यहां ५०० सदस्य बैठे हैं और जो अपर हाउस के सदस्य हैं उन को समझा कर सब को कनवर्ट कीजिये मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मैं खुद मिशनरी स्कूल में पढ़ी हूं और मैं ने दो साल बाइबिल का प्राइज लिया है। मुझे अनुभव है कि वह किस तरकीब से कनवर्ट करते हैं और किस तरह से छोटे बच्चों पर असर डालने की कोशिश करते हैं। इसलिये मेरी आप से खास विनती है कि प्रोपेगेशन के नीचे इस तरह का काम नहीं होने दें। यह तो स्टेट का काम है। हम तो थोड़ा बहुत ऊपर से देखते हैं। ऐसी बात कर के आप छूट नहीं सकते। आप के पास तो सारे हिन्दुस्तान की बातें जरूर आती होंगी और न आती हों तो आप को जांच करनी चाहिये। यह बात मुझे खास कहनी पड़ी है क्योंकि मैं ने यह देखा है।

[श्रीमती मणिबेन पटेल]

अभी पिछले साल मेरी कांस्टीट्यूएंसी में एक देहात में मिशनरी अस्पताल खोलना चाहते थे। वहां के लोगों के बहुत शोर मचाने पर उन्हों ने नहीं खोला। कुछ दिन पहले मैं ने अखबारों में पढ़ा कि फिर अस्पताल खोलना चाहते हैं, तलाश करने को लिखा है। हमारे यहां जो कनवर्शन होता ह वह हरिजनों का होता है और फिर उन को अपने यहां से वह निकलने नहीं देते और किसी से मिलने नहीं देते। इस तरह से उन को रखते हैं। मझे कोई झगड़ा नहीं है चाहे वह सारे हाउस को ईसाई या मुसलमान कर लें। लेकिन समझा कर करें। और मेरी विनती है कि इस के लिए कोई रास्ता निकाला जाय कि बिना स्टेट के किसी अधिकारी की इजाज़त के किसी को कनवर्ट न किया जाय। हमारे स्वतंत्र होने के बाद इस तरह से कितने क्रिश्चियन बनाये गये हैं और दक्षिण में कितने ही क्रिश्चियन और मसलमान भी इस तरह बनाये जा रहे हैं। इस चीज़ को आप को देखना है। जो लोग कि सरकार में काफी इज्ज़त पाते हैं, जिन के साथ आप मशविरा करते हैं और जिन को आप कभी भी कम्युनल नहीं कहेंगे, ऐसे लोगों के साथ मेरी आठ दस दिन हुए बातें हुई हैं और उन्हों ने यह बात मुझ से कही है कि इस तरह से दक्षिण में चल रहा है। मेहरबानी कर के इस चीज़ को देखिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि इधर हमारे यहां आई० ए० एस० और आई० पी० एस० का आबू में ट्रेनिंग स्कूल है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा भी है कि हमारा जो अधिकारी वर्ग है वह लोगों के साथ मिल जुल कर रहे। और वह जहां कहीं भी जायं वहां यह पता न लगे कि वह फारेन एलीमेंट है। तो मैं परसों का आप को उदाहरण देती हूं। मैं खादी और ग्रामउद्योग प्रदर्शनी में गयी थी। तो वहां पर ज़मीन पर बैठने का इन्तज़ाम था। अब एक भाई वहाँ आये और चूंकि वह पतलून पहने हुए थे, इस लिए घंटे भर खड़े रहे, बैठ नहीं सके क्योंकि अगर बैठते तो एक तो पतलून की क्रीज़ बिगड़ जाने का डर था और दूसरे पतलून के कारण आसानी से बैठ भी नहीं सकते थे। मेरा आप से यह कहना है कि यह जो आप आफ़िसर्स को ट्रेनिंग देते हैं तो इन को हाथ से खाना खाना सिखाइये, खाली छुरी-कांटे से खाना मत सिखाइये। अब ज़माना पलट गया है और वे आप के अफ़सर देहातों में जायेंगे तो यह बहुत आवश्यक है कि उन को बग़ैर छुरी कांटे की मदद लिये हाथ से ठीक तरह खाना खाना आता हो। देहात में मैं जाती हूं जब आफ़िसर्स के साथ खाने का मौक़ा पड़ा है तब मैं ने देखा है। आज उन की आदत छुरी कांटे से खाने की पड़ने के कारण अगर वह हाथ से खाना खाते हैं तो अपने कपड़े ख़राब कर लेते हैं क्योंकि उन को नैपकिन लेकर खाना खाने की आदत पड़ी हुई है और हम तो देते नहीं। अब वक्त आ गया है जब आप इन अफसरों को ज़मीन पर बैठ कर दो हाथ से खाना खाने के बजाय एक हाथ से खाना खाना सिखलायें और भोजन समाप्त करने के बाद हाथ धोना भी सिखायें। नैपकिन तो हम देते नहीं तो वह खाना खाने के बाद अपनी जेब से रूमाल निकाल कर उस से हाथ मुंह सिर्फ पोंछ लेते हैं। देहात में काम करने के लिये उन को यह सब सिखाना पड़ेगा। अब हम लोग और आप तो ज़मीन पर जहां जायें आसानी से बैठ जाते हैं, लेकिन पतलून पहनने वाले लोगों को ज़रूर दिक्कत आती है। आप ने क्लोज़ बटन कोट और पतलून रखा है, ठीक है। पतलून रखेंगे तो यही हाल होगा। इसलिये आप को इस चीज़ की तरफ़ भी ग़ौर करना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि हर तरफ़ से जो यह आवाज़ उठायी जाती है कि तनख्वाह कम करो, तो मेरा कहना है कि ऐसा करने के लिये हमें अपना ढंग बदलना पड़ेगा, उन के पोशाक और रहन-सहन का ढंग बदलना पड़ेगा। मैं यह बात साफ कर देना चाहती हूं कि मुझे उन से कोई नफ़रत नहीं है, उन से मुझे कोई तक़लीफ़ नहीं है, लेकिन मैं यह ज़रूर कहना चाहूंगी कि उन को जीवन व्यतीत करने का ढंग बदलना होगा। उन के जो मकान बनते हैं तो उस में कूलर्स और एयर कंडीशनिंग का इन्तज़ाम रहता है, लेकिन पानी का मटका रखने का ठिकाना ही नहीं मिलता। यह सब आप को बदलना पड़ेगा। आप को उन के घर में प्रवेश करना होगा और उन के रहन सहन को बदलना होगा। हमारे भाई लोगों को जो पश्चिम का मोह लग गया है, उस से उन्हें निकलना होगा। क्लबों में जाना और शराब पीना क्या यह हमारी संस्कृति है ? पुरुषों की तो क्या हमारी बहिनें भी पाश्चात्य सभ्यता के रंग में इतनी रंग चुकी हैं कि क्लबों में जाती हैं, और सिगरेट और शराब पीती हैं। मुझे यह देख कर बड़ा दुःख होता है और मैं तो इसलिये शाम को किसी ऐसी पार्टी में जाती नहीं हूं। क्लबों और जिमखानों में ये चीज़ें चलती हैं, मुझे तो शर्म आती है जब कोई लोग हमारी बहिनों को सिग्रेट औफ़र करते हैं, लेकिन जब पीने वाली निकलती है तो सिग्रेट दिखाने वाला बेचारा क्या करे, उस का भी क्या कसूर है। हमें यह चीज़ समझ लेनी चाहिये कि अगर उन को देहातों में सफलतापूर्वक काम करना है तो यह ज़रूरी है कि हम वहाँ के लोगों के साथ मिल जायं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने भाई और बहिनों में यह जो पाश्चात्यपन आया हुआ है उस को बदलें और वे हमारे आफ़िसर्स जब गांवों में काम करने जाय तो वह उन से अलग न मालूम हों। आप को इस ओर ध्यान देना होगा।

तीसरी बात जो मुझे अर्ज़ करनी है वह यह है कि इस यलो प्रेस के लिये हम को ठीक तौर पर प्रबन्ध करना चाहिये। आप जब यहां पर इतने वक़ील लोग जमा हैं, आप इस की ब्लकमेलिंग रोकने का कोई तरकीब कीजिये, निकालिये। यह जो ब्लैक मेलिंग होती है, टेलीफ़ोन करते हैं कि हमारे पास आप के बारे में यह खबर आई है और हम यह छापते हैं, वह बेचारा अपनी प्रतिष्ठा के लिये डर के मारे कुछ पैसा भेज देता है। मैं चाहती हूं कि इस तरह की ब्लेकमेलिंग जो यलो प्रेस द्वारा की जाती है उस का पूर्णतया अन्त किया जाय और उस के लिये सक्रिय क़दम उठाये जायें। मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि इस ब्लैकमेलिंग को प्रेस एडवाइज़री तथा एडीटर्स बोर्ड रोकने में कुछ नहीं कर पाया है। उन की कुछ नहीं चली है। वह इस को रोकने की दिशा में कुछ भी नहीं कर सकी है, इसलिये सरकार को इस के लिये कोई उपाय निकालना चाहिये।

इस के अलावा जो आप के इंस्टीट्यूशन्स हैं जहां आप की चलती है जैसे रेलवे, टेलीफोन डायरेक्टरी और गवर्नमेंट पबलिकेशन्स उन में कोई विज्ञापन ऐसा नहीं होना चाहिये जिस से हमारी वेलफ़ेयर स्टेट को कोई धब्बा लगे और जिस से हमारी संस्कृति आगे बढ़ने के बजाय, संस्कृति अच्छी होने के बजाय उल्टी हो जाय।

आखिरी बात मैं कह कर बन्द किये देती हूं। यह जो मद्य निषेध का मामला है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज जब कि कितनी ही स्टेटों में हल्के हल्के मद्य निषेध हो रहा है, तब सेंटर इस बारे में एपेथेटिक है ऐसा जो असर है उस को हटाना बहुत ज़रूरी है। आप को कम से कम इतना तो ज़रूर सेफ़गार्ड कर लेना चाहिये कि नये जो अफ़स

[श्री मती मणिबेन पटेल]

आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के हों तमाम विभागों में जो सरकारी कर्मचारी नये लिये जायें वे शराब पीने वाले न हों। इस के अलावा आप यह जो यहां स्टाफ़ रख रहे हैं मैं सुझाव देना चाहती हूं कि जिस तरह से आल इंडिया सर्विसेज़ में हर प्रान्त लोग लेते हैं उसी तरह से आप सैंट्रल सेक्रेटेरियट का जो इतना सारा स्टाफ़ है, इस में हर एक प्रान्त के आदमी लें। आज यह अक्सर देखा जाता है कि जब कोई ख़ास प्रान्तीय भाषा के जानने वाले अफ़सर की ज़रूरत होती है तो वह मिलता नहीं है कारण यहां पर अधिकतर दो, या तीन प्रान्तों के कर्मचारी भरे पड़े हैं। मुझे आप ने बोलने का समय दिया, इसलिये मैं आप को धन्यवाद देती हूं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : सब से पहले मैं भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम के भाग क में के राज्यों तथा भाग ख में के राज्यों में प्रवर्त्तन के सम्बन्ध में भेद-भाव की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भाग ख राज्यों में कलक्टर (समाहर्त्ता) को सारे राज्य और सारे भारत के लिये शस्त्र का लाइसेंस देने का अधिकार नहीं है। विलय से पूर्व इन रियासतों में शस्त्रों के प्राप्त करने तथा उन के प्रयोग के लिये अधिक सुविधायें प्राप्त थीं। किन्तु अब सारे भारत में शस्त्र के प्रयोग का लाइसेंस प्राप्त करने के लिये हमें मुख्य सचिव के पास जाना पड़ता है। मुझे मालूम नहीं कि भाग क में के राज्यों तथा भाग ख में के राज्यों के बीच यह भेद-भाव क्यों किया जाता है? आशा है मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

गृह मंत्रालय के केन्द्रीय रक्षित पुलिस बल का दोनों मंत्रालयों के वृत्तान्तों में कहीं भी उल्लेख नहीं है। इतने बड़ पुलिस बल का बिल्भी भी उल्लेख क्यों नहीं किया गया? आप ने यह १९४९ का अधिनियम संख्या ६६ क्यों बनाया है जिस के अन्तर्गत केन्द्रीय रक्षित पुलिस बल को बनाया गया था और नीमच में रखा गया था? लोगों को गत ६, ७ या ८ वर्ष से स्थायी नहीं किया जा रहा है। वे सरकारी नौकर हैं और पदधारी हैं, किन्तु सेवानिवृत्त होने तक उन्हें यह नहीं पता लगता कि वे स्थायी हो गये हैं या नहीं। मुझे यह बताया गया है कि कई लोग कब के सेवा निवृत्त हो चुके हैं, किन्तु अभी तक उन का निवृत्तिवेतन नहीं मंजूर हुआ है।

केन्द्रीय रक्षित पुलिस बल अधिनियम के अनुसार उस का उच्चतम पदाधिकारी उन का नायक होना चाहिये। विधि के किस उपबन्ध के अन्तर्गत दिल्ली के पुलिस महा-निरीक्षक को उस एकक के प्रशासन का कार्य सौंपा गया है? अजमेर के पुलिस उपमहानिरीक्षक को हस्तक्षेप करने के लिये क्यों कहा जाता है? दिल्ली तथा अजमेर के भाग ग में के राज्यों के इन लोगों का केन्द्रीय रक्षित पुलिस बल पर अधिक प्रभाव है, यद्यपि उस का प्रशासन सीधे केन्द्रीय सरकार को करना चाहिये।

४ म० प०

मैं यह चाहता हूं कि भविष्य में इन बातों का ध्यान रखा जाये और सदन को यह बताया जाये कि इस पुलिस बल को किस प्रकार काम में लाया जाता है। मैं इस बात की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भारत के सभी राज्यों में सशस्त्र पुलिस बल हैं, किन्तु दुर्भाग्य से भाग ख में के राज्यों के और केन्द्रीय सरकार के पुलिस बल के सिपाहियों के वेतनों में बहुत अन्तर है। भील पुलिस बल के सिपाही को ४२ रुपये मिलते हैं जब कि केन्द्रीय रक्षित पुलिस के साधारण सिपाही को ६७ रुपये मिलते हैं। यह अन्तर

क्यों है ? इस बात की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये ।

संविधान की सातवीं अनुसूची में एक उपबन्ध है कि राज्य सूची के अनुसार जिस राज्य में से हो कर कोई रेलवे जाती हो उस की रेलवे पुलिस का व्यय वही राज्य उठायेगा । किन्तु मध्य भारत और राजस्थान जैसे भाग ख में के राज्यों की रेलवे पुलिस का व्यय अभी तक भारत सरकार ही उठाती है । इस का क्या कारण है ? मध्य भारत तथा राजस्थान सरकार को भी रेलवे पुलिस का व्यय स्वयं उठाना चाहिये और उस पर उन का नियंत्रण होना चाहिये । भाग ख में के राज्यों में पुलिस की दशा बहुत खराब है । सिपाहियों के पास जूते नहीं हैं और उन के कपड़े फटे हुए होते हैं । अतः आप को उन की ओर ध्यान दे कर उन की दशा सुधारनी चाहिये ।

रिपोर्ट में एक स्थान पर यह लिखा हुआ है कि सरकार ने विस्थापित सरकारी नौकरों को अन्तर्कालीन निवृत्तिवेतन देने के लिये कुछ किया है । किन्तु मुझे यह शिकायत मिली है कि सिन्ध और बिलोचिस्तान के लगभग ७०० पटवारी इधर उधर भटक रहे हैं और उन में से एक को भी काम नहीं मिला है । अब वे निराश हो कर कोई गड़बड़ करने वाले हैं । अतः सरकार से मेरी यह प्रार्थना है कि उसे शीघ्रातिशीघ्र इन्हें काम दिलाना चाहिये । मुझे यह भी बताया गया है कि उन के निवृत्ति वेतन मंजूर नहीं किये जा रहे और सेवा-निवृत्त होने के पश्चात् जिन लोगों की सेवा की अवधि बढ़ानी होती है उन्हें अन्तिम दिन तक इस की सूचना नहीं दी जाती है । इस प्रकार की प्रवृत्ति बदलनी चाहिये ।

मैं दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । जो रेलवे कर्मचारी अपराध करते हैं उन के मामले बहुत समय तक बिना कार्यवाही के लटके रहते हैं । १९५२ में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना ने ३३० मामले और १९५३ में ३७६ मामले दर्ज किये थे । इतने तो सामान्यतया एक पुलिस थाना कर सकता है । मुझे मालूम नहीं कि इस स्थापना पर इतना अधिक व्यय क्यों किया जा रहा है, ये लोग कुछ करते-धरते तो हैं नहीं, केवल भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं । अतः मेरा यह अनुरोध है कि इसे तुरन्त समाप्त कर देना चाहिये ।

इन रिपोर्टों में यह तो बताया नहीं गया है कि सरकार ने क्या क्या काम किये हैं किन्तु यह अवश्य बताया गया है कि सरकार का क्या क्या करने का इरादा है । यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं है । सरकार को सदन के समक्ष वर्तमान तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहिये, अर्थात् इस की अपेक्षा कि भविष्य में क्या करने का इरादा है यह बताना चाहिये कि वस्तुतः क्या किया गया है ।

न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में भी सरकार ने राजनैतिक दबाव में आ कर त्रिवेन्द्रम् में त्रावनकोर-कोचीन उच्च न्यायालय के लिये स्थान की व्यवस्था कर दी है, किन्तु इस सम्बन्ध में राजस्थान की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । मेरी यह राय है कि यदि सरकार राजनैतिक दबाव के आगे झुकना नहीं चाहती है तो उसे प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय का एक ही स्थान रखना चाहिये अथवा उसे इस प्रथा को हटा कर चंक्रिम न्यायालयों की व्यवस्था कर देनी चाहिये । न्यायालय के एक स्थान पर न होने के कारण राजस्थान की जनता को बहुत कष्ट हो रहा है । इस के अतिरिक्त मध्य भारत उच्च न्यायालय तथा राजस्थान उच्च न्यायालय में पर्याप्त न्यायाधीश न होने के कारण काम की हानि हो रही है । हमारे यहां केवल छै न्यायाधीश है,

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

तीन जोधपुर में और तीन जयपुर में और जयपुर में लगभग ३,५०० मामले तथा जोधपुर में लगभग १,८०० मामले विचाराधीन पड़े हैं। सरकार को राजस्थान तथा मध्य भारत के उच्च न्यायालयों में तुरन्त पर्याप्त न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रश्न की ओर ध्यान देना चाहिये।

श्रीमती गंगा देवी (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी---रक्षित---अनुसूचित जातियां) : माननीय उपाध्यक्ष जी तथा अन्य सदस्यगण, आज हाउस में होम एफेयर्स पर जो चर्चा चल रही है उस पर मुझे भी अपने कुछ विचार प्रकट करने की इच्छा हुई। आज हमें यह देख कर बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारा देश एक स्वतंत्र देश है ; अपना संविधान है, अपनी सरकार है। यह सब देख कर बड़ी प्रसन्नता और बड़ा गर्व होता है, लेकिन दूसरी ओर जब हम देखते हैं कि हमारा गरीब तबका, खेतिहर मज़दूर किसान आज स्वतंत्र भारत में भी भुखमरी, ग़रीबी, बेरोज़गारी से परेशान हैं तो हमें बड़ा दुःख होता है। सन् १९४७ से ले कर अभी तक हमारी सरकार रचनात्मक कार्य में जो कुछ खर्च कर रही है वह एक प्रशंसनीय कार्य है। इतना सब कुछ होते हुए भी हमें सन्तोष नहीं है क्योंकि आज देश में भुखमरी, ग़रीबी और बेरोज़गारी का जो सवाल है वह सरकार के सामने है। वह किसी से छिपा नहीं है। हमारा देश सदियों से गुलाम बना हुआ था। पूज्य बापू ने इस को अपने त्याग और तपस्या से सदियों से चली आ रही दासता से मुक्त किया। यह उन्हीं की तपस्याओं का परिणाम है कि आज हमारी सरकार एक बड़े देश का शासन कर रही है। लेकिन उन की आकांक्षायें पूरी नहीं हुई थीं। पूज्य बापू की इच्छा थी कि हमारे देश में अमीर और ग़रीब एक हों, हमारे देश से भुखमरी, बेरोज़गारी का अन्त हो, छुआछूत का अन्त हो ; लेकिन यह उन की सारी आकांक्षायें अधूरी ही रह गयीं। जो कुछ रचनात्मक कार्य हरिजनों के उत्थान के लिए हुआ या पिछड़े वर्ग के लिए हुआ वह उन के जीवन काल तक ही रहा। उस के बाद कांग्रेस ने अपनी नीति बदल दी पूज्य बापू ने देश को गुलामी से छुड़ाया। देश में जो ग़रीब और पिछड़े वर्ग के लोग थे उन को आगे लाने का वह निरन्तर प्रयत्न करते रहे और अन्तिम समय तक भी इसी कोशिश में रहे। उन्हों ने जो आन्दोलन जारी किया उस में वह पूर्णतः सफल हुए। भारत को आज़ाद किया। लेकिन साम्प्रदायिकता को मिटाने में वह असफल रहे और अन्त में उसी साम्प्रदायिकता के शिकार हुए। आज़ादी आने के पहले भारत के सभी वर्ग इस आशा में थे कि अपनी सरकार के आने पर हमारी सारी तकलीफ़ें दूर होंगी, हमारी सारी मुसीबतें दूर होंगी, हमारी सरकार होगी, हमारे भाई बड़े बड़े पदों पर पहुंचेंगे, हम अपनी तकलीफ़ें दिल खोल कर उन के सामने कहेंगे। लेकिन जब यह नहीं हुआ तो चारों ओर बेचैनी फैल गयी।

संविधान में बहुत सी धारायें ऐसी बनायी गयी हैं जिन से हमें बहुत आश्वासन मिलता है हम लोगों को यह सांत्वना दी गयी कि आप लोगों की राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक कुरीतियां दूर की जायंगी। लेकिन यह धारायें धारायें मात्र ही रह गयीं। यह आज तक भी कार्यरूप में ला कर दिखायी नहीं जा रही हैं। इस समय जो हमारा विशेष विषय है वह है इस देश के ग़रीबों को, इस देश के बेरोज़गारों को रोज़गार दिलाने का। सब से गम्भीर और आवश्यक प्रश्न हमारे सामने आज बेरोज़गारी का है। राष्ट्र की इस गहन समस्या का हल तभी हो सकता है

जब कि देश की बेरोज़गारी को सरकार पूर्ण रूप से खत्म कर दे। इस समय देश में दो प्रकार की श्रेणियां हैं, अनपढ़े और पढ़े लिखे जिन की बेरोज़गारी का प्रश्न है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, डेवेलपमेंट ब्लाक्स आदि योजनायें बनाई जा रही हैं। इन सामुदायिक योजनाओं से उन को कुछ रोज़गार मिल सकता है। लेकिन इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स से कुछ चन्द हजार पढ़े लिखे लोगों को ही रोज़गार मिल सकता है। लेकिन उन लोगों की तरफ़, जो छोटे छोटे किसान हैं, खेतिहर मज़दूर हैं, छोटे ज़मींदार हैं जो कि गांवों में रहते हैं, उन की ओर सरकार का ध्यान भी नहीं गया है। उन को इन सामुदायिक योजनाओं के द्वारा कोई रोज़गार नहीं मिल सकता। इन योजनाओं से देश की ग़रीबी दूर नहीं होगी। देश का धन अवश्य बढ़ेगा लेकिन यह धन बड़े बड़े पूंजीपतियों का और सरमायेदारों का ही हो सकता है। इन से देश के खेतिहर मज़दूरों को, जो कि गांवों में रहते हैं और जिन को ६ महीने तीन महीने और कुछ को तो दो महीने भी काम नहीं मिलता, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और वे परेशान हैं। उन के पास घर नहीं है, कपड़ा नहीं है और न उन के बच्चों की शिक्षा का कोई समुचित प्रबन्ध है।

जमींदारी उन्मूलन के छोटे छोटे ज़मींदारों और किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह तो बेचारे अपनी खेती को भी दुरुस्त नहीं कर पाये। उन पर पुलिस और द्विजातियों का अत्याचार हो रहा है और वह बहुत परेशान हैं। करोड़ों एकड़ ज़मीनें जो कि आज बंजर पड़ी हैं यदि वह इन भूमिहीनों को बांट दी जायं जिन के पास ज़मीन नहीं है, जो कि दुनिया का मुंह ताक रहे हैं, तो बहुत अच्छा हो। यदि निष्पक्ष रूप से सभी पिछड़े वर्ग के लोगों में जो कि बेरोज़गार हैं, ग़रीब हैं, यह ज़मीन बांट दी जाय तो बहुत हद तक उनकी बेरोज़गारी का प्रश्न हल हो सकता है और वे इस ज़मीन को पा कर देश की सरकार को बहुत कुछ मदद पहुंचा सकते हैं। इस से खाद्य स्थिति की उन्नति हो सकती है, देश का ग़ल्ला बढ सकता है और वह लोग रोज़गार में लग सकते हैं। मैं चाहती हूं कि सरकार इस तरफ़ शीघ्र से शीघ्र ध्यान दे और उन को भूमि बांट कर रोज़गारमन्द करे।

अनपढ़ लोगों की बेरोज़गारी का प्रश्न भी बहुत ही गंभीर प्रश्न है। यह मसला तभी हल हो सकता है जब कि गांव गांव में घरेलू दस्तकारियों के लिये कौटेज इंडस्ट्रीज़ खोली जायं और उन को हर तरह से प्रोत्साहन दिया जाय। लोगों को ऐसे काम सिखाये जायं जैसे कुरसी बुनना, दरी व निवाड़ बुनना, बेंत के मूढ़े बनाना इत्यादि। इस तरह की और अनेकों घरेलू दस्तकारियां हैं जिनको वह अच्छी तरह से सीख कर अपना जीवन सुगमता पूर्वक निवाह कर सकते हैं। इस तरह के कार्य सिखाने के पश्चात उन को सरकार की तरफ़ से इतना धन देना चाहिये जिस से कि वे अपना काम आगे चला सकें और बढ़ा सकें और उस से धन उपार्जन कर के देश की सम्पत्ति को बढ़ायें। इस तरह की घरेलू दस्तकारियों के केन्द्र हर दस गांव के क्षेत्र के बीच में क़ायम होने चाहियें ताकि यह लोग मध्यम वर्ग के लोगों से अपने को बचा सकें। जो पुराने ढंग के काम होते हैं उन में छोटी छोटी जापानी मशीनों को काम में लाया जा सकता है जिस से काम शीघ्र और सुन्दर तरीक़े से हो सके।

दूसरी समस्या हमारे सामने पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार दिलाने की है। इस सम्बन्ध में सरकारी नौकरियों का सवाल आता है। सरकार से मुझे विशेष शिकायत इस बात की है कि आज जो सरकारी नौकरियां दी जाती हैं उन में सिफ़ारिशों को सब से ज़्यादा तरजीह

[श्रीमती गंगा देवी]

दी जाती है और यह अक्सर देखा जाता है कि जिन की जितनी ज़्यादा सिफ़ारिश होती है उस को सब से पहले नौकरी मिलने का चांस रहता है। दूसरी चीज़ है रिश्वतख़ोरी का। जहां पर कोई वैकेन्सी होती है, कोई एक जगह खाली होती है, हज़ारों की तादाद में वहां पर अच्छे अच्छे योग्य और क्वालीफाइड लोग पहुंचते हैं लेकिन होता यह है कि जो ज़्यादा रिश्वत देता है उसी को वह जगह मिलती है। इस से हमें पता लगता है कि वे लोग रुपया दे कर के उन स्थानों को और उन पोस्ट्स को ख़रीद लेते हैं और उन की क्वालीफ़िकेशन और टेस्ट व इंटरव्यू जो होते हैं वह सब बेकार हो जाते हैं। मैं चाहती हूं कि इस को चेक करने के लिए ऐसी कमेटियां और नियम होने चाहियें जो इन बातों की अच्छे तरीक़े से जांच कर सकें ताकि बेईमानी इस सम्बन्ध में न हो सके।

जहां तक शैड्यूल्ड कॉस्ट की सीटों के रिज़रवेशन का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहती हूं कि यह घोषणा केवल हमें प्रसन्न करने और हम लोगों को बहलाने के लिये की गयी है। लेकिन वास्तव में हमारे लिये नौकरियों में कोई रिज़रवेशन नहीं होता है। हम देखते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोग बावजूद वेल क्वालीफ़ाइड होने के और हालांकि उन्हों ने उच्च वर्ण के उस हिन्दू उम्मेदवार के साथ एक ही कालिज में पढ़ा है और डिग्री प्राप्त की है, जो उसी के साथ एक ही पोस्ट के लिए उम्मेदवार लेकिन शेडयूल्ड कास्ट वाला कैंडीडेट फ़ेल कर दिया जाता है और अगर कहीं टेस्ट में पूरा उतर जाता है तो इंटरव्यू में उस को रोक लिया जाता है और उच्च वर्ण को वह जगह दे दी जाती है, आज इस तरह का पक्षपात हमें देखने को मिल रहा है। मैं स्वयं इस सिलसिले में आप को बतलाऊं कि मेरठ मनायब तहसीलदारी की टेम्परेरी पोस्ट ख़ाली हुई, वहां के ए० डी० एम० से मैंने उस पोस्ट के बाबत बातचीत की और उस पोस्ट के लिये एक शेडयूल्ड कास्ट कैंडीडेट का ज़िक्र किया। उन्हों ने मुझे बतलाया कि इस के लिये इंटर और ग्रेजूएट होना ज़रूरी है, लेकिन दूसरे ही दिन मुझे पता लगा कि वहां पर मैट्रीकुलेट कैंडीडेट ले लिया गया है। यह जान कर मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ और इस प्रकार के अनेक दृष्टान्तों के आधार पर मैं यह कह सकती हूं कि हमारे साथ इस तरह की पक्षपात मय नीति बर्ती जा रही है, जब तक हमारे प्रति यह नीति जारी रहेगी, अछूत समाज कभी उन्नत अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता और पिछड़े वर्ग को समान स्तर पर लाने की जो योजना है वह कभी भी सफल नहीं हो सकती है। आज हमें कहा जाता है कि क्लासलैस और कास्टलेस समाज की स्थापना होगी, लेकिन इस प्रकार का हमारे साथ व्यवहार जारी रहा तो यह कैसे संभव हो सकता है। इसलिये हमारी सरकार को यदि देश को उन्नत करना है और आगे बढ़ाना है तो इस पक्षपात को ख़त्म कर के पिछड़े वर्ग के परिगणित जाति के जितने भी कैंडीडेट्स आगे जाते हैं उन के साथ सहानुभूतिपूर्ण और न्यायपूर्ण बर्ताव होना चाहिये और उन की ग़लतियों और कमियों को उस नज़र से नहीं देखना चाहिये जिस दृष्टि से देखा जा रहा है, क्योंकि यह सोच लेना चाहिये कि यह लोग बहुत बड़ी तपस्या कर के और ग़रीबी के कष्ट झेलते झेलते आज यहां तक पहुंचे हैं और अगर आज उन में कोई क़सर रह भी गयी है तो यह उन का क़सूर नहीं है, बल्कि यह क़सूर है उन उच्च वर्ण के हिन्दुओं का जिन्हों ने उन को आज तक दबा कर रखा है, उन की भावना को बुरी तरह कुचला गया है। इसी गत वर्ष हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरियट में कुल १०७५ परमानेन्ट गजेटेड आफ़िसर्स की पोस्ट्स थीं

जिन में से शेड्यूल्ड कास्ट को कुल तीन जगहें मिलती हैं जब कि वहां सैकड़ों एपलीकेशन्स आई हुई थीं। उस के बाद हम ने देखा कि ऐसी कितनी ही पोस्ट निकलती हैं वहां किसी न किसी तरीक़े से फ़ोर्थ ग्रेड में वह लोग इस रिज़र्वड कोटे को पूरा कर के दिखला देते हैं, जब दूसरी जगहों में जैसे फर्स्ट ग्रेड में थर्ड ग्रेड में रिज़रवेशन के कोटे को दूसरे हिन्दू कैंडीडेट्स द्वारा पूरा करते हैं तो फ़ोर्थ ग्रेड में क्यों नहीं पूरा करते जहां कुलियों की और भंगियों की ज़रूरत होती है वहां क्यों नहीं सवर्ण हिन्दुओं को ले कर उस फ़ोर्थ ग्रेड के कोटे को पूरा करते हैं। बस चूंकि अब मेरे पास समय नहीं है, इसलिये मैं अपनी स्पीच खत्म किये देती हूं।

श्री सी० के० नायर : (बाह्य दिल्ली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर से फ़ायदा उठा कर देहली राज्य जो कि पार्ट सी स्टेट है वहां पर जिस प्रकार से कार्य चल रहा है, उस के बारे में कुछ रोशनी डालना चाहता हूं। आप को मालूम है कि दिल्ली उन पार्ट सी स्टेट्स में से एक है जिस के वास्ते दो साल पहले यह पार्ट सी ऐक्ट बना था और आप को यह भी मालूम है कि वहां एक ऐसे क़िस्म का शासन जारी है जिस को द्विशासन ही कहा जा सकता है। आप को यह भी मालूम है कि वह पद्धति १९२२ में मांटेगू चैम्सफ़ोर्ड रिफ़ार्म्स के मातहत हिन्दुस्तान को मिली थी, उसी का रिपीटीशन यहां पर किया गया है। आप को यह भी मालूम है कि उसी द्विशासन के खिलाफ़ लड़ते लड़ते हमारे बड़े नेता स्वर्गीय सी० आर० दास और मोतीलाल नेहरू स्वर्गवास हो गये, उसी चीज़ को देहली में एक वेनजेंस के साथ लगाया गया। उस विधान के मातहत शासन पद्धति के दो हिस्से किये गये, एक रिज़र्वड और दूसरा ट्रान्सफ़र्ड सबजक्ट्स। आप यह सुन कर ताज्जुब करेंगे कि उन ट्रान्सफ़र्ड सबजेक्ट्स में एक सबजेक्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी मौजूद है, यानी देहली की जितनी म्युनिसपल्टीज़, और नोटीफ़ाइड एरिया कमेटीज़ हैं, उन के ऊपर भी शासन का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आप को यह भी मालूम होना चाहिये कि उस मांटेगू चेम्सफ़ोर्ड रिफ़ार्म के नीचे सब से पहले जो अधिकार हिन्दुस्तानियों को दिया गया उस में लोकल सेल्फ़ गवर्नमेंट था उस के हक़ से भी देहली वालों को महरूम रखा गया। इस के अलावा जितनी भी स्टैचटरी बाडीज़ थीं, यानी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, देहली ट्रान्सपोर्ट आदि कई चीज़ें ट्रान्सफ़र्ड सबजेक्ट्स में रखी गयी हैं, यहां के लोकल कोर्टस भी गवर्नमैंट आफ़ इंडिया के मातहत रखे गये हैं। पुलिस के ऊपर तो देहली गवर्नमेंट का कोई अधिकार ही नहीं था, लेकिन जब यह शासन देहली में दो साल पहले शुरू किया गया था उस वक्त हमारे गृह मंत्री ने यह आश्वासन दिया कि यह ऐक्ट प्रैक्टिस में पक्षपात के बिना यानी किसी तमीज़ के बग़ैर चलाया जायगा यानी ट्रान्सफ़र्ड और रिज़र्वड सबजेक्ट्स में कोई तमीज़ नहीं की जायगी, लेकिन अमल में हम ने देखा कि जो वायदा किया गया था उस के विरुद्ध अमल हुआ।

यानी जितनी दफ़ा पुलिस के इन्तज़ाम में ख़राबी पाई गई, हमारे मंत्रियों ने कोशिश की कि उस के ऊपर कुछ अनुशासन की कार्यवाही की जाय या अनुशासन का ज़ोर डाला जाय, लेकिन इस के लिये उन को अधिकार नहीं था।

इस के अलावा अब आप इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को लीजिये। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट तो बहुत बड़ी संस्थाहै, दिल्ली जैसे यूनियन कैपिटल के लिये इस पांच साला योजना के नीचे एक मास्टर प्लैन तक अभी नहीं बना, यानी अब तक एक ओवर आल डैवेलपमेन्ट पिक्चर दिल्ली के लिये नहीं बनी। जो भी इम्प्रूवमेन्ट हो रहा है,

[श्री सी० के० नायर]

अन्धाधुन्ध हो रहा है। हमारे रिफ्यूजी भाइयों के वास्ते कई कालोनीज बनी हैं। हम को उन के साथ हमदर्दी है, लेकिन इस के माने यह नहीं कि दिल्ली की सफ़ाई को बिल्कुल नज़रअन्दाज़ किया जाय और दिल्ली के डिवेलपमेन्ट को बिल्कुल नजरअन्दाज़ किया जाय। मैं समझता हूं कि यह सब से बड़ी चीज़ है कि दिल्ली के वास्ते मास्टर प्लैन बनाया जाय, और इस के अन्दर जो भी इम्प्रूवमेन्ट, जो भी डिवेलपमेन्ट हों, वह उस प्लैन के मातहत होना चाहिये। आप को यह भी मालूम है कि बिड़ला कमेटी नाम की जो मशहूर कमेटी बनी थी, उस ने अपनी रिकमेन्डेशन्स की थीं इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की सही वर्किंग के वास्ते, गवर्नमेन्ट की तरफ़ से यह भी बतलाया गया है कि उस के प्राविज़न्स को इम्प्लीमन्ट किया जा रहा है, लेकिन मैं यह जानता हूं कि उस में से एक बात भी अब तक इम्प्लीमेन्ट नहीं की गई है। यह गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के मातहत रहने वाली दिल्ली हुकूमत की गति है।

मैं समझता हूं कि इस के अलावा भी जो हमारे ट्रान्सफर्ड सब्जेक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर हास्पिटल्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे हास्पिटल्स गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के नीचे ले लिये गये, जैसे विलिंग्डन हास्पिटल, लेडी हार्डिंग हास्पिटल और सफदरजंग ऐनक्सी वगैरह, सब ले लिये गये इस लिये जो हुकूमत दिल्ली के अन्दर चल रही है, वह बरायनाम है और एक क़िस्म का मज़ाक सा है। इस के बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिये और होम मिनिस्ट्री को भी इस पर ग़ौर करना चाहिये।

चूंकि दिल्ली की पुलिस हमारी होम मिनिस्ट्री के मातहत नहीं है, इस कारण हमारे देहातों में और शहर के अन्दर भी जितने थाने हैं, उन में करप्शन बहुत बड़ी हद तक पहुंचा हुआ है। यही हालत अदालतों की है अगर यह सब हमारी होम मिनिस्ट्री के नीचे होते तो उस के ऊपर हमारा ज्यादा कंट्रोल हो सकता था। दिल्ली में जहां कि ज़िम्मेदाराना हुकूमत, रिस्पान्सिबल गवर्नमेन्ट हो गई बताते हैं, बावजूद इस के सेन्ट्रल पी० डब्ल्यू० डी० का राज्य चलता है। दिल्ली के वास्ते इंजीनियरिंग का एक अलग यूनिट नहीं है, इस वजह से हमें बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है। मैं एक खास मिसाल आप के सामने रखूंगा जिस को सुन कर आप हैरान होंगे। चार साल पहले, दिल्ली के देहातों में कोई १५० से ज़्यादा नये बेसिक स्कूल खुलने थे। पहले भी करीब १५० स्कूल थे। इस तरह से कुल ३०० से ज्यादा स्कूल हो गये, लेकिन गवर्नमेन्ट के पास पैसा नहीं था। इस के लिये मौलाना साहब ने एक अपील गांव वालों से की कि भाई, तुम भी कुछ मदद करो, हम भी कुछ मदद करें जिस से कि सब गांवों में स्कूल बन जायें। अपील का नतीजा यह हुआ कि कई गांवों ने अपनी यथाशक्ति फंड इकट्ठा किया और ट्रेज़री में जमा किया। गवर्नमेन्ट ने भी कोई ४ लाख रुपया मंजूर किया इन स्कूलों के वास्ते। यह सन् १९५१–५२ की बात है। लेकिन वह ४ लाख रुपया इस लिये लैप्स हो गया कि सेन्ट्रल पी० डब्ल्यू डी० ने स्कूलों का पैटर्न बनाते बनाते एक साल से ज्यादा निकाल दिया। जब फाइनेन्शियल ईअर निकल गया तो पता चला कि ४ लाख रुपया हज्म हो गया और स्कूल भी नहीं बने। दूसरे साल गवर्नमेंन्ट ने और डेढ़ लाख रुपया मंजूर किया। अब चूंकि पैटर्न बन चुका था कि एक स्कूल में पांच कमरे हों, छः फुट का बरामदा हो, इस से कम बन ही नहीं सकता, अगर कोई गांव वाला तीन कमरों का बनाना चाहे तो नहीं बना सकता इस में से हर एक के लिये ३२ हजार रुपये रखे गये। मतलब यह हुआ

कि गांव वालों ने जो लोगों से चार, पांच हजार रुपया इकट्ठा किया, उस से दो कमरे वाले तीन, चार स्कूल ज़रूर बना सकते थे। लेकिन उन में से एक भी स्कूल बनने का मौक़ा नहीं मिला। ख़ैर, बड़ी मुश्किल से सात स्कूलों के लिये सेंक्शन मिली, लेकिन आप सुन कर हैरान होंगे कि उस में से १ लाख २० हजार रुपया फिर लैप्स हुआ क्योंकि उस के लिये टेन्डर वग़ैरह लेने में देर हो गई। इस के बाद सन् १९५३–५४ में उन्हों ने और डेढ़ लाख रुपया सेंक्शन किया। इस गवर्नमेन्ट की सेंक्शन के लिये हम ने फिर लिखा पढ़ी और तक़ाज़ा किया। अगस्त-सितम्बर में हम ने अपने यहां से पेपर रवाना किया, लेकिन जब पांच महीने के बाद जनवरी के आखरी हफ्ते में सेंक्शन आई, तो उस के एक ही हफ्ते के बाद यह भी इत्तला आई कि अब चूंकि इस के लिये टेन्डर वग़ैरह लेने का वक्त नहीं है, इस लिये १ लाख ४७ हजार रुपया फिर लैप्स हो गया। आप ज़रा ग़ौर से सुन लीजिये कि यह हालत दिल्ली के अन्दर है और सब कुछ गवर्नमेन्ट आफ़ इंडिया की नाक के नीचे हो रहा है। इतनी आवश्यक चीज़ से फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट इतना इनडिफरेन्ट है, सेन्ट्रल पी० डब्ल्यू० डी० इतना इनडिफरेन्ट हैं और लोग परेशान हैं।

अब दूसरी बात सुन लीजिये। हम ने चाहा कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से पैसा वापस लें और अपने स्कूल बनायें। मैं ने सोशल वर्कर्स और गांव वालों से कहा कि तुम अपना पैसा सरकार को मत दो क्योंकि जनता में सरकार के ऊपर भरोसा नहीं रहा है। तुम जो पैसा देते हो वह भी हज्म हो जाता है और स्कूल भी नहीं बनते हैं। इसलिये विचार किया गया कि जो पैसा गांव वाले इकट्ठा करें उसे वह अपने पास रखें, लोग खुद मकान बनायेंगे। इस तरह से हम ने ७, ७, ८, ८ गांवों में दो, तीन और चार कमरों के मकान बनाये, लेकिन गवर्नमेन्ट की तरफ से अब तक १५० स्कूलों में से सिर्फ ७ स्कूल बने। हमारा यह मंशा था कि तीन, चार साल के अन्दर सारे गांवों में स्कूल बन जायें। यह हो सकता था कि जितना पैसा यथाशक्ति गांव वाले देते, उतना ही पैसा गवर्नमेन्ट दे देती और इस का इन्तज़ाम बजाय सेन्ट्रल पी० डब्ल्यू० डी० के गांव वालों के सुपुर्द कर देती, तो हमारा काफ़ी काम बिना दिक्कत के पूरा हो सकता था। लेकिन हम लाचार हैं, हम परेशान हैं, यह काम हम नहीं कर सके। हम सामने देख रहे हैं कि हमारा रुपया लैप्स हो रहा है, लेकिन क्या करें। आप खुद सोच लीजिये कि इस तरह से हुकूमत कैसे चल सकती है। मैं समझता हूं कि यह सन्ट्रल गवर्नमेन्ट और खास कर हमारे गृह मंत्री जी के डिपार्टमेन्ट का बहुत बड़ा कर्त्तव्य है कि पार्ट्स सी की जो स्टेट्स हैं उन की तरफ़ ध्यान दें। वैसे ही उन के पास बहुत ज्यादा हुक़ूक नहीं हैं, लेकिन जो कुछ भी वह कर सकती हैं, अगर वह भी न कर पायें तो यह उनके साथ बड़ा भारी अन्याय हो जाता है। इस के बारे में गृह मंत्री को अच्छी तरह से सोचना चाहिये और हमारी दिल्ली गवर्नमेन्ट का हाथ बटाना चाहिये। यह मेरी उन से प्रार्थना है।

इस के अलावा अब तक दिल्ली स्टेट के अन्दर जो १२ या १३ क़ानून बने हैं, उन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि उन में ८, ९ तो मंत्रियों और दूसरे लोगों की तनख्वाहों के बारे में हैं, ट्रैवेलिंग ऐलाउंस वग़ैरह के बारे में हैं। असली क़ानून तो दो या तीन ही बने हैं। उस में से लैंड रिफ़ार्म्स के बारे में जो क़ानून बना वह तो बहुत ज़रूरी चीज़ थी। सारे देश में सभी स्टेट्स में इस के बारे में कुछ न कुछ क़ानून बन चुका है, एक क़िस्म से बीच वाले समय के लिये यानी इंटेरिम पीरियड के लिये कुछ न कुछ क़ानून बना कर

[श्री सी० के० नायर]

किसानों को कुछ रक्षा दी गई है। हम ने भी एक क़ानून बनाया और उस का ड्राफ्ट गवर्नमेन्ट आफ़ इंडिया के पास भेजा। उस में उन की कुछ तरमीम करने की तजवीज़ थी। फिर तरमीम को मंजूर कर के और उस के मुताबिक फिर क़ानून बना कर के हमने सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के पास भेजा। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने पास किये हुए क़ानून को फिर प्लैनिंग कमिशन के पास भेजा। प्लैनिंग कमिशन ने उस में दो तीन नुक्स निकाले और खास कर सीलिंग के खिलाफ़। खैर, कोई बात नहीं। उस के बाद वह वापस आया। दिल्ली हुकूमत ने फिर उस को असैम्बली में पास कर के भेजा। अब पास कर के भेजने के बाद भी कई महीने हो गये हैं। कुल पौने दो साल पूरे हो रहे है पर अभी तक हमारे राष्ट्रपति की मोहर उस पर नहीं लगी है और गांव वाले बहुत परेशान हैं। यह क़ानून बहुत ज़रूरी क़ानून था और यह बहुत जल्दी चाहिये था लेकिन पौने दो वर्ष हो गये। न मालूम किस वक्त यह पास होगा। लोग बहुत फिक्र के साथ इन्तिज़ार कर रहे हैं।

मेरा समय पूरा हो रहा है पर मैं एक बात ज़रूर कहूंगा। यहां पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत है और सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात का बहुत दावा करती है कि हम हरिजनों को बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि यहां सात हज़ार से ज़्यादा पुलिस फ़ोर्स है पर उस में हरिजनों की संख्या नहीं के बराबर है। मैं पूछना चाहता हूं कि उस में कितने हरिजन हैं। उन में सब इंसपैक्टर, असिसटेंट सब इंसपेक्टर और हवलदार तो अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं। ऐसी पोस्टों में एक भी पुलिस अफ़सर की भर्ती नहीं होनी चाहिये जब तक कि हरिजनों का कोटा पूरा न हो जाय। दिल्ली शहर के अन्दर और बाहर भी बहुत से अच्छे तगड़े और पढ़े लिखे हरिजन नौजवान हैं, उन को क्यों नहीं लिया जाता। मैं मानता हूं कि उनको भर्ती करने वाले हमारे गृह मंत्री या मिनिस्ट्री नहीं है। लेकिन जो आदमी वहां भर्ती करने वाले हैं वह ऊपर की जाति के लोग होते हैं। उन के अन्दर हरिजनों के खिलाफ़ अब भी नफ़रत है। वह यह नहीं समझते कि इन को यह अधिकार दिया जाय। मुझे सचमुच इस मामले में बहुत बड़ा असंतोष है और अफ़सोस है। मैं ने बहुत कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा हरिजन इस में भर्ती हों। मैं इस सदन में भी देखता हूं कि हरिजनों के हक में बोलने वाले केवल हरिजन ही हैं। इसलिये मैं इस पर ज़ोर देता हूं और गृहमंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि अब से कोई नई भर्ती न हो जब तक कि हरिजनों का कोटा अच्छी तरह से पूरा न हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री माधव रेड्डी: आजकल लोक-प्रशासन के सुधार की बहुत चर्चा हो रही है। लोक प्रशासन का वर्तमान ढांचा दो खम्भों पर आधारित है और वह दो खम्भे हैं केन्द्र तथा राज्य। हमारा विचार है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाये तथा लोक प्रशासन का यह ढांचा—केन्द्र, राज्य, ज़िला तथा ग्राम, चार खम्भों पर आधारित हो। सारी कार्य-पालिका शक्ति ज़िलाधीश के हाथों में केन्द्रित है। इस के स्थान पर ज़िला पंचायत होनी चाहिये। इन ज़िला पंचायतों को ज़िले की पुलिस पर भी पूरा अधिकार होना चाहिये। सरकारी कर्मचारी बिलकुल नये होने चाहियें, जिन में राष्ट्र की सेवा करने की लगन हो। हमें लोक प्रशासन के नये तरीक़े खोज निकालने की आवश्यकता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि गृहकार्य मंत्रालय ने एक लोक प्रशासन संस्था स्थापित की है। मैं आशा करता हूं

कि यह संस्था इस समस्या का अध्ययन करेगी। परन्तु इतना मैं बता देना चाहता हूं कि इस का अध्ययन प्रशासन के उस निचले दर्जे पर ही किया जा सकता है जहां जनता के साथ सब से अधिक प्रत्यक्ष सम्पर्क होता है।

दिल्ली विशेष पुलिस विभाग के सम्बन्ध में कहा गया है कि उस ने बहुत लाभदायक कार्य किया है। परन्तु यह बिलकुल ग़लत है। सच तो यह है कि जब से रिश्वत लेना मौलिक अपराध बना दिया गया है भ्रष्टाचार और भी बढ़ गया है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में भी संशोधन करने की आवश्यकता है।

इस संस्था ने जो कार्य किया है वह नहीं के बराबर है। इस का अधिकार क्षेत्र भाग 'ग' में के राज्यों तक बढ़ा दिया गया है। मेरा सुझाव है कि इस संस्था को एक स्वतंत्र स्थायी भ्रष्टाचार-विरोधी आयोग के अन्तर्गत कार्य करना चाहिये। सरकार भ्रष्टाचार को दूर करने के बजाय उसे एक अनिवार्य त्रुटि समझने लगी है। भ्रष्टाचार के कितने ही ऐसे मामले हैं जिन के सम्बन्ध में विशेष पुलिस संस्था ने मुक़दमा चलाये जाने की सिफ़ारिश की थी परन्तु गृहकार्य मंत्रालय ने मुक़दमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

समाचार पत्रों में यह समाचार पढ़ कर मझे आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस हाईकमान ने कांग्रस मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के अपराधों की जांच की तथा उन को निर्दोष घोषित कर दिया। कांग्रेस हाई कमान को चाहिये था कि ऐसी शिकायतों की जांच गृह कार्य मंत्रालय से कराती। हमारे विचार से इस का एक मात्र उपाय यही है कि एक स्वतंत्र भ्रष्टाचार विरोधी आयोग स्थापित किया जाये जो कार्यपालिका के अधिकार से स्वतंत्र हो तथा इस सदन के प्रति उत्तरदायी हो।

मुझे हर्ष है कि तिरुवांकुर कोचीन के प्रजा समाजवादी मंत्रिमण्डल ने ऐसा आयोग स्थापित किया है। मैं आशा करता हूं कि गृहकार्य मंत्रालय इस की राह में कोई अड़चन नहीं डालेगा वरन् अन्य राज्यों को भी ऐसा ही आयोग स्थापित करने की सलाह देगा।

अच्छे, ईमानदार तथा भ्रष्टाचार से दूर रहने वाले साधारण कर्मचारियों को कुछ न कुछ प्रोत्साहन मिलना चाहिये। भारत रत्न, पद्म विभूषण, अशोक चक्र इत्यादि पदक ऐसे ही लोगों को मिलने चाहियें।

मैं इस प्रस्ताव का आदर करता हूं कि एक केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल केन्द्र में खोला जाये। मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री राज्य सरकारों को भी ऐसे स्कूल खोलने की सलाह दें।

मुझे हर्ष है कि आखिरकार राज्य पुनर्संगठन आयोग नियुक्त कर ही दिया गया। उत्तर में रहने वाले लोग इस समस्या की गंभीरता को अनुभव नहीं करते हैं। उन का विचार है कि हैदराबाद का विघटन नहीं होना चाहिये। परन्तु हैदराबाद के विघटन के बिना दक्षिण में एक भी भाषावार प्रान्त नहीं बन सकता है। निज़ाम के वित्तीय परामर्शदाता ने एक पुस्तक प्रकाशित की है, "निज़ाम—शासक से राजप्रमुख" यह पुस्तक अत्यन्त दुष्टता पूर्ण है और मेरी प्रार्थना है कि इस पुस्तक की ओर यथेष्ट रूप से ध्यान दिया जाये।

पुनर्संगठन आयोग के एक सदस्य के व्यवहार की मैं कड़े शब्दों में निन्दा करना चाहता हूं क्योंकि सुना जाता है कि वह भाषावार प्रान्तों का विरोध कर रहे हैं और अपने

[श्री माधव रेड्डी]

विरोधी विचारों को स्थान स्थान पर प्रकट कर रहे हैं। २६ फरवरी को पटना विश्व-विद्यालय के वार्षिक दीक्षान्त समारोह के अवसर पर श्री पन्निकार ने अपने व्याख्यान में भाषावार राष्ट्रीयता अथवा प्रदेशवाद की निंदा की और इसे भाषावार प्रान्तों की मांग के साथ सम्बद्ध बताया।

हम सभी जानते हैं कि श्री पन्निकार भाषावार प्रान्तों के विरुद्ध हैं परन्तु इस आयोग के सदस्य होने के पश्चात उन्हें इस प्रकार के विचार प्रकट नहीं करने चाहियें। मैं आशा करता हूं कि गृह-कार्य मंत्रालय इस का उचित उपाय करेगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि उस्मानिया विश्वविद्यालय की समस्या पर विचार करने के लिये एक और समिति नियुक्त की गई है। पहले भी केन्द्रीय सरकार ने इस विश्वविद्यालय को अपने अधिकार में लेने का विचार किया था। आचार्य नरेन्द्र देव के सभापतित्व में शिक्षाशस्त्रवेत्ताओं की एक समिति भी बनाई गई थी। निर्देश के पदों में कहा गया था कि यह समिति पहले इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के विचारों को ज्ञात करे। परन्तु राज्य सरकार के असहयोग के कारण यह समिति कोई कार्यक्रम तक नहीं बना सकी तथा आचार्य जी ने त्याग पत्र दे दिया। मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार तथा जनता के विरोध का विचार कर के यह विचार ही त्याग दिया जाये तथा इस विश्वविद्यालय को प्रादेशिक भाषाओं की सेवा करने के लिये छोड़ दिया जाये।

***श्री चैतन माझी** (मानभूम दक्षिण व धालभूम--रक्षित--अनसूचित आदिमजातियां): मैं मानभूम के आदिवासियों का प्रतिनिधि हूं। सन्थाली तथा बंगाली मेरी मातृभाषायें हैं। मैं और किसी भाषा में बोल सकने में असमर्थ हूं इसलिये मैं बंगाली में बोल रहा हूं।

मुझे बहुत दुःख है कि आज हमारे सहयोगी श्री भजहरी महाता हमारे बीच में नहीं हैं। अपने ज़िले की जनता के मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार के लिये लड़ने के कारण आज वे जेल में बन्द हैं।

मेरे ज़िले के अधिकांश स्थायी निवासियों की मातृभाषा बंगाली है परन्तु राज्य सरकार आर्थिक दबाव से स्कूलों को हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देने के लिये विवश कर रही है।

मानभूम जिले के सभी आदिवासी बंगाली भाषी हैं। केवल सन्थाल बंगाली तथा सन्थाली दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं। राज्य सरकार यह प्रमाणित करने के लिये कि आदिवासी हिन्दी-भाषी हैं उन पर हिन्दी ठूंस रही है। इस का कारण यह है कि बिहार सरकार को भय है कि कहीं मानभूम ज़िला पश्चिम बंगाल को न सौंप दिया जाय। इसी लिये सीमा आयोग के नियुक्त होते ही राज्य सरकार का दमन बढ गया है। ज़िले के सर्वमान्य नेता श्री अतुल घोष, हमारे सहयोगी श्री भजहरा महाता, तीन विधान सभा के सदस्य, तथा कितने ही प्रसिद्ध नेता तथा कार्यकर्ता जेलों में बन्द हैं।

माननीय गृह कार्य मंत्री को मालम होना चाहिये कि अतुल बाबू जैसे व्यक्तियों को जान बूझ कर अपमानित किया गया है। इस सदन के सदस्य श्री भजहरी महाता को, हाथों में हथकड़ी तथा कमर में रस्सी बांध कर निम्नतम अपराधी के समान जेल से न्यायालय तक जो काफी दूरी पर स्थित है पैदल ले जाया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि यह मामला उच्च न्यायालय के सामने विचारार्थ उपस्थित है इसलिये माननीय सदस्य इस की ओर निर्देश न करें।

*मूल भाषण बंगाली भाषा में दिया गया।

श्री चैतन माझी : मैं माननीय गृह कार्य मंत्री से मांग करता हूं कि वे तुरन्त ही इस समस्या की ओर ध्यान दें तथा इस का उपाय करें कि संविधान में दी गई प्रत्याभूतियों को, जिन की रक्षा करने का भार केन्द्रीय सरकार पर है, इस प्रकार पद्दलित न किया जा सके, जैसा कि देश के उस भाग में हो रहा है जहां मैं निवास करता हूं।

श्री एल० जोग्रेश्वर सिंह (आन्तरिक मनीपुर) : मनीपुर तथा त्रिपुरा दोनों राज्यों ने अपने अपने यहां एक एक परामर्शदात्री परिषद की स्थापना की है। मनीपुर की परामर्शदात्री समिति में पांच ग़ैर सरकारी सदस्य हैं जब कि त्रिपुरा की परामर्श दात्री समिति में तीन ग़ैर सरकारी सदस्य हैं। जहां तक इन परामर्शदात्री समितियों के काम का सम्बन्ध है इन्होंने एक ऐसी परम्परा का विकास किया है जिस के अनुसार मुख्य आयुक्त को इन परिषदों के बहुमत निर्णयों को स्वीकार करना पड़ता है। किन्तु इन राज्यों की जनता इन परिषदों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। ये परिषदें तो ब्रिटिश राज्य जैसी हैं। त्रिपुरा और मनीपुर की जनता कई वर्षों से उत्तर-दायी सरकार की मांग कर रही है। मनीपुर तथा त्रिपुरा की स्थिति के सम्बन्ध में माननीय प्रधान मंत्री ने जो टिप्पणी सदन पटल पर रखी थी कह नहीं सकता कि डा० काटजू ने उसे देखा है अथवा नहीं। प्रधान मंत्री ने वहा की स्थिति का विशद विवेचन किया है तथा इन दोनों राज्यों में परामर्शदात्री समितियां जो कुछ कर रही हैं उस की अपेक्षा और कुछ करने के लिए कहा है।

यहां की जनता निकटवर्ती राज्यों में विलय कराने के पक्ष में नहीं है। उन का निकटवर्ती राज्यों में विलय होना उन के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होगी क्योंकि भाषा और संस्कृति दोनों ही की दृष्टि से निकटवर्ती राज्यों से वे विभिन्न हैं। अतः यह आवश्यक है कि उन्हें ज्यों का त्यों रहने दिया जाय और वहां की जनता को उत्तरदायी सरकार बनाने का अवसर दिया जाना चाहिये।

प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में इस बात का उल्लेख किया है कि इन राज्यों में सम्पूर्णतः उत्तरदायी सरकार अर्थात् विधान सभा, मंत्री आदि तो न बनाये जायं किन्तु परामर्श-दात्री समिति के अतिरिक्त कुछ और भी अधिक दिया जाना चाहिये। उन के कहने का अभिप्राय यह है कि प्रशासन का कार्य निर्वाचित सदस्यों के द्वारा हो न कि नाम निर्देशित व्यक्तियों के द्वारा। अतः गृह कार्य मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह इन दोनों राज्यों की ओर ध्यान दें ताकि आगामी चुनाव से पहले यह राज्य प्रजातंत्र हो जायें। अन्यथा वहां की जनता अनियंत्रित हो जायगी। ये राज्य पाकिस्तान, ब्रह्मा, तथा चीन की सीमाओं पर बसे हुए हैं।

त्रिपुरा तथा मनीपुर वासियों की एक यह भी शिकायत है कि एक समय जो व्यक्ति सरकार के कर्णधार थे अब वे विस्थापित हो गये हैं और बाहरी पदाधिकारियों को यहां भेज कर उन्हें मुख्य मुख्य स्थान दिये गये हैं इस सम्बन्ध में यह भी मैं कह देना चाहता हूं कि मनीपुर राज्य से ४००० टन चावल बाहर भेजा गया था जिस के कारण वहां चावल की बहुत कमी हो गई थी। अतः पदाधिकारियों की नियुक्ति करते समय ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिये जो वहां की जनता से सहानुभूति रखते हों चाहे वे मनीपुर के हों अथवा त्रिपुरा के। मैं ने तथा अन्य राजनैतिक दलों ने कई बार प्रार्थना की है कि राज्य के मुख्य मुख्य स्थानों पर मनीपुर वालों की ही नियुक्तियां हों किन्तु सरकार ने जनता की इस उचित मांग की ओर ध्यान नहीं दिया है। यदि यही रवैया चलता रहा तो कहीं

[श्री एल० जोगेश्वर सिंह]

कुछ गोलमाल न हो जाय। अतः इस समस्या पर आप को अधिक गम्भीरता से सोचना चाहिए।

विलय से पूर्व खाद्य के मामले में यह राज्य आत्म निर्भर था तथा यहां आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न उत्पन्न होता था किन्तु अब यह राज्य कमी वाला क्षेत्र बन गया है। यह सब कुछ वहां के पदाधिकारियों के कुप्रबन्ध के परिणामस्वरूप है।

[श्रीमती खोंगमेन पीठासीन हुईं]

यदि ऐसा ही होता रहा तो उन राज्यों में और भी कठिनाइयां बढ़ जायेंगी। नदियों की बाढ़ों को रोकने के लिए हम ने सरकार से प्रार्थना की थी कि इन दुर्दान्त नदियों में रोक लगाने तथा बांध बनाने के लिए सरकार हमें अधिक रुपया दे, किन्तु उस ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पिछले वर्ष भी बाढ़ आई और फलस्वरूप बहुत से धान के खेत और उन पर निर्भर रहने वाले सैकड़ों व्यक्तियों को हानि पहुंची। बाढ़ों को रोकने के सम्बन्ध में की गई प्रार्थना के उत्तर में सरकार ने कहा था कि इस की जांच करने के लिए सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर की नियुक्ति करेंगे। पता नहीं उस की नियुक्ति कब होगी ?

विलय के सम्बन्ध में भी एक बात है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना कार्य अब प्रारम्भ कर दिया है। हमें अब यह देखना है कि क्या ये राज्य ऐसे ही ज्यों के त्यों रहेंगे अथवा इन का भविष्य क्या होगा ? इस सम्बन्ध में सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इन दोनों राज्यों की स्थिति की बारे में अच्छी तरह विचार करे तथा साथ ही माननीय प्रधान मंत्री से भी यह निवेदन है कि उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अपने प्रतिवेदन को सभी सदस्यों तक प्रसारित करें ता कि इन सीमान्त राज्यों की जनता एवं वहां की स्थितियों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने जो अध्ययन किया है उस के बारे में सभी को पता चल जाय। उन को इस बात का ज्ञान हो जायगा कि इन राज्यों के विलय के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री की क्या राय है; उन्होंने कहा था कि मनीपुर तथा त्रिपुरा राज्य को किसी बड़े राज्य में मिलाया जाय यह वांछित नहीं है और न मैं यह अनुभव ही करता हूं। अतः डा० काटजू से मेरा निवेदन है कि वह प्रधान मंत्री के वक्तव्य को पढ़ें। मेरा निवेदन यह भी है कि आगामी चुनाव जो १९५७–५८ में होंगे उन से पूर्व ही इन राज्यों में प्रजातन्त्रीय सरकार की स्थापना हो जाय ऐसा प्रयत्न करना चाहिये। मनीपुर राज्य को किसी अन्य राज्य में मिलाने के पक्ष में मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे यहां भी कुर्ग, हिमालचल प्रदेश, भोपाल सरीखी उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो।

डा० कृष्णस्वामी : विदेशी धर्म प्रचारक एवं धर्म सम्बन्धी प्रचार करने के उन के अधिकार के बारे में माननीय गृह कार्य मंत्री ने जो कुछ भी कहा है उस से देश में बड़ी विषम एवं भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्हों ने एक स्थान पर कहा था कि विदेशी धर्म प्रचारकों को धर्म का पालन तथा उस के प्रयोग तक ही सीमित रहना चाहिये और धर्म का प्रचार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिये। माननीय गृह-कार्य मंत्री ने एक बार कहा था कि, "विचारों का प्रचार करने के लिए पूर्ण स्वतन्त्र्य की व्यवस्था संविधान में की गई है। किन्तु यह भारतीय व्यक्तियों पर ही लागू होती है। इस देश में विदेशियों के अधिकारों पर भारत का संविधान लागू नहीं होता है।" इस के बाद १४ मार्च को रायपुर में जो उन्हों ने कहा था उस से भारतवर्ष के लाखों व्यक्तियों

के मस्तिष्क में यह संशय हो जाता है कि भारत सरकार की नीति नई एवं भयंकर है; जो हमारे संविधान की भावनाओं का हनन करती है। यदि इसे ज्यों का त्यों जारी रहने दिया गया तो धर्म निर्पेक्ष राज्य की आवश्यक बातों को नष्ट कर देगा। हमारा संविधान, जो एक प्रकार से अल्पमत वालों के लिए उतना उदार नहीं है, विचार स्वातन्त्रय, अभिव्यक्ति स्वातन्त्रय, विश्वास एवं पूजा की स्वतन्त्रता का अधिकार देता है।

संविधान जब बन रहा था तो हमारे देश में विश्व के सभी धर्म थे। धर्म निर्पेक्ष राज्य की स्थापना करने एवं उस के बनाये रखने के लिए विधान बनाने वालों ने दो अनुच्छेदों को महत्व दिया था वे अनुच्छेद हैं २५ तथा २६। अतः माननीय गृहकार्य मंत्री से अनुरोध है कि वह इन अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हमारे देश में नागरिकता के सम्बन्ध में धर्म का कोई महत्व नहीं है, वह तो एक दूर की वस्तु है। अनुच्छेद ५, ६, ७, ८ तथा ९ में इस की व्याख्या की गई है।

हमारे देश के धर्मप्रचारकों को धर्म का प्रचार करने का अधिकार है इस बात के सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रकट करूंगा। मुझे खेद है कि माननीय मंत्री ने ऐसा कह कर अल्पमत वालों के हितों के प्रति अन्याय किया है। यह स्पष्ट है कि संविधान यहां के सभी नागरिकों को धर्म का पालन, प्रचार आदि करने का पूरा पूरा अधिकार देता है। इस का तात्पर्य यह है कि जैसे ही धर्म प्रचार करने का अधिकार दिया गया तो धर्म परिवर्तन करने का अधिकार भी दे दिया जाता है। धर्म प्रचार में ही धर्म परिवर्तन का अधिकार निहित है। हालांकि धर्म परिवर्तन के बारे में कुछ बन्धन हैं। इन अनुच्छेदों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा नैतिकता को ध्यान में रख कर ही प्रचार करने का अधिकार है।

संविधान अन्यदेशीय तथा यहां के निवासियों में एवं धर्मपालन, धर्म प्रयोग तथा धर्म प्रचार के अधिकार में कोई भेद नहीं करता है। अन्यथा 'नागरिकों' के स्थान पर अनुच्छेद २५ में जो 'व्यक्ति' शब्द आया है वह न आता और उस के स्थान पर शब्द 'नागरिक' आता। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर विचार करना होगा। अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हमारे प्रतिनिधियों ने भी इसे महत्व दिया है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से मानवीय अधिकार सम्बन्धी चार्टर में धर्म सम्बन्धी स्वतन्त्रता विषयक खंड पर भारत सरकार की ओर से श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने हस्ताक्षर किये थे।

डा० कृष्णस्वामी : ऐसा कहा जाता है कि हमारा राज्य एक धर्म-निर्पेक्ष राज्य है। यह किसी धर्म विशेष को नहीं मानता है। इस कारण हमें किसी एक धर्म विशेष के साथ न तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का ही अधिकार है और न किसी धर्म विशेष से द्वेष ही रखने का। हां, इतना अवश्य है कि यदि किसी धर्म के प्रचार से देश की सुरक्षा अथवा शान्ति में बाधा पहुंचती है तो राज्य उस में हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता है। मिशनरियों ने हमारे देश में सामाजिक उत्थान तथा जन-कल्याण के अनेक कार्य किये हैं और विशेषकर दलित जातियों के लोगों के हितार्थ। अतः उन को उन के धर्म प्रचार से वंचित करना हमारे लिये अशोभनीय एवं कृतघ्न कार्य होगा। गृह मंत्री ने एक अवसर पर कहा था कि उन के धर्म प्रचार की बात तो समझ में आती है किन्तु धर्म-परिवर्तन की बात मैं नहीं समझ सका।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मैं ने यह कभी भी नहीं कहा। मैं समाचार पत्रों

[डा० काटजू]

में प्रकाशित समाचारों पर विश्वास नहीं करता ।

डा० कृष्णस्वामी : मैं माननीय गृह मंत्री का प्रतिवाद नहीं करना चाहता । लुशाई आदि की पहाड़ियों पर, जहां सभ्यता नहीं पहुंची थी, विदेशी मिशनरियों ने जा कर ही वहां के लोगों को सभ्यता का पाठ पढ़ाया और हितकारी संस्थाएं खोलीं । यदि वे इस प्रकार धर्म परिवर्तन करते हैं तो इस में बुराई ही क्या है ? उस देश में जहां अनेक धर्म हों, संतुलित दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता होती है । जब हम बहुमत में हैं और अधिकार रखते हैं तो हमें अल्पसंख्यकों के प्रति विश्वास की भावना उत्पन्न करनी ही होगी नहीं तो धर्म-निर्पेक्ष संविधान से लाभ ही क्या हुआ ? यदि जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन किया जाता है । तो वह अनुच्छेद २५ के अन्तर्गत निषिद्ध है । वास्तव में संविधान का अनुच्छेद १५ भारत के नागरिकों के लिये ही लागू होता है, जब कि अनुच्छेद २५ तथा २६ विदेशियों तथा यहां के नागरिकों दोनों के लिये रखा गया है ।

संविधान की प्रस्तावना तो धर्म में विश्वास रखने की बात की ही पुष्टि करती है । उस का सहारा तो वहां पर लिया जाना चाहिये जहां कोई सन्देह हो । अतः अब हम बहुमत में हैं तो अन्य धर्मावलम्बियों के प्रति, जो अल्प मत में हैं, बड़ी बुद्धिमानी से कार्य करने की आवश्यकता है । जिन विदेशी मिशनरियों ने अपने कार्यों से हमारे अधिकारों में हस्तक्षेप किया है, और देश की सुरक्षा को धक्का पहुंचाया है और अराष्ट्रीय कार्यवाहियां की हैं इन के विरुद्ध उचित कार्यवाही करनी चाहिये । अतः हम लोगों को चाहिये कि हम अल्पसंख्यकों में यह विश्वास उत्पन्न कर दें कि हम अपने संविधान की रक्षा करते हैं और इस बात की उचित देखभाल करते हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा । माननीय मंत्री यदि चाहें तो अपनी नीति में संशोधन कर सकते हैं । हम लोगों ने धर्म-निर्पेक्षता के लिये युद्ध किया है और सम्मिलित प्रयत्न से ही इस में हमें सफलता प्राप्त हुई है । अतः उत्तर और दक्षिण में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं रहना चाहिये । इस सम्बन्ध में बड़ी बुद्धिमत्ता से कार्य करना चाहिये । विदेशियों को उन के धर्म प्रचार की अनुमति तो मिलनी चाहिये किन्तु अवांछनीय कार्य करने वालों के साथ उचित कार्यवाही की व्यवस्था करना भी आवश्यक है । मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह मंत्री इन मिशनरियों की अराष्ट्रीय कार्यवाहियों की विस्तृत सूची सदन में रखेंगे जिस से हम अन्तिम उच्च न्यायालय की भांति उन को स्वीकार कर सकें और उन्हें रोकने का उपाय कर सकें । इस कारण को अनुचित समझ कर अस्वीकार नहीं किया जा सकता । इस लोकप्रिय सरकार को सदन पर विश्वास करना चाहिये जिस से सरकार का अविश्वास दूर हो सकेगा और हम विरोधी दल के लोग सरकार के विचार को भली भांति समझ सकेंगे ।

श्री मात्तन (तिरुवल्ला) : मैं डा० कृष्णस्वामी के कथन से सहमत हूं । फ़ज़ल अली आयोग जितना लोकप्रिय तथा निष्पक्ष रहा है उतना शायद ही कोई अन्य आयोग रहा होगा । उस के प्रति श्री श्रीकान्तन नायर ने अनुदार शब्द कहे हैं । मैं जानता हूं कि श्री श्रीकान्तन नायर तथा अन्य विरोधी दल के लोग भाषावार प्रान्तों के असन्तोष में चाव रखते हैं किन्तु मैं समझता हूं कि इस आयोग का समर्थन करना हम सब का कर्तव्य है ।

राष्ट्रीय एकता प्लेटफार्म कोई राजनीतिक संस्था नहीं है और न तो किसी कांग्रेस

के उच्चाधिकारी अथवा सरकार ने ही इसे स्फूर्ति प्रदान की है। मैं ने आन्ध्र विधेयक सम्बन्धी अपने भाषण में कहा था कि सदन के सदस्यों को इस पर ध्यान देना चाहिये और इस का सामना करने के लिये तत्पर रहना चाहिये। मैं ने जब यह आन्दोलन चलाया तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया से मैं बहुत डरता था किंतु जब मैं ने बताया कि हमारा उद्देश्य तो केवल राष्ट्रीय एकता को दृढ़ बनाना है तब जाकर इस आन्दोलन को चलाते रहने की अनुमति दी गई थी।

हम किसी भी भाषावार प्रान्त के विरोधी नहीं हैं किन्तु ऐसे समय में जब कि हम चारों ओर से अनेक प्रकार की समस्याओं में उलझे हुए हैं, साधारण तथा संकुचित दृष्टिकोण के आधार पर दूषित मनोवृत्तियां फैला कर जो क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं, यह उचित नहीं है।

भाषा, जातीयता तथा अन्य प्रकार की संकीर्णता के आधार पर हम भाषावार प्रान्त बनाने की बात कर देश की एकता को विच्छिन्न कर रहे हैं। भारत सरकार के उच्च अधिकार प्राप्त आयोग के द्वारा ये लोग अपनी मांगें पूरी करवाने का यत्न कर रहे हैं। इसीलिये हम लोगों ने राष्ट्रीय एकता प्लेटफार्म की स्थापना करने का विचार किया है। आज जब कि एक ओर हम अमरीकी समझौते और दूसरी ओर चीन-रूसी समझौते की ओर से सजग हैं तो हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये जो हमारे लिये हानिकर सिद्ध हो।

दूषित मनोवृत्तियां तथा असंगठन ही हमारे देश की अवनति का कारण है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही हम बाढ़ तथा खाद्य की कमी आदि संकटों से घिरे रहे हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिये ही पंचवर्षीय योजना बनाई गई जिस के पूरी हो जाने के समय तक हमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये ताकि योजना उतने समय में ही पूर्ण हो जाय।

कुछ लोगों ने भाषावार प्रान्तों के निर्माण के लिये जीवन-पर्यन्त भूख हड़ताल तक की जिस के परिणामस्वरूप सरकार को इस उच्च अधिकार आयोग की नियुक्ति करनी पड़ी। वैसे सरकार कुछ समय तक रुक सकती थी और राज्यों का पुनर्विभाजन साधारण ढंग से करने का अवसर दे सकती थी। मुझे तो आज यह भास होने लगा है कि वास्तव में हम राज्यों के पुनर्संगठन के प्रश्न को उस ढंग से हल नहीं कर सकते जिस ढंग से अधिकांश व्यक्ति चाहते हैं। अच्छा होता यदि ये परिस्थितियां उत्पन्न न हुई होतीं।

मैं श्री श्रीकान्तन नायर को बताना चाहता हूं कि हम 'क' 'ख' तथा 'ग' इस प्रकार श्रेणियों में विभक्त राज्य नहीं चाहते हैं। हम तो एक ही प्रकार के राज्य तथा एक ही प्रकार की नागरिकता चाहते हैं। हमारे प्लेटफार्म का मुख्य उद्देश्य है बहुमत द्वारा अल्पसंख्यकों में विश्वास उत्पन्न करना। भाषावार प्रान्तों की स्थापना के लिये जीवन-पर्यन्त भूख हड़ताल करने वालों से संघर्ष करना भी हमारे उद्देश्यों में से एक है।

हमें अपनी सुरक्षा की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये न कि भाषावार प्रान्तों की स्थापना तथा साम्प्रदायिक विचारों की ओर। आंध्र राज्य की अलग स्थापना हो जाने पर यह हुआ है कि वहां के लोग किसी भी आंध्र के बाहर के व्यक्ति को किसी भी स्थान पर नहीं रहने देना चाहते हैं। इसी प्रकार बम्बई राज्य का उदाहरण देखिये कि यदि नया राज्य बने तो वहां मरहठों का बहुमत होगा। इस प्रकार अनेक प्रकार की कठिनाइयां बढ़ती ही जायगी।। अतः हमें प्रदेशों का ध्यान छोड़कर केवल भारतीय होने की भावना को महत्व देना चाहिये।

[श्री मात्तन]

आज अमरीका में चाहे किसी भी देश अथवा जाति का व्यक्ति हो, वहां रहने से वहां का नागरिक कहलाने लगता है। ठीक इसी प्रकार हमें अपनी राष्ट्रीय एकता को सुसंगठित बनाना है। आज हज़ारों लोग राज्यों के सम्बन्ध में ही बात करते हैं जब कि पहले किसी को इस का ध्यान भी न था। अतः हमारे प्लेटफार्म का उद्देश्य ऐसे राज्यों की स्थापना करना है जिन में अल्पसंख्यकों के लिये आदर की भावना तथा प्रत्येक व्यक्ति की पूर्ण सुरक्षा होगी।

जिन राज्यों में ये सुविधायें नहीं मिलेंगी वहां के लोगों को उच्च अधिकार प्राप्त आयोग के पास ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहिये। हमारा प्रमुख उद्देश्य है देश की राष्ट्रीय एकता की रक्षा करना इस में किसी को सन्देह नहीं होना चाहिये।

श्री कक्कन (मदुरई—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : धर्म-परिवर्तन के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहूंगा। दक्षिण भारत में ये मिशनरी जाते हैं। वे पहले हरिजनों को उपदेश देते हैं और स्कूल स्थापित कर के बच्चों को शिक्षा देना प्रारम्भ कर देते हैं। तत्पश्चात् बच्चों का ही नहीं वरन् उन के माता-पिता का धर्म परिवर्तन करना आरम्भ कर देते हैं। मदुरई ज़िले की एक चेरी के सारे ही लोगों का धर्म परिवर्तन हो गया है। मैं माननीय मंत्री की सूचना में यह बात लाना चाहता हूं कि जब ईसाई मिशनरियों को स्कूल खोलने की अनुमति दी जाती है तो एक शर्त यह लगा दी जानी चाहिये कि वे धर्म परिवर्तन का कार्य न करें। मद्रास सरकार को यह शर्त लगा देनी चाहिये।

ये मिशनरी प्रत्येक गांव के गरीब हरिजनों में ही अपने धर्म का प्रचार करते हैं। पढ़े-लिखे तथा उच्च जाति के लोगों के पास ये नहीं जाते। इस प्रकार हरिजनों को ईसाई बना लेते हैं।

मैं गृह मंत्री को अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक पारित करने के लिये धन्यवाद देता हूं। हरिजन इसे अपने लिये एक वरदान के रूप में समझते हैं। ऊंची जाति के कुछ लोग अभी भी हरिजनों पर अत्याचार करते हैं अतः आशा है कि सरकार इसे दूर करने का प्रयत्न करेगी जिस से हमारे हरिजनों की दशा में सुधार हो सकेगा।

विशेष तौर से गृह व्यवस्था के सम्बन्ध में हरिजनों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें घर बनाने के लिये स्थान भी दुर्लभ है। भूमि प्राप्त करने में उन्हें महीनों लग जाते हैं। माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वह इस विषय को मद्रास सरकार से ही नहीं प्रत्युत सभी राज्य सरकारों से निर्देश करे ताकि वह भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करें और गरीबों को भूमि प्राप्त करने में सहायता मिल सके।

अस्पृश्यता निवारण के लिये सब से महत्वपूर्ण तरीका प्रोपेगेण्डा है। इस कार्य के लिये सरकार ने प्रान्तीय सरकारों को निधियां तथा ऋण और संस्थाओं व अधिकर्ताओं को अनुदान स्वीकार किये हैं। लेकिन मेरा विचार है कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन, पोस्ट आफिस और पञ्चायत बोर्ड के पास दीवार पर चिपकाने के लिये पोस्टर होना चाहिये। सिनेमा वालों से भी चित्र आरम्भ होने के पूर्व अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी स्लाइड बताने के लिये कहा जा सकता है। भारत के प्रत्येक गांव के कोने-कोने से छुआछूत को दूर कर हमें राष्ट्रपिता की उस इच्छा को पूरी करना चाहिये जो उन के जीवन का उद्देश्य था।

६ म० प०

यदि हम हरिजनों की मदद करना चाहते हैं तो हमें उन की आर्थिक दशा को सुधारने

के लिये समचित कार्यवाही करना चाहिये। चूंकि हम क्रांतियुग से गुजर रहे हैं हमें हिन्दू समाज और कृषिसम्बन्धी सुधारों में क्रान्तिकारी परिवर्तन करना चाहिये। अधिकांश स्थानों में हरिजन मज़दूरों को अपने श्रम के लिये उचित मजूरी नहीं मिलती है। हरिजन मज़दूरों को अपने श्रम के लिये उचित मज़ूरी दिलाने के दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर ही हमें कृषि सम्बन्धी सुधारों में परिवर्तन करना चाहिये।

मैं कांग्रेस कार्यकर्ता और हरिजन सुधारक की हैसियत से यह कह दूं कि ईसाई धर्म प्रचारकों के अतिरिक्त समाज विरोधी तत्व भी हरिजन मज़दूरों को पथभ्रष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः समाज विरोधी तत्व हरिजनों को जिन मृगतृष्णाओं की आशा बंधा रहे हैं उन्हें विफल करने के लिये शीघ्र ही कदम उठाने की आवश्यकता है।

मुझे प्रसन्नता है कि हरिजनों के कल्याण का कार्य माननीय गृह मंत्री के हाथों में है। लेकिन अधिकांश राज्यों में हरिजन सुधार का कार्य गृह मंत्री अथवा पुलिस मंत्री के हाथों में नहीं है। वहां इस विभाग को महत्वहीन समझा जाता है। माननीय मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि वह राज्य सरकारों को इस आशय की मंत्रणा दें कि यह कार्य गृह मंत्री अथवा पुलिस मंत्री के सुपुर्द किया जाय ताकि राष्ट्रपिता के अभीष्ट की अल्प समय में पूर्ति हो।

पंचवर्षीय योजना में पिछड़ी जाति के लोगों के लिये करोड़ों रुपये पृथग्रक्षित हैं। १९५३-५४ में सरकार ने लगभग ५० लाख रुपये खर्च किये हैं और १९५४-५५ में १२५ लाख रुपये की रकम नियत की है। मेरा निवेदन है कि १२५ लाख रुपये की राशि हरिजन सुधार के लिये बहुत कम है। मैं यह नहीं कहता हूं कि यह राशि सागर में बूंद के समान है। सरकार ने हरिजन सुधार के लिये कुछ काम अवश्य किया है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। मेरी प्रार्थना है कि हरिजनों की सामाजिक और आर्थिक दशा में सुधार करने के लिये हर बजट में कम से कम दो करोड़ रुपये की वृद्धि कर दी जाये।

मुझे याद है कि कुछ सदस्य मदिरा निषेध नीति की आलोचना कर रहे हैं। यहां तक कि आंध्र सरकार की अपने निश्चय पर विचार कर रही है तथा उन्होंने नीरा प्रथा पुरः स्थापित कर दी है। मैं इसकी पूर्ण निन्दा करता हूं। राष्ट्रपिता ने इसके लिये संघर्ष किया था और गांव-गांव में जाकर उन्होंने प्रवचन दिये। सार्वजनिक सभाओं में उन्होंने मदिरा पान न करने की सलाह दी। कांग्रेस सरकारों को अपनी नीति पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिये और यदि कोई ऐसा करता है तो हमें उसका विरोध करना चाहिये।

अन्त में, मैं हरिजन भाइयों से, जिनकी अवस्था वस्तुतः प्रपीड़ित और प्रताड़ित है, अपील करता हूं कि वह कांग्रेस नेताओं के चरण चिन्हों पर चल कर कांग्रेस सरकार का समर्थन करें। क्योंकि मेरा विश्वास है कि केवल कांग्रेस सरकार ही जनता को आल्हादित कर उन्हें अधिक सुविधायें प्रदान कर सकती है।

श्री नम्बियार : यहां आप गलती पर हैं

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : श्रीमान्, आज की चर्चा बड़ी रोचक थी तथा कतिपय माननीय सदस्यों ने नवीन आधार उपस्थित किया है। मुझे उम्मीद थी कि भ्रष्टाचार, अकुशल व शिथिल प्रशासन, निवारक निरोध अधिनियम और अन्य अनेक वस्तुओं की भीषण आलोचना की जायेगी।

[श्री दातार]

सौभाग्य से कतिपय माननीय सदस्यों ने नवीन आधार की स्थापना कर अनेक बहुमूल्य सुझाव उपस्थित किये हैं ।

केवल एक विषय विवादास्पद था—धर्मप्रचारकों की कार्यवाहियां । मेरा विचार है कि इस सम्बन्ध में कुछ आलोचना औचित्य-हीन थी । मैं इस विषय में कुछ शब्द कह दूं ताकि धर्मप्रचारकों द्वारा किये गये कार्य और सरकार ने उनके प्रति जो मनोभावना अपनाई है उसके बारे में लोगों को कोई भ्रम न हो ।

डा० कृष्णस्वामी ने पुरजोर शब्दों में कहा कि संविधान के अधीन प्रत्येक व्यक्ति भारतीय अथवा विदेशी, को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है । संविधान में यह स्पष्ट है । संविधान की रचना भारत के नागरिकों द्वारा की गई है । उनका उद्गार है : "यह संविधान हमें अंगीकार है", और यदि यह सही है तो स्वाभाविक है कि भारतीय संविधान केवल भारत के नागरिकों के अधिकारों और आभारों तक ही सीमित है । अतः जब कभी भी उसमें 'लोक' और 'नागरिक' सदृश सामान्य शब्दों का उल्लेख आता है तो उनका अभिप्राय भारत में रहने वाले उन व्यक्तियों से समझना चाहिये जो संविधान द्वारा प्रशासित हैं । अनुच्छेद २५ में बताया गया है कि भारतीयों को धर्म प्रचार का अधिकार है : सही शब्द इस प्रकार हैं : —

"सब व्यक्तियों को, अन्तःकरण की स्वतंत्रता का तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा ।"

जहां तक अन्तिम अभिव्यक्ति 'प्रचार' का सम्बन्ध है विधान परिषद् में इस पर बहस हुई थी और उस समय यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इस शब्द का अर्थ धर्म परिवर्तन नहीं है । परिषद् की प्रक्रिया में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है । अतः भारत के समस्त नागरिक, जिन में ईसाई भी सम्मिलित हैं तथा जिनकी संख्या लगभग ८१ लाख है, संविधान द्वारा प्रशासित हैं और अनुच्छेद २५ के अधीन उन्हें अधिकार है । राष्ट्र के स्थायित्व के लिये आवश्यक कतिपय अवस्थाओं को छोड़ कर ही इस अधिकार को स्वीकार किया गया था । इसके सिवाय अनुच्छेद १५ केवल देश के नागरिकों पर ही लागू किया जा सकता है । विदेशी अथवा धर्म प्रचारकों या अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में यह बात साफ तौर पर समझ लेना चाहिये कि संविधान उन पर प्रयुक्त नहीं है बशर्ते कि वह भारत में आकर बस जायें और फिर प्रचार कार्य करें । ऐसी अवस्था में भारतीय राष्ट्र अथवा भारत सरकार द्वारा उन पर कुछ दायित्व हैं—उन्हें इन दायित्वों के अनुसार काम करना पड़ेगा । भारत सरकार को ईसाई धर्म प्रचारकों के प्रति कोई विद्वेष नहीं है । क्योंकि सरकार ने धर्म प्रचार करने वाले अनेक मिशनों को मान्य करार दिया है जिनकी संख्या कुल मिला कर १०० या १०५ है । कुछ मिशन वस्तुतः अच्छा काम कर रहे हैं । उन में से अधिकांश मिशनों का कार्य अच्छा है परन्तु प्रश्न यह उठता है कि क्या उन्हें धर्मपरिवर्तन करने का अधिकार है । इस प्रश्न पर मतभेद होना अनिवार्य है । दायित्व के अनुसार उन्हें राजनीतिक गठबंधन अथवा किसी प्रकार का राजनैतिक कार्य करने की अनुमति नहीं है । कुछ स्थानों पर इन प्रचारकों को अपना काम बड़ी सावधानी से करना पड़ता है क्योंकि वहां पर पिछड़े लोग बसते हैं । सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर इनके कामों का कठोर निरीक्षण करने की आवश्यकता है इसलिये जब कभी भी हम उन्हें अपना काम करने की अनुमति देते हैं

तो उन्हें उक्त दायित्वों को स्मरण रखना चाहिये जो राष्ट्र हित की दृष्टि से उन पर डाले गये हैं।

सरकार का व्यवहार इन के प्रति असहिष्णुतापूर्ण नहीं है और जब कभी भी सरकार को मालूम होता है कि उन के कार्य हानिकारक हैं तो हम कार्यवाही करने के अधिकारी हैं। केवल इस अतिक्रमणकी अवस्था में ही सरकार पग उठाती है अन्यथा व्यक्ति के निजी धर्म, आराधना अथवा धर्म प्रचार के सम्बन्ध में हस्तक्षेप करने का हमारा विचार नहीं है।

मेरा निवेदन है कि हमारी मनोवृत्ति सरकार की धर्मनिरपेक्ष नीति के अनुसार है बहुधा यह विचार गलत समझा गया है। इस का केवलमात्र अभिप्राय है कि सरकार का स्वयं अपना कोई प्रतिष्ठापित धर्म नहीं है जिस प्रकार इंगलैण्ड में प्रोटेस्टेंट धर्म राज्य धर्म है। सरकार इस नीति पर दृढ़ है। इस का अर्थ यह नहीं है कि सरकार की यह इच्छा है कि सब व्यक्ति धर्महीन हो जायें। वस्तुतः सरकार सब धर्मों का आदर करती है और वह समस्त वैध धर्म प्रयासों को सहायता प्रदान करती है।

अब मैं दूसरे विषयों पर आता हूं। विशेष पुलिस स्थापना के सम्बन्ध में कुछ कहा गया। मेरा कथन है कि इस के कार्य को सही रूप में नहीं समझा गया है। यह निकाय अभी स्थापित किया गया है और यह अभी भी अस्थायी आधार पर है। सरकार परिणामों की बाट जोह रही है। पहली बार जब कि दिल्ली विशेष पुलिस की स्थापना की गई थी उस का उद्देश्य यह था। गम्भीर स्वरूप के कुछ गहन मामले थे तथा किन्हीं विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों द्वारा कुछ अपराध किये गये थे। अतः अधिनियम पारित किये जाने पर मूल रूप में उस का उपयोग भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामले और दिल्ली तथा दिल्ली के बाहर सरकारी सम्पत्ति के प्रति किये गये अपराधों के लिये किया गया था। केवल इस उद्देश्य से ही यह पुलिस स्थापना को अस्तित्व प्रदान किया गया था और यह अपना कार्य अत्यन्त समीचीन ढंग से कर रहा है। भ्रष्टाचार के मामले अधिक नहीं होने चाहियें क्योंकि विशेष पुलिस स्थापना तथा सरकार का ध्येय भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देना है। राज्य सरकारों को भी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कार्यवाही करने का अधिकार है। भाग 'ग' राज्यों को मिला कर सभी राज्यों में भ्रष्टाचार-निरोधक विभाग हैं। विशेष पुलिस स्थापना का काम भ्रष्टाचार के बड़े मामलों, गबन के मामलों या दंड्य न्यासभंग या सरकारी सम्पत्तियों को हानि पहुंचाने के मामलों में कार्यवाही करना है। इसलिये यह आलोचना ठीक नहीं है कि यह संगठन बहुत थोड़ा काम कर रहा है। सरकार को इस से न केवल मुदक़मे चलाने में ही अपितु अन्य मामलों में भी बहुत सहायता मिली है। किसी सरकारी कर्मचारी के कार्य ऐसे हो सकते हैं जो अपराध तो नहीं माने जा सकते किन्तु वे ऐसे कार्य हो सकते हैं जिन के कारण उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे ही कार्यों के लिये विशेष पुलिस स्थापना बनाई गई थी। सरकार का यह विचार है कि उच्चपदों में भ्रष्टाचार रुक गया है। और यह संगठन बहुत अच्छा कार्य करता रहा है।

यहां यह भी कहा गया था कि सरकार सभी विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को नौकरी नहीं दिला सकी। और इस सम्बन्ध में १०० पटवारियों के मामले की बात कहीं गई थी। इन पटवारियों के सम्बन्ध में, जिन की संख्या १०० से काफ़ी कम है, कुछ विशेष प्रकार की कठिनाइयां हैं। वे हिन्दी और अंग्रेजी बिलकुल नहीं जानते और उन में से अधिकांश सिन्धवासी हैं। जैसा काम वे गांवों

[श्री दातार]

में करते थे भारत सरकार के अधीन उन के लिये उस प्रकार का कार्य नहीं है। यदि वे हिन्दी सीख लेते तो सम्भवत: अब तक उन्हें काफी हद तक काम मिल जाता। हम ने विभिन्न मंत्रालयों, दिल्ली के विभागों तथा यू० पी० जैसे राज्य सरकारों से इन लोगों को नौकरी दिलाने के लिये कहा है। मैं सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम उन्हें केन्द्र तथा राज्यों के अधीन नौकरी दिलाने के लिये यथासम्भव प्रयत्न कर रहे हैं।

अब मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुन्नत आदिमजातियों के प्रश्न को लेता हूं। यह सत्य है कि ये जातियां बहुत पिछड़ी हुई हैं। शताब्दियों से ये शिक्षा और सभ्यता से दूर रही हैं। हमारा सब से पहिला काम उन को यथासम्भव अधिक शिक्षित करना है। अंग्रेजी सरकार ने इस सम्बन्ध में १९४२ में दो बहुत महत्वपूर्ण कार्य किये जिन्हें हम और बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। उस सरकार ने कालेज के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना आरम्भ किया। १९४२ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों को मिला कर सभी पिछड़े वर्गों के लिये २००,००० रुपये खर्च किये थे और गत वर्ष सरकार ने ६५,००,००० रुपये खर्च किये तथा इस वर्ष के आयव्ययक में हरिजन और अनुसूचित आदिम जाति के कालेज के विद्यार्थियों के लिये ७५,००,००० रुपये का उपबन्ध किया है। दूसरे, हम उन्हें अधिक से अधिक संख्या में नौकरी देने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस में भी उन के पिछड़ेपन के कारण कठिनाई पैदा होती है। यह अनुन्नतता धीरे धीरे दूर हो रही है। सर्वप्रथम १९४२ में भारत सरकार ने उन के लिये नौकरियों में स्थान संरक्षण के लिये कार्य किये। उन को कुछ न्यूनतम शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिये। संविधान के अनुच्छद ३३५ में यह दिया हुआ है कि यह भारत सरकार का कर्त्तव्य है कि वह सरकारी नौकरियों में इन जातियों के लिये पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था करें। न्यूनतम कार्यकुशलता को बनाये रखने की बात को ध्यान में रखते हुए सरकार उन के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने का अधिकतम प्रयत्न कर रही है।

इस सम्बन्ध में मैं आप को यह बता दूं, कि छोटी नौकरियों में उन की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है किन्तु बड़े पदों के लिये तो अभी कुछ समय लगेगा। १-६-५१ को पूरे भारत में भारत सरकार के चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों की कुल संख्या ७,१६,००० में—इस में रेलवे या रक्षा सेवायें सम्मिलित नहीं हैं—अनुसूचित जातियों के १,५३,००० तथा अनुसूचित आदिम जातियों के १०,००० कर्मचारी थे। तृतीय श्रेणी के ५ लाख कर्मचारियों में उन की संख्या क्रमश: २२,४४१ और १५१४ है। उच्च पदों में भी हम उन्हें कुछ रियायतें देना चाहते हैं। सरकार बड़ी सहानुभूतिपूर्वक उन के मामलों पर विचार करती है। सरकार का यह विचार है कि जब तक अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिमजातियां प्रगति नहीं करती तब तक भारत भी उचित प्रकार से प्रगति नहीं कर सकता। इसलिये सरकार सभी मामलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के हितों का ध्यान रखने के लिये वाक्बद्ध है।

अस्पृश्यता निवारण के लिये भी सरकार ने कार्य किया है और केवल कुछ दिन पूर्व उस ने एक विधेयक भी प्रस्तुत किया है। उस विधेयक पर इसी सत्र में वादविवाद होगा और वह कानून बन जायगा। संविधान के अन्तर्गत अस्पृश्यता हटा दी गई है किन्तु गांवों में इस को अभी समूल नष्ट किया जाना है। कुछ भागों में, विशेषकर भाग 'ख' राज्यों में बड़ी शोचनीय दशायें हैं और वहां इन्हें सामान्य मानव अधिकार भी प्राप्त नहीं हैं। किन्तु इस मामले में भी हम प्रयत्न कर रहे

हैं। हमें आशा है कि सवर्ण हिन्दुओं तथा उच्च वर्ग के लोगों के सहयोग से इस स्थिति में सुधार हो जायगा। अनुसूचित जातियों के सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे धैर्य रखें, सरकार उन के हितों का पूर्ण रूप से ध्यान रखेगी।

मुझे प्रसन्नता है कि प्रशासन के सम्बन्ध में यहां काफी वादविवाद हुआ है और मैं यह बता दूं कि हम इस मामले में अत्यधिक प्रयत्न कर रहे हैं। प्रशासन में सुधार करने के लिये हमारे समक्ष पर्याप्त सामग्री है और इस के लिये आवश्यक कार्य किया जा रहा है।

भाग 'ग' राज्यों के सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य ने दिल्ली की दशा की कड़ी आलोचना की है कुछ ऐतिहासिक कारणों से हमें भाग 'ग' राज्यों को बनाये रखना है। इस बात पर विचार करना संसद तथा अन्य लोगों का काम है कि भाग 'ग' राज्य रहें या इन्हें भी विलीन कर दिया जाय। यह प्रश्न अब उच्चाधिकार आयोग के समक्ष है और भाग 'ग' राज्यों के सम्बन्ध में वह हमें उचित निदेश देगा। किन्तु मैं यह बता दूं कि भाग 'ग' राज्य अधिनियम पारित हो जाने के बाद से इन सब राज्यों के लिये, जहां लोकप्रिय मंत्रिमण्डल बना दिये गये हैं, वहां सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत ही नहीं अपितु प्रथा के अनुसार भी, अधिकाधिक अधिकार देने का प्रयत्न करती रही है। इसलिये हम न केवल भाग 'क' तथा भाग 'ख' राज्यों में ही अपितु भाग 'ग' राज्यों में भी लोकप्रिय सरकार के इस परीक्षण को अत्यधिक सफल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री यू० सी० पटनायक : तिलपट की भीड़ के बारे में जब आज प्रधान मंत्री ने यह कहा कि लोगों में अनुशासन की भावना नहीं है तो इस बात को यहां हंसी में टाल दिया गया। कुछ समय पूर्व हम कुम्भ मेले की दुखद घटनाओं को भी सुन चुके हैं। किन्तु इन चीज़ों पर गम्भीर भाव से विचार करने की आवश्यकता है। इन दोनों अवसरों पर लोगों को निमन्त्रणों तथा विज्ञापनों द्वारा बुलाया गया था, किन्तु कई एक कारणों से स्थिति पर नियन्त्रण नहीं रखा जा सका। हो सकता है कि कभी ऐसा अवसर भी आ जाय, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जायं कि बहुत बड़े जन समूहों को एक स्थान से दूसरे स्थान को पलायन करना पड़ जाए, अतः हमें पहले से ही जनता को ऐसी अवस्था के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए।

राइफल क्लबों तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं को सहायता देने के बारे में माननीय मंत्री ५ मार्च को आश्वासन दे चुके हैं, अतः उस विषय में अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हमें सरकार की इस नीति पर प्रसन्नता है।

इसी प्रकार भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम के उपबन्धों को ढीला करने के बारे में भी गत २६ तारीख को एक विधेयक प्रस्तुत हो चुका है, अतः इस विषय में भी कुछ अधिक कहने की अब आवश्यकता नहीं है।

गृह-कार्य मंत्रालय जिन चीज़ों के लिए उत्तरदायी है उन में से एक मद असैनिक रक्षा भी है, किन्तु अनुदानों की मांगों में इस के लिए एक कौड़ी का भी प्रावधान नहीं किया गया है। हां, 'श्रम मंत्रालय' शीर्ष के अन्तर्गत १,२६,००० रुपये का उपबन्ध अवश्य किया गया है। यह व्यय युद्ध क्षति योजना के प्रयोजन के लिए है। अतः मैं निवेदन करूंगा कि तिलपट की धकापेल इत्यादि घटनाओं को देखते हुए हमें इस सम्बन्ध में अवश्य कुछ कार्य करना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि उद्जन तथा अणुबमों के इस युग में हमें अपनी रक्षा व्यवस्था को नवीन रूप देना होगा किन्तु इन सब चीज़ों के होते हुए भी

[श्री यू० सी० पटनायक]

आज संसार का प्रत्येक देश गृह-रक्षा की अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या की ओर ध्यान दे रहा है। पाकिस्तान तथा अन्य कई एक देशों के साथ हमारी अनबन के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम अपने नागरिकों को राष्ट्रीय आकस्मिकताओं के लिए प्रशिक्षित करें, और इस समय तो विकास कार्य के लिए भी उन्हें श्रम दल के रूप में प्रशिक्षित तथा अनुशासनबद्ध करने की आवश्यकता है।

गत छः सात वर्षों से हमारे देश में असैनिक रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। १९४५ में जब इंगलैण्ड ने अपने असैनिक रक्षा संगठन को समाप्त किया तो यहां भी वैसा ही किया गया, किन्तु उन्हों ने तो १९४७-४८ में उसे फिर से चालू कर दिया था, हम ने ऐसा नहीं किया। इंगलैण्ड ने गत वर्ष असैनिक रक्षा पर लगभग २ करोड़ पाउंड खर्च किए थे।

हमें इस विषय में अन्य देशों की पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में पहले से ही बहुत सी ऐसी संस्थाएं विद्यमान हैं जिन से काम लिया जा सकता है, जैसे राइफल संस्थाएं, स्काउट संगठन, सेवादल भूतपूर्व सैनिक सभा, होम गार्ड, व्यायाम संस्थाएं, तालीमखाने, अखाड़े इत्यादि। यह संस्थाएं प्रायः स्थानीय लोगों के प्रयत्नों से चल रही हैं, अतः थोड़े से ही खर्च से इन का समन्वय तथा उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य दल तथा प्रथम सहायता दलों की व्यवस्था की जा सकती है। इसी आधार पर ग्रामों में आग बुझाने वाले दलों की रचना होनी चाहिए। पूर्ण शान्ति के समय भी यह दल हमारे ग्रामों में प्रतिदिन होने वाली आग की घटनाओं में काम कर सकते हैं। हां, इन संस्थाओं को कुछ विशेष प्रशिक्षण देना होगा। यह एक ऐसा कार्य है जिसे सम्भालने की क्षमता गृह-कार्य मंत्रालय में ही है।

श्री उइके (मंडला जबलपुर दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित आदिमजातियां) : मुझे आदिवासियों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहना था लेकिन यहां हाउस में एक नया विषय उठ खड़ा हुआ है, उस के बारे में भी बिना कहे मुझ से नहीं रहा जायगा। यहां पर क्रिश्चियन मिशनरियों के बारे में बहुत कुछ चर्चा हुई। क्रिश्चियन मिशनरियों के बारे में मुझे गृहमंत्री जी को यह बतलाना है कि जिस इलाके में अधिक आदिवासी लोग रहते थे उस इलाके को ब्रिटिश के ज़माने में पार्शियली एक्सक्ल्यूडेड एरिया या एक्सक्ल्युडेड एरिया बनाया गया था। इन एरियाज़ को अब अनुसूचित और घोषित एरियाज़ बनाया गया है। ब्रिटिश के ज़माने में इस एरिया में किसी भी प्रकार के धर्म प्रचार की मनाही थी। १९४४ में पार्शियली एक्सक्ल्यूडेड एरियाज़ में रोमन कैथोलिक मिशनरियों ने मध्यप्रदेश के दो चार ज़िलों में धर्म परिवर्तन शुरू किया। धर्म-परिवर्तन करने वाले मिशनरियों को बहुत सी ग्रांट दी गयी और उन के बहुत से स्कूलों को रिकाग-नाइज़ किया गया। लेकिन जब यह मालूम हुआ कि इन स्कूलों के द्वारा यह मिशनरी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो ज़ोर की कंट्रोवर्सी शुरू हुई। उस संमय ब्रिटिश सरकार के सामने डा० वेरियर एलविन ने यह बतलाया कि पार्शियली एक्सक्ल्यूडेड एरियाज़ में और एक्सक्ल्यूडेड एरियाज़ में धर्म परिवर्तन करने वालों को शिक्षण के नाम पर कोई सहायता देना अनुचित है। ऐसी सोसाइटियों को जो कि शिक्षण के नाम पर पार्शियली एक्सक्ल्यूडेड एरियाज़ में धर्म-परिवर्तन का काम कर रही हैं, बन्द करना चाहिए। उस के बाद एक ही साल में जो २४५ मिशनरी स्कूल इस क्षेत्र में

शुरू किये गये थे, और जिन को मध्य प्रदेश सरकार ने एड दे रखी थी उस को वापस ले लिया और ट्रेनिंग स्कूल को, जो ८० हज़ार की ग्रांट दे रखी थी वह भी वापस ले ली और जो उन के उस एरिया में स्कूल खुले हुए थे, और जो धर्म प्रचार करते थे उन को बन्द कर दिया गया। वही एरिया अब अनुसूचित और घोषित कहलाता है। क्या उस पर से वह कानून उठा दिया गया है और अगर नहीं तो गृह मंत्री जी उस को क्यों नहीं काम में लाते। हाल में रोमन कैथोलिक्स ने जसपुर ज़िले में धर्म-परिवर्तन किया है। उस को वहां के सन्त तुकड़ो जी ने जाकर देखा और उस पर अपनी रिपोर्ट दी है। वह मध्यप्रदेश के सारे पेपर्स में प्रकाशित हुई है। यह रिपोर्ट कृष्ण मूर्ति की नज़र में नहीं आयी कि मिशनरी इस तरह से धर्म परिवर्तन करते हैं। इसी इलाक़े में जो हमारे गृहमंत्री जी ने भाषण दिया उस की उन्हों ने बहुत नुक्ताचीनी की और यह नहीं देखा कि किस परिस्थिति में वह भाषण दिया गया था। हमारे विधान की धारा ४६ में यह दिया गया है कि इस देश का जो वीकेस्ट सेक्शन है उस का हर प्रकार का एक्सप्लायटेशन होने से बचाव करना सरकार का कर्त्तव्य है। मैं उसी धारा की तरफ़ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह जो आदिवासी लोग हैं यह वीकेस्ट सेक्शन हैं। इन में मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार को एक दम रोक कर हम लोगों को इस धारा का लाभ देना चाहिए। हम शिक्षण के नाम पर अपनी इन्सानियत को नहीं खोना चाहते। हमारे यहां के एक सदस्य मचाकी कोसा यहां पर हैं। वह इस संसद् के सदस्य हैं और वह अभी तक ४० रुपया रोज़ लेते थे। लेकिन वह अनुभव करते हैं कि मैं कुछ काम नहीं करता इसलिए मुझे यह रुपया नहीं लेना चाहिए और इसलिए वह दो सेशन से नहीं आ रहे हैं। वह कहते हैं कि यह मेरे पसीने का पैसा नहीं है। वे कहते हैं कि उन के आठ इमली के झाड़ उन के पसीने के हैं और वह उन के फलों को झाड़ने के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आदिवासियों में यह इन्सानियत है। हम इन्सान की इन्सानियत को धर्म मानते हैं हम अपनी इन्सानियत को खो कर ज्ञान और विद्वत्ता नहीं चाहते। मैं कहना चाहता हूं कि जसपुर और सरगूजा ज़िलों में जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उस को आप अविलम्ब रोकिये।

अब मैं अपने एक्सप्लायटेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारा एक्सप्लायटेशन तो कई प्रकार से होता है। पर मालूम होता है कि हमारे गृह मंत्री जी उधर कम ध्यान देते हैं। यह जो कमिश्नर की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उस की तरफ शायद सरकार का ध्यान नहीं गया है। खास कर हम आदिवासियों में यह मिशनरी क्यों जाते हैं। इस का एक कारण यह है कि हम अत्यन्त गरीब हैं। हमारी गरीबी उन को हमारे धर्म परिवर्तन में लगाती है, और हमारी गरीबी का कारण क्या है? हमारी गरीबी का कारण यह है कि जो हमारा एक्सप्लायटेशन हो रहा है वह बन्द नहीं होता है। अगर सरकार हमारे लिए और कुछ न कर सके तो कम से कम वह यह तो कर सकती है कि हम को अपने अफसरों के एक्सप्लायटेशन से बचावे। आप के फारेस्ट विभाग के अफसर हम से फौर्स्ड लेबर लेते हैं। हम आदिवासी ज्यादातर जंगल व्हिलेजों में रहते हैं। आप के फारेस्ट विभाग का यह हम लोगों के लिए नियम है कि हर घर से एक आदमी १२ आने रोज़ ले कर अवश्य ही काम पर जाय, चाहे उस के घर में कोई मर गया हो, चाहे शादी हो, चाहे मेहमान आया हो। एक आदमी हर घर से अवश्य काम पर जाना चाहिए। अगर दो चार मर्तबा ऐसा हुआ कि कोई

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

एक आदमी किसी घर से काम पर नहीं गया तो उस को उस गांव से निकाल दिया जाता

[श्री उइके]

है। यह फोर्स्ड लेबर है जो कि गवर्नमन्ट का विभाग हम से लेता है। केवल यही नहीं है। आप की इनक्वायरी कमेटी ने फोर्स्ड लेबर का एक दूसरा तरीका भी बतलाया है। मैं उस का एक उदाहरण आप को देना चाहता हूं। यह उदाहरण मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में है वह इस प्रकार है: "मौज़ा कोदमी, पटवारी सर्किल संख्या १०, वारसकोनी तहसील; बिन्ने गोंड, जो लगभग ३० वर्ष का है भूरे का लड़का है, जो अपनी मृत्यु से पहले मालगुजार में फार्म की चाकरी करता था। भूरे के पिता गुमानी, और गुमानी के पिता ने भी ३०–४० वर्ष तक इसी मालगुजार में निरन्तर सेवा की थी। गुमानी ने इस समय के मालगुजार मोहनलाल के पिता से कभी १० रुपये का ऋण लिया था, और इस समय एक स्टाम्प वाले दस्तावेज़ से पता चलता है कि बिन्ने को एक सौ रुपये का ऋण चुकाना है यद्यपि आज तक कोई भी पेशगी नहीं ली गई है और भूरे या बिन्ने को कभी भी चार रुपये वार्षिक नक़द अदायगी या ब्याज़ नहीं दिया गया। मृत्यु से पहल भूरे ने मोहनलाल के यहां काम करना छोड़ दिया था, किन्तु इस डर के मारे कि उस के परिवार को गांव से बाहर न निकाला जाय, उसे वापिस आना पड़ा और आठ साल तक मोहनलाल के यहां काम करना पड़ा। मोहनलाल कोई भी ब्याज नहीं लेता है, किन्तु वह पेशगी या पुनः अदायगी का भी कोई हिसाब नहीं करता। बिन्ने के पास परिभोक्ता कृषक भूमि के ४.५९ एकड़ है जिन का १०½ आने के हिसाब से लगान देना पड़ता है, किन्तु मोहनलाल शायद इसीलिए वह लगान नहीं लेता कि इस परिवार पर उस का अधिकार रहे, और ऐसा लगे कि उन्हें बहुत कुछ देना बाक़ी है। बिन्ने की स्त्री और उस के अन्य सम्बन्धी मोहनलाल के खेतों में हर रोज़ काम करते हैं।"

इस तरीक़े से इस इनक्वायरी में बहुत सी एग्ज़ाम्पिल्स भरी हुई हैं जिस से साबित होता है कि यह दूसरे प्रकार की फोर्स्ड लेबर हमारे आदिवासियों पर है। इस के सम्बन्ध में अभी तक गवर्नमेन्ट ने कोई ध्यान नहीं दिया।

इस के अलावा मैं आप को बताऊं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र से मेरे पास बहुत से आदिवासियों की शिकायतें आई हुई हैं, समयाभाव के कारण मैं सब को तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उन में से एक दरख्वास्त जो कि आप के डिपार्टमेंट के साथ सम्बन्ध रखती है ज़िक्र करूंगा, क्योंकि यह जो आप का सोश्यल ट्राइबल वेलफ़ेयर डिपार्टमेंट है इस का काम है कि हमारे आदिवासियों का एक्सप्लायटेशन न हो। रामगढ़ निवासी आदिवासियों ने मेरे पास यह दरख्वास्त भेजी है कि जैतपुरी का हेडमास्टर हम गरीबों को बहुत सता रहा है। बच्चे पास होते हैं, हर एक बच्चों के मां बाप को डरा-धमका कर मवेशी और पैसा हम से वसूल करता है। मैं कुछ नाम जिन से मवेशी अथवा रुपये वसूल किये गये पढ़ कर सुनाये देता हूं।

धरमू गोंड	१ गोन्ही यानी गाय का बच्चा
मूरेसीग गोंड	१ गोन्हा।
मोतीराम महाजन	१ गोन्हा।
रामलाल महाजन	१० पूडोचाल ४ सेर घी
पाहरू गोंड	१ गोन्हा।

उपाध्यक्ष महोदय: यह तो बहुत लम्बी लिस्ट मालूम होती है, केवल उदाहरण दीजिये।

श्री उईके: मैं यह बतला रहा था कि स्कालरशिप्स में भी किस तरह का एक्सप्लायटेशन होता है और मैं अपने गृहमंत्री का ध्यान उस सब एक्सप्लायटेशन की तरफ़ दिलाना चाहता था कि संविधान के आदेशों का इस सम्बन्ध में पूरी तरह पालन नहीं

हो रहा है, संविधान में इसके लिये क़ानून और दफ़ा तो मौजूद है लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि उस पर आज अमल नहीं किया जाता। मैं सरकार और मंत्री महोदय को चेतावनी देना चाहता हूं कि परिस्थिति हर क्षण बिगड़ती जा रही है और अगर शीघ्र कोई उपाय न किया गया तो वह समय दूर नहीं है जब कि सारे आप के आदिवासी ईसाई धर्म को अंगीकार करने पर बाध्य हो जायं। आज ईसाई पादरी लोग प्रचार कार्य में लगे हुए हैं और इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि हम जो आदिवासी हैं और काफ़ी पिछड़े हुए हैं उन की तरफ़ ध्यान दें और उन की दशा सुधारने का प्रयत्न करें, उन को उनके अधिकार दें और उस के लिये मैं सुझाव देता हूं कि एक बिल्कुल अलग मंत्रालय हो जो इन बातों की तरफ़ अपना ध्यान लगाये और काम करे, आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे हरिजन भाई हालांकि सवर्ण हिन्दुओं के मुकाबले में बहुत पिछड़े हुए हैं लेकिन वह हमारी बनिस्बत काफ़ी आग आ चुके हैं, इस हाउस में हम लोगों की आवाज़ बहुत कम उठती है और यह दुनिया का कायदा है कि सुनी उसकी जाती है जिसकी आवाज़ होती है। मैं अन्त में अधिक न कह कर मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हम आदिवासियों की संख्या पौने दो करोड़ के लगभग है और यह बात निश्चित् है कि अगर आपने समय रहते उन की ओर ध्यान नहीं दिया तो यह सब ईसाई होने वाले हैं। इतनी बात कह कर के मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं पिछले बेंचों पर बैठने वाले सदस्यों के ही नाम बुलाऊंगा। श्री राचय्या।

श्री एन० राचय्या (मैसूर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : गृह-कार्य के अन्तर्गत मांगों का समर्थन करने के लिए मैं उठा हूं। समर्थन करने के साथ साथ मैं देश की अनुसूचित जातियों की समस्याओं तक ही सीमित रहूंगा। गांधी जी ने इन ही जातियों के उद्धार के लिए अपना जीवन न्योछावर किया था। मैं जानता हूं कि गृह मंत्रालय तथा कांग्रस को हमारे साथ सहानुभूति है, किन्तु उस सहानुभूति को कोई सक्रिय रूप नहीं दिया गया है। मैं किसी पर कोई दोष नहीं लगाना चाहता, अपितु अभागे हरिजनों के साथ किए जाने वाले बर्त्ताव के सम्बन्ध में तथ्य बताना चाहता हूं। इस सिलसिले में मैं गृह मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि वे संविधान के अनुच्छेद ३४० के अधीन भारत सरकार द्वारा नियुक्त अनुसूचित जातियों के कमिश्नर श्री एल० एम० श्रीकान्त के लेखों या वक्तव्यों को देखें। उन्हों ने अपनी पुस्तक के अन्तिम अध्याय में कहा है कि यदि भारत सरकार और भारत की जनता ईमानदारी से ग़रीब लोगों को ग़रीबी से छुटकारा दिलाने का प्रयत्न करे, तभी यह काम हो सकेगा। यदि सरकार उन के इस वक्तव्य पर ध्यान देगी, तो मैं समझता हूं कि वह इन अभागी अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की सहायता के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न करेगी। भाग 'ख' राज्यों के एकीकरण के बाद से ४४ आई० ए० एस० पदाधिकारी और ३ आई० पी० एस० पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं, किन्तु इन में से एक भी किसी अनसूचित जाति का नहीं है। इस से हरिजनों का अपमान हुआ है। और उन के साथ बड़ा अन्याय किया गया है। करारोपण प्रस्थापना पर हुई बहस में माननीय वित्त मंत्री ने बताया कि भारत की जनता में ९९.९ प्रतिशत निर्धन हैं और ०.१ प्रतिशत व्यक्ति धनी हैं। यदि उन का कहना ठीक है, तो सारा देश निर्धन है। लोक सेवा आयोग या किसी और समिति या मंत्रालय के समक्ष जब भी अनुसूचित जातियों के मामले आते हैं तो उन्हें कार्य-

[श्री एन० राचय्या]

कौशलहीन समझा जाता है, और नियुक्ति से इन्कार किया जाता है। संविधान में जो मूल अधिकार दिये गये हैं, लोक सेवा आयोग की मौखिक परीक्षाओं में उन की मज़ाक उड़ाई जाती है। जब सभी को समान अवसर मिलने चाहियें, तो इन मौखिक परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों के सदस्यों को क्यों गिराया जाता है। आखिर इस का क्या कारण है कि भारतीय विश्वविद्यालयों से दो दो डिग्रियां प्राप्त कर के भी हरिजनों को नौकरी नहीं मिलती, जब कि अवरस्नातक या मैट्रिक पास सवर्ण हिन्दुओं को नौकरी मिलने में कोई कठिनाई नहीं आती। भला, देखिये तो सही कि गांधी जी ने अपना सारा जीवन किन के लिए न्योछावर किया था ? उन्हों ने ईसाइयों, सवर्ण हिन्दुओं या मुसलमानों के लिए इतना बड़ा बलिदान नहीं किया था, बल्कि हरिजनों के लिए इतनी कुर्बानी दी थी। गांधी जी की रचनाओं को पढ़ कर देखिए, तो आप को पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या लिखा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य और भी बोलना चाहते हैं ?

श्री एन० राचय्या : जी हां, भाषण जारी रखना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो वह कल पांच मिनट के लिए बोलें ।

इस के पश्चात् सभा बृहस्पतिवार, ६ अप्रैल, १९५४ के दो बजे तक के लिए स्थगित हुई ।